

Office of the Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife) MP
Pragati Bhavan, BDA, 3rd Floor, MP Nagar, Zone-I, Bhopal
Tel: 0755-2674206, 2674248; Fax: 0755-2766315; email: pccfwl@mpforest.org

**Notifications of
National Parks and sanctuaries
of
Madhya Pradesh**

विषय सूची

क्रमांक	संरक्षित क्षेत्र	पृष्ठ क्रमांक
1	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान	1-30
2	बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान	31-34
3	पन्ना राष्ट्रीय उद्यान	35-40
4	पेंच राष्ट्रीय उद्यान	41-45
5	सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान	46-49
6	संजय राष्ट्रीय उद्यान	50
7	माधव राष्ट्रीय उद्यान	51-52
8	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान	53-55
9	जीवावशेष राष्ट्रीय उद्यान	56-59
10	झायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान	60-62
11	बगदरा अभयारण्य	63-64
12	संजय दुबरी अभयारण्य	65-66
13	गांधीसागर अभयारण्य	67-71
14	गंगऊ अभयारण्य	72
15	घाटीगांव अभयारण्य	73-76
16	करेरा अभयारण्य	77-79
17	केन घड़ियाल अभयारण्य	80-81
18	खिवनी अभयारण्य	82-89
19	कूनो पालपुर अभयारण्य	90-91
20	नरसिंहगढ़ अभयारण्य	92
21	राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य	93-95
22	नौरादेही अभयारण्य	96-100
23	ओरछा अभयारण्य	101-102
24	बोरी अभयारण्य	103-105
25	पचमढी अभयारण्य	105
26	पनपथा अभयारण्य	106
27	पेंच अभयारण्य	107-108
28	फेन अभयारण्य	109-113
29	रालामण्डल अभयारण्य	114-116
30	रातापानी अभयारण्य	117
31	सैलाना अभयारण्य	118-119
32	सरदारपुर/खरमोर अभयारण्य	120
33	सिधौरी अभयारण्य	121-122
34	सोनघड़ियाल अभयारण्य	123-124
35	रानी दुर्गावती अभयारण्य	125-127

(1)

(128)

57-5

[Published in Part 1 of the "Madhya Pradesh
Rajpatra", dated the 14th August 1964.]

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
FOREST DEPARTMENT

Bhopal, the 13th May 1964.

No. 5725-4184-X. ... exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of section 3 of the Madhya Pradesh National Parks Act, 1955 (No. VII of 1955), the State Government hereby extends the limits of the Kanha National Park by 65.40 square kilometers towards north.

The total area of the Kanha National Park will now be 318.44 square kilometers with boundaries as defined below:-

North—A 12 meters wide northern and eastern boundary line of the Sondher Forest village, then Chaprinala running east, then Madan nala, then line running over a ridge forming southern and eastern boundary of the compartment 650, then Jhiosa-Khodri running north-east, then Sulkamadi running south, then Nigha nala running north-east, then Gorari Jhori and Ambainala running south-east over the ridge forming eastern boundary of the compartment 676, then 12 meters wide external fire line running east forming southern boundary of Kisli Bhilwani forest village and Bhimpuri Raiyatwari village.

East—A 12 meters wide external boundary line of block No. 15 excluding the village lands of Jhapul forest village (Block No. 13) and of Manoharpur, thence the district boundary line between Mandla and Balaghat districts.

South—A continuation of the district boundary line, between Mandla and Balaghat districts.

West—A continuation of the district boundary line between Mandla and Balaghat districts, thence the 12 meters wide eastern and northern boundary line of the Indri forest village, then the Ghagor nala for a distance of 1 kilometer and 86 meter then the external fire line forming the eastern boundary of Khatia village, then a 12 meters wide internal fire line for distance of 2 kilometer and 51 meters, then the tributary of Burbarinala running east for a distance of 6 hectometer thence the tributary of Mala nadi running north and then the Mala nadi running north.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,

B. R. MANDAL, Secy.

(2)

२३१६

मध्य प्रदेश राजपत्र, दिनांक १६ दिसम्बर १९७०

बालाघाट जिला में—

अरन्डिया ग्राम की दक्षिणी सीमा, तत्पश्चात् कुगांव, रामपुर, खजुरा एवं कोणो ग्रामों की पश्चिमी सीमा, तत्पश्चात् खुरीपीपार ग्राम की पश्चिमी एवं दक्षिणी सीमा

दक्षिण—बालाघाट जिला में—

उत्तर-बालाघाट वन मंडल के आरक्षित वन कम्पाटमेंट नं. १११, ६८ एवं ६९ की पश्चिमी सीमा तत्पश्चात् समनापुर ग्राम की पश्चिमी सीमा एवं श्रीमलाट ग्राम की उत्तरी सीमा, तत्पश्चात् बजर नदी, तत्पश्चात् खापा व मालखड़ी ग्रामों की पूर्वी सीमा, तत्पश्चात् मालखड़ी, मोहगांव, प... काटगांव एवं भिलवाणी ग्रामों की उत्तरी सीमा

पश्चिम—बालाघाट जिला में—

उत्तर-बालाघाट वन मंडल के आरक्षित कम्पाटमेंट नं. १ की पश्चिमी सीमा, तत्पश्चात् आरक्षित कम्पाटमेंट नं. १ और झुलूप ग्राम की सीमा से जाती हुई रेखा, तत्पश्चात् झुलूप ग्राम की पूर्वी सीमा

मंडला जिला में—

मंडला व बालाघाट जिलों की सीमा रेखा, तत्पश्चात् एक १२ मीटर चौड़ी रेखा जो इन्दी वनग्राम की पूर्वी और उत्तरी सीमा बनाती है, तत्पश्चात् १ किलोमीटर व ८६ मीटर की दूरी तक घनगौर नाला, तत्पश्चात् वाहरी ग्राम रेखा जो खटिया वनग्राम की पूर्वी सीमा बनाती है, तत्पश्चात् एक १२ मीटर चौड़ी ग्रान्तरिक ग्राम रेखा जो २ किलोमीटर व ५१ मीटर की दूरी तक चलती है, तत्पश्चात् बुरवारी नाले का सहायक नाला जो पूर्व की ओर ६ हेक्टेरोंमीटर तक बढ़ता है, तत्पश्चात् माला नदी की सहायक नदी जो उत्तर की ओर बढ़ती है, तत्पश्चात् उत्तर की ओर बढ़ती माला नदी

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. क. दुबे, सचिव

भोपाल, दिनांक १५ दिसम्बर १९७०

क. ८८६४-इस (२)-७०.—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अन्वय-सरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ८८६३-इस (२)-७०, दिनांक १५ दिसम्बर १९७० का अंग्रेजी अन्वय राजपत्र के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. क. दुबे, सचिव

Bhopal, the 15th December 1970.

No. 8893-X-II-70.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) and (3) of section 3 of the Madhya Pradesh National Parks Act, 1955 (VII of 1955), the State Government hereby adds the reserved forest area of 128.257 square kilometres in Balaghat Revenue district to the Schedule of the said Act constituting Kanha National Park and defines the boundaries of the said National Park as specified in the Schedule below.

(3)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक १६ दिसम्बर १९७०

२२१६

Schedule

Kanha National Park—Area 446.686 square Kilometres.

North—In Mandla Revenue District—

A 12 metres wide Northern and Eastern boundary line of the Sopdhar Forest Village, then Chāpīnāla running East, then Madan nala, then line running over ridge forming Southern and Eastern boundary of the Reserve Forest Compartment No. 650 of South Mandla Forest Division, then Jhūsa Khodri running North-East, then Sulkani nadi running South, then Nighā nala running North-East, then Gorāri Jhori and Ambai nala running South East, then line running over the ridge forming Eastern boundary of the Reserve Forest Compartment No. 676 of South Mandla Forest Division then 12 metres wide external fire line running East forming Southern boundary of Kislibhilwani Forest village and Bhimpuri Raiyatwari village.

East—In Mandla Revenue District—

A 12 metres wide external boundary line of Block No. 15 of South Mandla Forest Division excluding the village lands of Jhapul Forest village (Block No. 13 of South Mandla Forest Division) and of Manoharpur village, then Southern boundary of Manoharpur village.

In Balaghat Revenue District—

Southern boundary of Arandia village, then Western boundary of Kugaon, Ramapur, Khajra and Komo villages, then Western and Southern boundary of Khursipur village.

South—In Balaghat Revenue District—

Western boundary of Reserve Forest Compartment Nos. 11, 68 and 69 of North Balaghat Forest Division, then North-Western boundary of Samnapur village and Northern boundary of Bhimlot village, then Banjar river, then Eastern boundary of Khapa and Malkheri villages, then Northern boundary of Malkheri, Pārapur, Katgaon and Bhilewani villages.

West—in Balaghat Revenue District—

Western boundary of Reserve Forest Compartment No. 1 of North Balaghat Forest Division, then line running through boundary of Reserve Forest Compartment No. 1 and Jhulup village, then Eastern boundary of Jhulup village.

In Mandla Revenue District—

Boundary line between Mandla and Balaghat Districts, then a 12 metres wide Eastern and Northern boundary line of the Indri Forest village, then the Ghango: nala for a distance of 1 Kilometre and 86 metres, then the external fire line forming the Eastern boundary of Khatia village, then a 12 metres wide internal fire line for a distance of 2 Kilometres and 51 metres, then the tributary of Buhāri nala running East for a distance of 6 hectometres, thence the tributary of Malanadi running North and then the Malanadi running North.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.

B. K. DUTTA, Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, द्वारा शासन केन्द्रित मुद्रणालय
भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—१९७०

वन विभाग

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 1974.

क्र. ४०२१-१६४३-वस-२-७४. — प्रायः राज्य शासन का यह विचार है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र, प्रायः प्राणी तथा उनके विषय आवश्यक परिस्थिति का संरक्षण करने, उसका विस्तार तथा विकास करने के प्रयोजन के लिये प्राणीगत तथा प्राणी-विकास की दृष्टि से पर्याप्त महत्त्व का है।

प्रत्यय, वादल संरक्षण (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1९७२ (५३) अधिनियम 1९७२, की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में आती हैं, राज्य शासन, एकात्मिकता, उन्नति धर्म को अभ्यास (प्रोत्साहन) का रूप में घोषित करता है।

अनुसूची

कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र को अपूर्णित करने हुए, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमाओं में समाविष्ट क्षेत्र:—

जिला—बालाघाट एवं मन्दाला

समस्तक्षेत्र—सुपरवार अभ्यारण्य

विषय वस्तु—४४७.७२ वर्ग कि.मी.

सीमा

पूर्व—बालाघाट जिले में छतरपुर वन ग्राम के पास से प्रारंभ होकर, अंतर्जिला सीमा बालाघाट और राजनंदगांव जिलों के बीच होकर उत्तर की ओर जाती हुई और बिलासपुर-जबलपुर सड़क के सीमा-माध्य मध्य जिले के भीमझोपरी गांव तक चलती हुई।

उत्तर—ग्राम भीमझोपरी से कटगोदावर से आने वाला नाला और कम्पाटमिन्ट नम्बर ५७५ से ५८१ के बीच कटगोदावर तक जंगल सीमा बनती हुई और उसके बाद कम्पाटमिन्ट नम्बर ५७४ और ५७६ के बीच की जंगल सीमा वाला नाला जब तक कि यह बाहीन नाला से मिलता है और फिर बाहीन नाला जब तक कि एक नाला कम्पाटमिन्ट नम्बर ५७३ और ५७८ के बीच सीमा बनाता है और उसके बाद, यह नाला पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए जोर टोपला आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा से मिलते हुए और उसके बाद टोपला आरक्षित वन क्षेत्र की उत्तरी सीमा जब तक कि यह कादसा जंगल ग्राम के पास पश्चिम रासवाड़ क्षेत्र की आरक्षित वन सीमा से मिलती है उसके बाद पश्चिम रासवाड़ आरक्षित वन क्षेत्र की उत्तरी सीमा जब तक कि यह बालाघाट जिले में बुरहीपुर ग्राम के पास आकर राष्ट्रीय उद्यान की पूर्व सीमा से मिलती है, उसके बाद, बालाघाट जिले में, बुरहीपुर ग्राम तक का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की पूर्व सीमा, उसके बाद जिला पहाड़ तक गंजर भाटी आरक्षित वन क्षेत्र की उत्तरी सीमा, उसके बाद जिला पहाड़ पर गंजर की ओर जाती हुई पहाड़ी, फिर जिला पहाड़ से निकलता हुआ नाला जो कि निरली प्रसंग के पास सिमा नाला से मिलता है, और फिर कम्पाटमिन्ट नम्बर ६६४, ६७० और ६७१ के विराह तक सिमा नाला, फिर कम्पाटमिन्ट ६६३ और ६६४ के बीच की जंगल सीमा जब तक कि वह ग्राम मोहंदाब के पास से जुड़ा आरक्षित वन क्षेत्र की उत्तरी सीमा से मिलती है, और उसके बाद से जुड़ा आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा पश्चिम की ओर चलते हैं जब तक कि यह ग्राम चारीवाड़ को आगे तकने वाले से मिलती है, कम्पाटमिन्ट नम्बर ६५६ और ६६० के बीच जंगल सीमा बनते हुए, फिर ग्राम चारीवाड़ की दक्षिण

सीमा, फिर सुपन नदी फिर कम्पाटमिन्ट नम्बर ६५६ और ६५७ के बीच जंगल सीमा बनाने वाली नाला, उसके बाद समरिया वन ग्राम की पूर्वी ओर उत्तरी सीमा और फिर ग्राम बटवार तक कम्पाटमिन्ट नम्बर ६५२ की पश्चिम सीमा बनाते वाले नाला।

पश्चिम—ग्राम बटवार की पूर्वी सीमा और फिर बटवार से छपरी ग्राम की पहाड़ी जो कि ६३० और ६४८ के बीच कम्पाटमिन्ट लाइन बनाती है जब तक कि वह छपरी नाला से मिलती है, फिर छपरी नाला ६३१ और ६४३ के बीच कम्पाटमिन्ट लाइन बनाते हुए जंगल सिमावापर, पश्चिम उद्यान तक उत्तर में दक्षिण की ओर जाती हुई सिमावापर किंगे बुखना फिर ६३१ और ६३२ के बीच कम्पाटमिन्ट लाइन बनाते हुए नाला जब तक कि वह ग्राम खटिया नारंगी के पास से जुड़ा आरक्षित वन क्षेत्र की दक्षिण सीमा से मिलती है, उसके बाद खटिया नारंगी ग्राम की पूर्वी सीमा जब तक कि वह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की पश्चिमी सीमा से मिलती है, उसके बाद ग्राम इन्दी तक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा चलते उसके बाद वन ग्राम इन्दी की पश्चिमी सीमा बाघन नाला से किन्तु तक जो उसके बाद बालाघाट जिले में बल्लुप ग्राम तक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की पश्चिमी सीमा।

दक्षिण—ग्राम ग्राम में प्रथम वन ग्राम तक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की दक्षिण सीमा और उसके बाद ग्राम से होते हुए गंगानाघाट आरक्षित वन क्षेत्र की दक्षिणी सीमा बनाते हुए नाला, उसके बाद गंगानाघाट आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा बनाने वाली कटवाइन भरदा वन ग्राम की उत्तर-पश्चिम सीमा बनाने वाले नाले तक, फिर गंगानाघाट पुरी, धुं, बुला तक चलने वाला नाला, फिर गंगानाघाट और पश्चिम रासवाड़ आरक्षित वन क्षेत्र के बीच की पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हुई, जंगल सीमा जब तक वह वन ग्राम रासवाड़ी के पास बालाघाट और राजनंदगांव जिलों के बीच अंतर्जिला सीमा से मिलती है और फिर गंगानाघाट और राजनंदगांव जिलों के बीच अंतर्जिला सीमा पूर्व की ओर चलते बालाघाट जिले में छतरपुर वन ग्राम तक।

राज्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भार. सी. लक्षणा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 1974.

क्र. ४०२३-१६४३-वस-२-७४. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 3४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, इस विभाग की अभिसूचना क्र. ४०२१-१६४३-वस-२-७४, दिनांक ३ सितम्बर 1974, द्वारा राजनंदगांव अभ्यारण्य के प्रायः प्राणीगत विकास के लिये पर्याप्त महत्त्व का है।

राज्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भार. सी. लक्षणा, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd September 1974.

No. 4021-1615 X-74. — Wherein the State Government considers that the area specified in the Schedule below is of adequate faunal and Zoological significance for the purpose of protecting, propagating, and developing Wild life and its environment;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Section 41 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the State Government hereby declares the said area to be a sanctuary.

5

दक्षिण-गाम झुलप से नन्दर घाटी आरंभित वन संरक्षित क्षेत्र की दक्षिण सीमा जो कि बलाघाट जिला के गाम फालेगाँव, मोहगाँव, चंदेरी और बापा से होकर जाती है और फिर मुक्की वन तक तक नन्दर नदी से होकर जाती है और फिर भैरानपाट, आरंभित वन संरक्षित क्षेत्र की दक्षिण सीमा वन तक कि वह बलाघाट एवं राजनांदगाँव जिलों के बीच की अंतरजिला सीमा से मिलती है, और फिर बलाघाट जिले से छतरपुर वन प्रांत तक बलाघाट एवं राजनांदगाँव जिलों के बीच की अंतरजिला सीमा.

South-From village Jhulap the southern boundary of Banjar Valley Reserved Forest block in Balaghat district running along villages Kalegaon, Mehgaon, Malkhedi and Khapa and then along Banjar river till forest village Mukki and thereafter the southern boundary of Bhaisanghat Reserved Forest Block till it meets the inter-district boundary between Balaghat and Rajnandgaon districts, and thereafter the inter-district boundary between Balaghat and Rajnandgaon districts, up to forest village Chhatrapur in Balaghat district.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, R. C. SAXENA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक २६ सितम्बर १९७४

क्र. ४११५-३६४२-दरा-२-७४.—भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (क्र. १६, संनं १९२७), की धारा ४ की उपधारा (१) के अधिनियमों को अंगीकार की गई अधिनियम क्र. ७०५१, दिनांक २३ सितम्बर १९७१ द्वारा राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी. उक्त अधिनियमों में उल्लिखित अधिनियमों को आरंभित वन बनाने का नियंत्रण किया गया था और अधिनियमों के अन्तर्गत व्यवस्थापन पदाधिकारियों के कर्तव्यों का पालन करने के लिये श्री एम. जी. रोपझानी, की नियुक्ति की थी.

२. चूंकि श्री एम. जी. रोपझानी, स्थानांतरित हो गये हैं, अतएव उक्त अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाने हुए, राज्य सरकार उक्त अधिनियमों में उल्लिखित अधिनियमों के संबंध में उक्त अधिनियमों को अंगीकार वन व्यवस्थापन पदाधिकारियों के कर्तव्यों का पालन करने के लिये श्री एम. डी. शर्मा को नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भार. सी. सक्सेना, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक ३ अक्टूबर १९७४.

क्र. ४११६-३६४३-दरा-२-७४.—बोद्धर संग्रह (ओडेनबर्ग) अधिनियम, १९७२ (क्र. ५६ संनं १९७२), की धारा १६ द्वारा प्रदत्त अधिकारों को अनुसार मध्यप्रदेश सरकार की परिधि के अन्तर्गत को अंगीकार वन पानी तथा पत्तों के लिये अभ्यारण घोषित करता है:-

परिधि

जिला-मंदसौर.
ताहरीर-मंगारा एवं मानपुरा.
वन सञ्च का नाम-रामपुरा गेन पटार.
अभ्यारण का नाम-गांधी संग्रह.
क्षेत्रफल (हेक्टर में)-२२,४६५.००.
वर्ग मीटरों में-२२४,६५०.

सीमा

उत्तर-प्रचोष्ठ क्रमांक ५९६, ५९७, ५९८, ५९९, ६००, ६०१, ६०२, ६०३, ६०४, ६०५, ६०६, ६०७, ६०८, ६०९, ६१०, ६११, ६१२, ६१३, ६१४, ६१५, ६१६ व ६१७ की बाहरी सीमा जो कि मध्यप्रदेश की उत्तरी सीमा है तथा राजस्थान एवं मध्यप्रदेश राज्यों की मध्य सीमा है.
पूर्व-नकोठ क्रमांक ७२०, ७२१, ७२२, ७२३, ७२४, ७२५ एवं ७२६ की बाहरी सीमा.

No. 4023-1613-X-274.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 36 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972), the State Government hereby declares the area, specified in the Schedule below, to be a game reserve:

SCHEDULE

The area comprised within the boundaries specified below excluding the area of Kanha National Park and Sagar Sanctuary.

District	Area
Balaghat and Mandla	Malkal Game Reserve 279.74 Sq. Kilo Meter

East—Starting near Chhatrapur forest village in Balaghat district, the inter-district boundary running northwards between Balaghat and Rajnandgaon districts till it meets Jabalpur-Bilaspur road, thereafter the inter-district boundary between Balaghat and Mandla districts until village Bhandongri in Balaghat district.

North—Starting from village Bhandongri the western boundary of Raigarh East Reserved Forest block up to Hanou river, thereafter the western boundary of Raigarh West Reserved Forest block until village Bhandongri, then the northern and western boundaries of Raigarh West Reserved Forest block till it meets the inter-district boundary between Balaghat and Mandla districts formed by Gondla river, and thereafter the eastern boundary of Banjar Valley Reserved Forest Block up to Bhandongri forest village and thereafter the common boundary between Chouranga and Tendua Reserved Forest Blocks up to village Khatola and then the northern boundary of Tendua Reserved Forest block till it meets Surpan river near village Shahpur, then the northern boundary of Malidadar Reserved Forest block till it meets the boundary of Samaiya Bhagpur forest village, thereafter the fire line running from north-east to south-west meeting the boundary of Malidadar Reserved Forest Block, and thereafter again the continuation of the northern boundary of Malidadar Reserved Forest Block, till it meets the boundary of village Aroli, thereafter the western boundary of Malidadar Reserved Forest block running along village Kuywahi, Badachhapel, Soti, Khailya Nungel till it meets Chauranga river, thereafter the western boundary of forest village Lufel till Raigarh dala and thereafter the western boundary of Banjar Valley Reserved Forest block till village Jhulap.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भार. सी. सक्सेना, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक ३ सितम्बर १९७४.

क्र. ४०२४-१६४३-दरा-२-७४.—भारत के अधिनियमों के अधिनियमों में, इस विभाग की अधिनियमों में, ४०२३-१६४३-दरा-२-७४, दिनांक ३ सितम्बर १९७४ को, अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के आभिप्राय से प्रसिद्ध किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भार. सी. सक्सेना, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd September 1974.

Schedule

The area comprised within the boundaries specified below excluding the area of Kanha National Park :-

forest village Sukhadi and thereafter the continuation eastwards of the inter-district border between Balaghat and Rajnandgaon districts till forest village Chhatarpur in Balaghat district.

District—Balaghat and Mandla.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, R. C. SAKENA, Dy. Secy.

Name of Sanctuary—Sūphār Sanctuary.

Area—107.72 Sq. Kilometer.

गोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 1974

East—Starting near Chhatarpur forest village in Balaghat District the inter district boundary running northwards between Balaghat and Rajnandgaon districts and continuing along Bilaspur—Jabalpur road till village Bhindongel in Mandla District.

क्र. ४०२३-१६४३-कस-२-७४.—वाल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, १९७२ (क्र. ५३, सन् १९७२), की धारा ३६ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, पुस्तकद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में, विनिर्दिष्ट क्षेत्र को जोड़ते हुए संरक्षित स्थान (गेम रिजर्व) को रूप में घोषित करता है :-

North—From village Bhindongel the nala coming down from Katangidadar and forming common boundary between compartment No. 575 and 581 up to Katangidadar, and thereafter a nala going down as common boundary between compartment No. 574 and 576 till it meets Bahin nala and thereafter Bahin nala till a nala forming compartment boundary between 573 and 578, and thereafter this nala running east to west and meeting the Topa Reserved Forest Block boundary and thereafter the northern boundary of Topa Reserved Forest Block till it meets the Reserved Forest boundary of Bahgarh West block near forest village Kadh, thereafter the northern boundary of Bahgarh West Reserved Forest Block, till it meets the eastern boundary of Kanha National Park near village Chhatarpur in Balaghat District, thereafter the eastern boundary of Kanha National Park till forest village Bhillwani in Mandla district, thereafter the continuation of the northern boundary of Banjar Valley Reserved Forest block till Linga Palad, thereafter the ridge running north to top Linga Palad, then the nala originating in Linga Palad and meeting Nigga nala near Bhillwani, and then Nigga nala till its junction of compartment No. 664, 670 and 671, thereafter the common boundary between compartment No. 663 and 664 till it meets the northern boundary of Tendua Reserved Forest Block near village Mohgaon, and thereafter the continuation westwards of the boundary of Tendua Reserved Forest Block till it meets the nala flowing to village Kugiyah, forming the common boundary between compartment 659 and 660, thereafter the southern boundary of village Kugiyah, then river Surpan, thereafter the nala forming common boundary between compartment 656 and 657, thereafter the eastern and northern boundary of Khanaria forest village, and then the nala forming western boundary of compartment 652 till village Batwar.

अनुसूची

यम्हा राष्ट्रीय उद्यान तथा सपरमार गम्भारण्य (संरक्षी) के क्षेत्र को गैरसंरक्षित करते हुये नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमाओं में, संशोधित क्षेत्र:-

जिला—बालाघाट एवं मण्डला

क्षेत्र प्राप्ति आरक्षित क्षेत्र—मोडल गेम रिजर्व

क्षेत्र का स्वरूप—२७३.७४ वर्ग कि. मी.

सीमा

पूर्व—बालाघाट जिले में छतरपुर वन से प्रारंभ होकर, अंतर्जिला सीमा बालाघाट और राजनंदगांव जिला के बीच होकर उत्तर की ओर जाती हुई जब तक कि वह शंभुपुर-मिर्जापुर मार्ग से मिलती है, उसके बाद बालाघाट और मण्डला जिलों के बीच की अंतर्जिला सीमा बालाघाट जिले में शीमडोंगरी नाम तक-

उत्तर—ग्राम शीमडोंगरी से प्रारंभ होकर हकीम नदी तक पूर्व रायगढ़ आरक्षित वन खण्ड की पश्चिमी सीमा, उसके बाद ग्राम बालाघाट तक मीलोबांग आरक्षित वन खण्ड की पश्चिमी सीमा फिर पश्चिम रायगढ़ आरक्षित वन खण्ड की उत्तरी एवं पश्चिमी सीमा जब तक की वह मोडला नदी द्वारा बालाघाट और मंडला जिलों के बीच अंतर्जिला सीमा से मिलती है और फिर मिलवांगी वन नाम तक गंकर घाटी आरक्षित वन खंड की पूर्वी सीमा और उसके बाद भटोला नाम तक चोरना और तेंदुना आरक्षित वनखंडों के बीच की समथरीमा और फिर तेंदुना आरक्षित वनखंड की उत्तरी सीमा जब तक की वह महिपुर नाम के गाँव गुणा नदी से मिलती है, फिर मलीवापुर आरक्षित वन खण्ड की उत्तरी सीमा जब तक कि वह शंभुपुरावपुर वन नाम की सीमा से मिलती है, उसके बाद उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाती हुई फायर बाइन जो कि मलीवापुर आरक्षित वन खण्ड की सीमा से मिलती है और फिर मलीवापुर आरक्षित वन खण्ड की उत्तरी सीमा जब तक कि वह धरोली नाम की सीमा से मिलती है, फिर ग्राम कूरवाही, मोडलाही, सीटवा, सीटवांतरी, से होती हुई मलीवापुर आरक्षित वन को पश्चिमी सीमा जब तक की वह पांघर नदी से मिलती है, फिर बाणार नामा तक वन नाम लंदरी की पश्चिमी सीमा और उसके बाद नाम मुदुग तक गंकरघाटी आरक्षित वन खंड की पश्चिमी सीमा.

West—The eastern boundary of village Batwar and then the foot path Batwar to Chhapri forming compartment line between 630 and 631 till it meets Chhapri nala then Chhapri nala forming compartment line between 631 and 632 till its origin in Lingadadar, then ridge of Lingadadar running north to south, then another nala forming compartment line between 631 and 632, till it meets the southern boundary of Tendua Reserved Forest Block at village Khatia Narang, thereafter the eastern boundary of village Khatia Narang till it meets the continuation of the boundary of Kanha National Park till forest village Indri, thereafter the western boundary of forest village Indri till its junction with Bahmar nala and thereafter the continuation of the western boundary of Kanha National Park in Balaghat district till village Jhalup.

South—The southern boundary of Kanha National Park from village Jhalup to forest village Mukki and thereafter the nala forming southern boundary of Bhalasghat Reserved Forest Block along village Samnaph, thereafter the cut line forming boundary of the Bhalasghat Reserved Forest Block till the nala forming northwestern boundary of Bharis forest village, then continuation of this nala till Bhalasghat ridge, and thereafter the common boundary running west to east between Bhalasghat and Raigarh West Reserved Forest Block, till it meets the inter-district border between Balaghat and Rajnandgaon district near

वार किरासी एवं वीमडोगरी राजस्व ग्राम की दक्षिणी एवं पश्चिमी सीमा जब तक आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ७२७ एवं ७२८ की उभय सीमा से मिलती है, इसके बाद आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ७२७ और ७२६ की उत्तरी सीमा जब तक किरासी मिलवानी वन ग्राम से मिलती है इसके बाद किरासी मिलवानी वन ग्राम की पूर्वी एवं उत्तरी सीमा जब तक की आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ६७८ एवं ६७९ की उभय सीमा से मिलती है, इसके बाद आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ६७८ एवं ६७७ की पूर्वी सीमा जब तक निम्ना नामा से मिलती है, इसके बाद निम्ना नामा जब तक आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ६४४, ६७० और ६७१ की सीमाओं के चिरापर पर मिलता है इसके बाद आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ६६३ एवं ६६४ की उभय सीमा जब इस आरक्षित वन कोष्ठ और तन्दूआ आरक्षित वन की उत्तरी सीमा से मोहपाव राजस्व ग्राम को छू मिलाती है, इसके बाद तन्दूआ आरक्षित वन खंड की सीमा पश्चिमी की ओर जब तक कि वह राजस्व ग्राम कारीवाहा से बहने वाला नाला जो आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ६७९ एवं ६६० की उभय सीमा बनाता है, से मिलती है, इसके बाद राजस्व ग्राम कारीवाहा की दक्षिण सीमा फिर गरुपन नदी, इसके बाद आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ६७६ और ६१७ की उभय सीमा बनाने वाला नाला फिर वन ग्राम लमरीया की पूर्वी सीमा फिर आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ६१२ की पश्चिमी सीमा बनाने वाला नाला जब तक राजस्व ग्राम बटवार से मिलता है।

पश्चिम—राजस्व ग्राम बटवार की पूर्वी सीमा, फिर बटवार के छपरी जाने वाली पगडण्डों जो कि आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ६३० और ६४४ के बीच की सीमा बनाती है जब तक छपरी नाला से मिलती है, इसके बाद छपरी नाला जो कि आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ६३१ और ६४३ के बीच की सीमा बनाता है, छपरी नाला के उदय स्थान निम्ना नामा तक इसके बाद उत्तर से दक्षिण की ओर जाती निम्ना नामा की छत श्रृंखला फिर आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ६३१ एवं ६३२ की बीच सीमा बनाने वाला दूसरा नाला जब तक आरक्षित वन खंड तन्दूआ की दक्षिण सीमा से छटिया नारंगी राजस्व ग्राम के पास मिलता है, इसके बाद राजस्व ग्राम छटिया नारंगी की पूर्वी सीमा जब तक आरक्षित वन कोष्ठ क्रमांक ६९९ की उत्तरी सीमा से मिलती है और फिर वन कोष्ठ क्रमांक ६९१ की उत्तरी सीमा पश्चिम की ओर जाती हुई जब तक कि इन्द्री वन ग्राम से मिलती है, इसके बाद इन्द्री वन ग्राम की उत्तरी एवं पश्चिमी सीमा मण्डला एवं बालाघाट जिले की उभय सीमा बनाने वाले बाघमोर नाले से मिलती है, राजस्व ग्राम झुलम (बालाघाट जिला) तक, इसके बाद राजस्व ग्राम झुलम और सरैला की पूर्वी सीमा परसांटोना ग्राम तक।

दक्षिण—राजस्व ग्राम परसांटोना की मिलवानी कालेगाव, परापुर, मोहपाव, मालखंडी की उत्तरी सीमा पूर्व की ओर जाती हुई इसके बाद राजस्व ग्राम

मालखंडी और सापा की पूर्वी सीमा जब तक कि बंजर नदी से मिलती है, इसके बाद पूर्व की ओर बंजर नदी वन ग्राम मुचकी तक इसके बाद भयानघाट आरक्षित वन खंड की दक्षिणी सीमा बनाने वाला नाला जो कि भयानपुरा राजस्व ग्राम तक इसके बाद भयानघाट आरक्षित वन खंड की सीमा बनाने वाली कट लाइन जब तक कि नाला भारदा वन ग्राम की उत्तरी पश्चिमी सीमा बनाने वाले नाले तक भयानघाट की पूर्व श्रृंखला तक यही नाला चालू, इसके बाद आरक्षित वन खंड भयानघाट एवं रामपद पश्चिम के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हुई उभय सीमा जब तक वह वन ग्राम गरवाई के पास भयानघाट राजनांदगांव जिले के बीच की उभय सीमा से मिलती है, इसके बाद पूर्व की ओर जाती हुई बालाघाट एवं राजनांदगांव जिलों की अन्तर्जिला सीमा वन ग्राम छतरपुर तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. सेन, उपराज्यपाल

गोपाल, दिनांक २६ सितम्बर १९७६

क. १५-१३-७६-दस-२—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में इस विभाग की अधि-सूचना क्रमांक १५-१३-७६-२-दस, दिनांक २६ सितम्बर १९७६ का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्-द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. सेन, उपराज्यपाल

Bhopal, the 29th September 1976.

No. 15-13-76-X(2).—Whereas in consideration of the significance of protecting, propagating, and developing wild-life and its environment, the State Government vide Forest Department Notification No. 4023/1643-X-2-74, dated the 3rd September, 1974, had constituted, the area described in the Schedule to the said notification as **Sukhat Sanctuary** under Section 16 of the **wildlife (Protection) Act, 1972** (53 of 1972); and

Whereas the State Government is aware that the area comprising the said Sukhat Sanctuary has a high potential for development into a rich wildlife area, and that the said Sanctuary together with the Kanha National Park situated contiguous thereto constitute a wildlife tract of rare national significance, and further;

whereas the State Government is convinced that with intensive development under the Project Tiger, the area of the said Sanctuary has registered substantial improvement in the status of wildlife and that being contiguous with the Kanha National Park; the said sanctuary and the said national park form integral constituents of a single ecological unit, the preservation of which as a single unit is essential for the continued protection, propagation and development of wildlife and its environment in the tract;

(8)

Now, the effect of exercise of the powers conferred by section 5 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the State Government hereby adds, the area of 487.72 square kilometers of the Supkhar Sanctuary to the Kanha National Park, and defines the boundaries of the said National Park, as specified in the Schedule below:—

SCHEDULE

District	Mandla and Balaghat
Name of National Park	Kanha National Park
Area	939.94 square kilometers
<p>East—Starting in Chhatrapur forest village in Balaghat District the inter-district boundary running northwards between Balaghat and Rajnandgaon districts and continuing along Bilaspur—Jabalpur road till village Bhundogri in Mandla District.</p> <p>North—From Village Bhundogri the nala coming down from Katanguladar and forming common boundary between compartment No. 575 and 581 up to Katanguladar, and thereafter a nala going down as common boundary between compartment No. 574 and 576 till it meets Babin nala and thereafter Babin nala till a nala forming compartment boundary between 573 and 578 and thereafter this nala running east to west and meeting the Topla Reserved Forest Block boundary and thereafter the northern boundary of Topla Reserved Forest Block till it meets the Reserved Forest boundary of Ragiari West Block near Forest Village Kulla, thereafter the northern boundary of Ragiari West Forest Block till it meets the inter-district border between Balaghat and Mandla districts near village Manoharpur in Mandla district thereafter the western and northern boundaries of village Manoharpur till it again meets the inter-district border between Mandla and Balaghat districts, thereafter the inter-district border up to revenue village Kishi in Mandla district, thereafter the southern and western boundary of Kishi and Bhundogri village till it meets common boundary between Reserved Forest Compartment No. 727 and 728, thereafter the northern boundary of Compartment No. 727 and 726 till it meets the eastern boundary of forest village Kishi-Bhilwani thereafter the eastern and northern boundaries of Kishi-Bhilwani Forest Village till it meets the common boundary between Compartment No. 678 and 679, and thereafter the eastern boundaries of reserved Forest Compartment Nos. 678 and 677 till it meets Nigga nala, thereafter Nigga nala till the trijunction of Compartment Nos. 664, 670, and 671, thereafter the common boundary between compartment Nos. 663 and 664 till it meets the northern boundary of Tendu Reserved Forest Block near village Mohgaon, and thereafter the continuation westwards of the boundary of Tendu Reserved Forest Block till it</p>	

meets the nala flowing to village Katiwah, forming the common boundary between compartment Nos. 656 and 660, thereafter the southern boundary of village Katiwah, then river Surpan, thereafter the nala forming common boundary between compartment Nos. 656 and 657, thereafter the eastern and northern boundary of Khamaria forest village and then the nala forming western boundary of compartment No. 652 till village Batwar.

West—The eastern boundary of village Batwar and then the foot path Batwar to Chhapri forming compartment line between 650 and 644 till it meets Chhapri nala then Chhapri nala forming compartment line between 631 and 643 till its junction with Lingaladar, then ridge of Lingaladar running north to south, then another nala forming compartment line between 631 and 632, till it meets the southern boundary of Tendu Reserved Forest Block at village Khata-Narangi, thereafter the eastern boundary of village Khata-Narangi till it meets the northern boundary of Reserved Forest Compartment No. 691, thereafter the northern boundary westward of compartment No. 691 till it meets forest village Indri, thereafter the northern and the western boundaries of forest village Indri till its junction with Baghat nala forming inter-district border between Mandla and Balaghat districts until revenue village Jhulup in Balaghat district, then eastern boundary of village Jhulup and Sarekha till village Parsatola.

South—Northern boundaries running eastwards of village Parsatola, Bhilwani, Kalggaon, Farapur, Mohgaon, Malkheli and thereafter eastwards to junction of village Malkheli and Kape till it meets river Baaji, thereafter after river Baaji eastwards up to forest village Stukki, thereafter the nala forming southern boundary of Bhaisanghat Reserved Forest Block along village Samapur, thereafter the continuation forming boundary of the Bhaisanghat Reserved Forest Block till the nala forming north-western boundary of Bhanda forest village, then continuation of this nala till Bhaisanghat ridge, and thereafter the common boundary running west to east between Bhaisanghat and Ragiari West Reserved Forest Block, till it meets the inter-district border between Balaghat and Rajnandgaon districts near forest village Sukhadi and thereafter the continuation eastwards of the inter-district border between Balaghat and Rajnandgaon districts till forest village Chhatrapur in Balaghat district.

By order and in the name of the Government of Madhya Pradesh,
B. SEN, Dy. Secy.

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने
के लिए अनुमति-पत्र
क्र. भोपाल-505/उब्धु. पी.



(9)

पंजी क्रमांक भोपाल डिवाइज
122 (एम. पी.)

मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 11 जनवरी 1995—पौष 21; शके 1916

वन विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 1995

क्र. एफ. 14-46-92-न-दो—चूंकि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बढ़ते वन्यप्राणियों को सुरक्षा एवं वैज्ञानिक पूरक आवास सुनिश्चित करने साथ ही स्थानीय आदिवासी ग्रामीणों के जागोमूखी पर्यावरणीय परिस्थितिकी विकास कार्यों हेतु, कान्हा नेशनल पार्क के आस पास के प्रतिरोधक कटिबंध (बफर जोन) क्षेत्रों को फील्ड डायरेक्टर, प्रोजेक्ट टायगर (कान्हा) मण्डला के क्षेत्रीय एकीकृत प्रबंधन एवं नियंत्रण के अधीन रखना आवश्यक है;

अतः मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 16=16=76 (2); दिनांक 6 फरवरी 1977 के तहत अधिसूचित, बफर जोन क्षेत्र; प्रोजेक्ट टायगर, कान्हा के अंतर्गत "बफर जोन वन मण्डल" के रूप में घोषित किया जाता है;

परिणाम स्वरूप उक्त प्रोजेक्ट टायगर कान्हा अब "कान्हा टायगर रिजर्व" के नाम से, तथा "फील्ड डायरेक्टर" अब "कॉन्वेक्टर एवं फील्ड डायरेक्टर" पर नाम से, जाना जाएगा तथा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एवं उसके प्रतिरोधक-कटिबंध (बफर जोन) का प्रशासकीय एवं क्षेत्रीय नियंत्रण उनके अधीन रहेगा.

उप वन संरक्षक प्रभारी "बफर जोन वन मण्डल" दो उप वन मण्डलों के प्रभारी सहायक वन संरक्षक होंगे.

उक्त प्रतिरोधक कटिबंध के दो प्रभारी उप-वन संरक्षकों का पद नाम क्रमशः उपसंचालक, (बफर) एवं सहायक संचालक, बिछिया तथा मला जखंड रहेगा. इन्हें क्रमशः वन मण्डलाधिकारी, उप वन मण्डलाधिकारी के समतुल्य घोषित किया जाता है जो फारेस्ट गैजट तथा फारेस्ट ऑफिस नियम 1973 के तहत प्रावधानानुसार वन मंडलाधिकारियों-उप वन मंडलाधिकारियों को प्रदत्त समस्त प्रशासकीय प्रक्रियाओं एवं वित्तीय शक्तियों का निष्पादन करेंगे. जबकि क्षेत्रीय आदिवासी ग्रामीणों के जागोमूखी पर्यावरणीय परिस्थितिकीय विकास कार्यों को वन-क्षेत्रों एवं राजस्व ग्रामों दोनों में उक्त प्रबंध के अंतर्गत हाथ में लिया जावेगा, बफर जोन वन मण्डल के अंतर्गत आने वाले राजस्व ग्रामों का प्रशासकीय नियंत्रण-प्रभार, पूर्व अनुसार राजस्व प्रशासन के अधीन सुचारु रहेगा.

उक्त आदेश के तहत, पश्चिम (सामान्य) मंडला, पूर्व (सामान्य) मण्डला, उत्तर (सामान्य) बालाघाट एवं कवर्धा वन मण्डलों के वन-क्षेत्रों एवं पृथक से मण्डला एवं बालाघाट जिलों के राजस्व क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए केवल "बफर जोन वन मण्डल" का गठन किया गया है.

"कान्हा नेशनल पार्क" जो पूर्व में अधिसूचना क्रमांक 15=6=76 (2), दिनांक 29 सितम्बर 1976 के तहत अधिसूचित किया गया है, यथावत अपरिवर्तनीय रहेगा.

(10)

38

अध्यादेश राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 1995

अनुसूची

वृत्त का नाम (1)	जिला (2)	वनमंडल का नाम (मुख्यालय) (3)	क्षेत्रफल (वर्ग कि. मी.) (4)	उपवनमंडल का नाम (5)	परिक्षेत्र (मुख्यालय) (6)
---------------------	-------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

कान्हा छायागर रिजर्व	मण्डला	कान्हा नेशनल पार्क (मण्डला)	940	बंजर (असिस्टेंट डाय- रेक्टर बंजर) मुख्यालय किसली	1. किसली (किसली)
----------------------	--------	--------------------------------	-----	--	---------------------

2. कान्हा (कान्हा)

सदर	गैलागढ	सदर	सदर	हलीग (असिस्टेंट डाय- रेक्टर हलीग) मुख्यालय-बैहर	1. मुमकी (मुमकी) 2. गैलागढ (गैलागढ) 3. सुपखार (सुपखार)
-----	--------	-----	-----	---	--

सदर	मण्डला	2. कान्हा बफर जोन वनमंडल (मलाजखंड)	1004 (वन एवं राजस्व क्षेत्र)	असिस्टेंट डायरेक्टर (निष्ठियां)	1. सटिया (सटिया) 2. शिकोरा (शिकोरा)
-----	--------	--	------------------------------------	------------------------------------	--

एक वन मंडलों की सीमाओं का विवरण

वन मण्डल की सीमाओं का विवरण

(7)

(8)

उत्तर.—पश्चिम वन मण्डल (सामान्य) एवं पूर्व वन मण्डल (सामान्य) की वनमंडल सीमाएं.

उत्तर.—पश्चिम एवं पूर्व (सामान्य) वनमण्डलों की दक्षिणी सीमा फिर बालाघाट (सामान्य) वनमंडल के गढ़ी परिक्षेत्र (भाग) की पश्चिमी एवं दक्षिणी सीमाएं फिर गंडला जिले की दक्षिण-पश्चिमी सीमा.

पूर्व.—पूर्व वनमंडल/उत्तर बालाघाट सामान्य वन मंडलों की वन मंडल सीमाएं एवं बालाघाट की जिला सीमा.

पूर्व.—राजनांदगांव जिले की दक्षिण-पश्चिमी सीमा.

दक्षिण.—बालाघाट जिले की जिला सीमा.

दक्षिण.—राजनांदगांव जिले की जिला सीमा फिर उत्तर बालाघाट (सामान्य) वनमंडल के गढ़ी परिक्षेत्र (भाग) की दक्षिणी सीमा फिर बंजर नदी.

पश्चिम.—पश्चिम वन मण्डल की पूर्वी वन मण्डल सीमा.

पश्चिम.—उत्तर बालाघाट (सामान्य) वनमण्डल के पूर्व बैहुर-परिक्षेत्र की उत्तर-पश्चिमी सीमा फिर बालाघाट जिले की जिला सीमा फिर पश्चिम मण्डला (सामान्य) वनमण्डल की पूर्वी सीमा.

उत्तर.—बालाघाट जिले की उत्तरी एवं गंडला जिले की दक्षिणी सीमाएं फिर उत्तर बालाघाट (सामान्य) वनमंडल के गढ़ी परिक्षेत्र की दक्षिणी सीमा फिर गंडला जिले की दक्षिणी जिला सीमा.

पूर्व.—राजनांदगांव जिले की पश्चिमी सीमा.

दक्षिण.—राजनांदगांव जिले की जिला सीमा फिर उत्तर बालाघाट (सामान्य) वन मण्डल के गढ़ी परिक्षेत्र की उत्तरीय सीमा फिर बंजर नदी.

पश्चिम.—उत्तर बालाघाट (सामान्य) वनमंडल के पूर्व बैहुर परिक्षेत्र की परिक्षेत्र सीमा फिर बालाघाट गंडला जिले की जिला सीमाएं फिर पूर्व गंडला (सामान्य) वनमंडल की पूर्वी सीमा.

उत्तर.—पश्चिम मण्डला एवं पूर्व मण्डला (सामान्य) वनमंडलों की पुनर्गठित सीमाएं.

उत्तर.—पश्चिम मण्डला एवं पूर्व मण्डला (सामान्य) वनमंडलों की पुनर्गठित सीमाएं.

पूर्व.—फेन नदी.

पूर्व.—फेन नदी फिर कवर्धा (सामान्य) वनमंडल के रेंगाखार परिक्षेत्र की सीमा फिर तंनोर नदी फिर हलौन नदी.

32(2)

राज्यप्रवेश परीक्षा, दिनांक 11 जनवरी 1995

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कान्हा टायगर रिजर्व	बालाघाट	उ. गढ़ी (गढ़ी)

तदेव राजनादमांश

- 4. चित्तौरी (चित्तौरी)
- 5. रामनापुर (मलाजखंड)
- 6. बापा (नैहर)

राज्य (1995) के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए

राज्य (1995) के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए

(7)

(8)

7)

दक्षिण.—वान्हा नेशनल पार्क की सीमाएं एवं बालाघाट मण्डला जिलों की जिला सीमाएं.

दक्षिण.—कवर्धा (सामान्य) वनमण्डल के रेंगाखार परिक्षेत्र की पुनर्गठित सीमा फिर तन्नोर नदी फिर उत्तर बालाघाट (सामान्य) वनमण्डल के पूर्व बैहुर परिक्षेत्र की पुनर्गठित सीमा फिर बैहुर-मुमकी-गढ़ी लोक निर्माण विभागीय सड़क.

पश्चिम.—बंजर नदी एवं पश्चिम मण्डला (सामान्य) वनमण्डल की पुनर्गठित सीमा.

पश्चिम.—सहायक नदी तन्नोर का अनुसरण करती हुई बंजर नदी फिर पश्चिम मण्डला (सामान्य) वनमण्डल की पुनर्गठित सीमा.

8)

उत्तर.—मण्डला-बालाघाट जिलों की जिला सीमाएं, वान्हा नेशनल पार्क की दक्षिणी सीमाएं फिर मण्डला राजनंदगांव जिलों की जिला सीमाएं.

पूर्व.—सहिब नदी, कवर्धा (सामान्य) वनमण्डल के रेंगाखार परिक्षेत्र की पुनर्गठित सीमा.

दक्षिण.—उत्तर बालाघाट (सामान्य) वनमण्डल के गढ़ी परिक्षेत्र की पुनर्गठित सीमा फिर तन्नोर नदी फिर उत्तर बालाघाट (सामान्य) वनमण्डल के पूर्व बैहुर परिक्षेत्र की पुनर्गठित सीमा फिर बैहुर-मुमकी-गढ़ी लोक निर्माण विभागीय सड़क.

पश्चिम.—सहायक नदी तन्नोर का अनुसरण करती हुई बंजर नदी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. पंवार, उपसचिव.

32 नवम्बर 1995

पृष्ठ का नाम	जिला	पत्रिका का नाम (मुद्रणालय)	भारत (पत्रिका नं.)	उपकरण संख्या का नाम	परिचय (मुद्रणालय)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कागजात अभिलेख	बुधवार	कागजात अभिलेख (मुद्रणालय)	840	संख्या (प्रिन्टेड टाइप- केटर संख्या) मुद्रणालय	1. किशोरी (किशोरी)

2. मा-दा (कान्हा)

द्वारा, बाबाबाद, दरभंगा, पर्यटन, संतोष (प्रिन्टेड टाइप-
केटर संख्या)
मुद्रणालय-संख्या

1. मुद्रणी (मुद्रणी)
2. मैदानबाद
(मैदानबाद)
3. सुपचार
(सुपचार)

3. कागजात अभिलेख
जोन बननंदा
(पत्रिका संख्या)

1004
(दत्त एवं राधिका
संत)

प्रिन्टेड टाइप-
(किशोरी)

1. किशोरी
(किशोरी)
2. किशोरी
(किशोरी)

2 of 7

जब बंद नहरों की योजना का विवरण

जब बन्द नहरों की योजना का विवरण

(7)

(8)

उत्तर.—परिचय मन्त्रालय (आन्ध्र) एवं पूर्व मन्त्रालय (आन्ध्र) की सम्मेलन योजनाएं

उत्तर.—परिचय एवं पूर्व (आन्ध्र) मन्त्रालयों की योजनाएं और बालाघाट (आन्ध्र) मन्त्रालय की पूर्वी परिसर (आन्ध्र) की योजनाएं एक योजना के अंतर्गत विचार लवता जिसे को दक्षिण-पश्चिमी योजना

पूर्व.—पूर्व मन्त्रालय/उत्तर में आन्ध्र आन्ध्र प्रदेश नहरों की बंद नहरों को पूर्वी बालाघाट की जिला योजना

पूर्व.—राजगंडगांव जिला की दक्षिण-पश्चिमी योजना

दक्षिण.—बालाघाट जिले की जिला योजना

दक्षिण.—राजगंडगांव (अब की जिला) जिला और उत्तर बालाघाट (आन्ध्र) मन्त्रालय के पूर्वी परिसर (आन्ध्र) की योजनाएं विचार लवती

पश्चिम.—परिचय मन्त्रालय की पूर्वी बंद नहरों की योजना

पश्चिम.—उत्तर बालाघाट (आन्ध्र) मन्त्रालय के पूर्वी परिसर (आन्ध्र) की योजनाएं और बालाघाट जिला की जिला योजना और दक्षिण-पश्चिमी (आन्ध्र) मन्त्रालय की पूर्वी योजना

उत्तर.—बालाघाट जिले को उत्तर एवं मध्य में जिले को दक्षिणोत्तरी पूर्वी और उत्तर बालाघाट (आन्ध्र) मन्त्रालय की पूर्वी परिसर की दक्षिणी योजना किन्तु जिले की दक्षिणी योजना लाई न

पूर्व.—राजगंडगांव जिले की दक्षिण की योजना

दक्षिण.—राजगंडगांव जिले की जिला योजना और उत्तर बालाघाट (आन्ध्र) मन्त्रालय के पूर्वी परिसर की उत्तर पूर्वी योजना और उत्तर नदी

पश्चिम.—उत्तर बालाघाट (आन्ध्र) मन्त्रालय के पूर्वी परिसर की दक्षिणोत्तरी पूर्वी परिसर (आन्ध्र) मन्त्रालय की जिला योजना और उत्तर पूर्वी मन्त्रालय (आन्ध्र) मन्त्रालय की पूर्वी योजना

उत्तर.—परिचय मन्त्रालय एवं पूर्व मन्त्रालय (आन्ध्र) मन्त्रालयों की योजनाएं

उत्तर.—परिचय मन्त्रालय एवं पूर्व मन्त्रालय (आन्ध्र) मन्त्रालयों की योजनाएं

पूर्व.—कोन नदी

पूर्व.—कोन नदी और कदवा (आन्ध्र) मन्त्रालय के उत्तर पूर्वी परिसर की योजना और उत्तर नदी और उत्तर नदी

30/7



32(3)

समाप्त होने पर प्रमाणित किया जायेगा 11 मार्च 1995

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
किसी राज्य (राज्य)	समाप्त होने पर				प्रमाणित किया जायेगा

1. अर्थ : समाप्त होने पर

- 4. किसी (विवरण)
- 5. समाप्त होने पर
- (विवरण)
- 6. प्रमाण (प्रमाण)

4 of 7

18

मन्त्रपरिषद्, दिनांक 11 मार्च 1995

32 (2)

(8)

व्यक्तिगत - मन्त्रपरिषद् के सदस्यों के नामों का नामावली तैयार करने की प्रक्रिया की जाएगी।

व्यक्तिगत - मन्त्रपरिषद् के सदस्यों के नामों का नामावली तैयार करने की प्रक्रिया की जाएगी।

परिषद् - मन्त्रपरिषद् के सदस्यों के नामों का नामावली तैयार करने की प्रक्रिया की जाएगी।

परिषद् - मन्त्रपरिषद् के सदस्यों के नामों का नामावली तैयार करने की प्रक्रिया की जाएगी।

व्यक्तिगत - मन्त्रपरिषद् के सदस्यों के नामों का नामावली तैयार करने की प्रक्रिया की जाएगी।

परिषद् - मन्त्रपरिषद् के सदस्यों के नामों का नामावली तैयार करने की प्रक्रिया की जाएगी।

व्यक्तिगत - मन्त्रपरिषद् के सदस्यों के नामों का नामावली तैयार करने की प्रक्रिया की जाएगी।

परिषद् - मन्त्रपरिषद् के सदस्यों के नामों का नामावली तैयार करने की प्रक्रिया की जाएगी।

मन्त्रपरिषद् के सदस्यों के नामों का नामावली तैयार करने की प्रक्रिया की जाएगी।

श्री. के. वेंकटरावु

मन्त्रपरिषद्, मुद्रण तथा संवर्धन शाखा, मन्त्रपरिषद् द्वारा जारी की जाने वाली सूचनाओं को सही व वास्तविक रूप में प्रकाशित करने के लिए - 1995

5 47

भाग 1

समग्र देश लयपत्र, दिनांक 21 मार्च 1995

1137

वन विभाग

समाख्य, संस्थापन, जोषाद

श्रीवात, विभाग 3 मार्च 1995

पत्रिका-वन

क. पृष्ठ 1-40-92-का-2-वन विभाग की अधिसूचना नं. 15-10-92-वन-2, दिनांक 10 जनवरी 1995 को "नवम्बर" अंक में (अंक 10) कृपांक 16, दिनांक 11 जनवरी 1995 के पृष्ठ क्रमांक 31 के पृष्ठ क्रमांक 32 (2) तक प्रकाशित हुई है।

भारतीय प्रजासत्ताक (अनाधारण) मूल्य पृष्ठ-31

पृष्ठ-2 प्रथम आवृत्ति में अन्य

समाख्येक भारत वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14-61-76-वन-2, दिनांक 25 फरवरी 1977 पर आधारित

भारतीय प्रजासत्ताक वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 16-16-76 (2), दिनांक 5 जनवरी 1977 के स्थान पर

मूल्य पृष्ठ 31 का स्थान

उप वन संरक्षक प्रभारी "बकर जोन वन भंडार" के परचाल "वन" जोड़ कर पढ़ा जाए

द्वितीय पृष्ठ-5 प्रथम आवृत्ति

उपरोक्त प्रतिबंधक कटिबंध के परचाल "प्रभारी उप वन संरक्षक" जोड़ा जाये

पृष्ठ 31 पृष्ठ-2 (अंक 10)

प्रथम आवृत्ति में अन्य

"नवम्बर" अंक में प्रथम जो पृष्ठ में अधिसूचना क्रमांक 15-6-75-वन(2) के स्थान पर

न. प्र. शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 15-13-76-2-वन पढ़ा जाए

पृष्ठ क्रमांक 32 का पृष्ठ-2

प्रथम पत्रिका समाख्येक के स्थान पर काव्य नं-6

काव्य नं 6 के अनुसूचना 2 में निहित (अनाधारण) के स्थान पर "गद्दी" पढ़ा जाए

पृष्ठ क्रमांक 32 (1) काव्य नं. 7 के अधीन (बायाँ पंक्ति)

-वर्षिक-

परिचय वन भंडार के परचाल "सामान्य" जोड़कर पढ़ा जाए

उपरोक्त काव्य नं. 8 के तहत (बायाँ पंक्ति) के स्थान पर

-उपरो-

परिचय पृष्ठ 31 (सामान्य) वन भंडार की दक्षिणी सीमा फिर पढ़ना जिसे ही दक्षिण-पश्चिम सीमा फिर समाख्येक (सामान्य) वन भंडार के गद्दी परिचय (अनाधारण) की परिचय पृष्ठ दक्षिणी सीमा पर पढ़ा जाए

उपरोक्त (बायाँ पंक्ति)

-उपरो-

जोषादी पत्रिका में उल्लेखित "दक्षिणी सीमा फिर पढ़ना जिसे की" के परचाल "दक्षिणी" शब्द को निरूपित पढ़ना जाये तथा उसके स्थान पर "दक्षिण-पश्चिम" शब्दों को जोड़कर पढ़ा जाए

6 of 7

118

मध्य प्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 1995

पृष्ठ क्र. 32(1) काठमण्डु के तहत खरबंद भेरा	द्वितीय चरित में उल्लिखित "नन्दन नन्दार नदी" शब्दों को हटाना कर पढ़ा जाए।
मध्य प्रदेश राजपत्र पृष्ठ क्र. 32 (2)	श्रीमंत चरित, काठमण्डु 1 एवं 2 में उल्लिखित "नन्दन नन्दार नदी" के स्थान पर "असिन्दर नदी" तथा "असिन्दर नदी" के स्थान पर "असिन्दर नदी" लिखा जाए।
पृष्ठ क्र. 32 (3) काठमण्डु के तहत खरबंद भेरा (असिन्दर नदी)	द्वितीय चरित काठमण्डु 1 एवं 2 में उल्लिखित "नन्दन राजमण्डु" के स्थान पर "असिन्दर नदी" लिखा जाए।
पृष्ठ क्र. 32 (4) काठमण्डु के तहत खरबंद भेरा (असिन्दर नदी)	द्वितीय चरित में अक्षर गणित "नन्दार" के स्थान पर "असिन्दर" लिखा जाए।
पृष्ठ क्र. 32 (3) काठमण्डु के तहत (असिन्दर नदी)	द्वितीय चरित के स्थान पर "नन्दार नदी" को खरबंद नदी का अनुप्राण करनी है" लिखा जाए।
असिन्दर नदी के अंत में जोड़ा जाए-	द्वितीय चरित के स्थान पर "नन्दार नदी" को खरबंद नदी का अनुप्राण करनी है" लिखा जाए।

(उपर्युक्त शीर्षक एवं शब्दों में उल्लिखित मध्य प्रदेश राजपत्र नव संख्या 13-13-76-10 (2), दिनांक 29 मई 1976 तथा 14-61-76-2(2), दिनांक 26 फरवरी, 1977 में दिये गये शीर्षक शब्दों के अनुकार है)

TRUE COPY

Conservator & Field Director
Kanha Tiger Reserve
Mandla 481-661 (M.P.)

भोसल, दिनांक 7 जुलाई 1995

मध्य प्रदेश राजपत्र, दिनांक 30-08-93-दल-3-सूचीकरण-मध्य प्रदेश राज्य विधान (विधिविधान) अधिनियम, 1984 (संख्या 13, वर्ष 1984) के अन्तर्गत (1) द्वारा उक्त विधानों को प्रयोग में लाने हेतु राज्य सरकार द्वारा "मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण)" दिनांक 23 फरवरी, 1994 में प्रकाशित इस विभाग की हिन्दी अधिसूचना क्रमांक एफ. 30-56-93-दल-3, दिनांक 23 फरवरी 1994 से विधिविहित रूप में जारी है।

मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण)
क्रमांक, एफ. 30-56-93-10-3,
दिनांक 23 फरवरी, 1994 का पृष्ठ
(1)

अधिसूचना में प्रकाशित शब्द	शब्दों का
(2)	(3)
विल्वोर घुर	दिल्वोर घुर
काठमण्डु	काठमण्डु
विश्वरत	विश्वरत
भाकनी	भाकनी
असिन्दर	असिन्दर
810 दिवसीय	810 दिवसीय

126 (1) में, काठमण्डु (3) के अनुक्रमिक, 10, जिना बुन्दार
126 (2) में, काठमण्डु 3 के अनुक्रमिक 11 जिना धार

7 of 7

<p>परिमन - बजर जॉन वन इंडस्ट्रल के खांचा एव खाटिया परिकल्पना पूर्वी सीमा</p>	<p>उत्तर - बजर जॉन वन इंडस्ट्रल के गढ़ी परिकल्पना की दक्षिण सीमा (नखला एव बालाघाट जिला) की उत्तम सीमा</p>	<p>पूर्व - नखलाघाट एव छत्तीसगढ़ राज्यों की उत्तम सीमा</p>	<p>दक्षिण - नखलाघाट राज्यों की उत्तम सीमा</p>	<p>परिमन - बजर जॉन वन इंडस्ट्रल के खांचा परिकल्पना की पूर्वी सीमा</p>
<p>2 हालीन (बहर)</p>	<p>3 मुक्की (मुक्की)</p>	<p>4 नानाघाट (गढ़ी)</p>	<p>5 रूपखार (रूपखार)</p>	<p>सीमा बालाघाट व नखला से मिलती है इसके बाद अलाउद्दौला सीमा बालाघाट एव नखला जब तक किन्नरी राजस्व आन नखला जिला से मिलती है, इनके बाद किन्नरी एव सीमाखंडी राजस्व ग्राम कि दक्षिणी एव बरिचानी सीमा जब तक आरक्षित वन कोट प्रनाक 727 एव 728 की उत्तम सीमा से मिलती है इसके बाद आरक्षित वन कोट प्रनाक 727 और 728 की उत्तम सीमा जब तक किन्नरी-मिलवानी वनग्राम से मिलती है इसके बाद किन्नरी-मिलवानी वनग्राम की पूर्वी एव उत्तरी सीमा जब तक कि आरक्षित वन कोट प्रनाक 878 एव 879 की उत्तम सीमा से मिलती है, इसके बाद आरक्षित वन कोट प्रनाक 878 एव 879 की पूर्वी सीमा जब तक किना गाला से मिलती है, इनके बाद सिंगा नाला जब तक आरक्षित वन कोट प्रनाक 644, 870 और 871 की सीमाओं के विधान पर मिलता है इसके बाद आरक्षित वन कोट प्रनाक 683 एव 684 की उत्तम सीमा जब तक आरक्षित वन कोट और तैदुआ आरक्षित वन की उत्तरी सीमा से नौहगाव राजस्व ग्राम से प्राप्त मिलती है, इनके बाद तैदुआ आरक्षित वन खण्ड की सीमा परिचय की और जब तक कि यह राजस्व ग्राम काराबाड से बहने वाला नाला जो आरक्षित वन कोट प्रनाक 688 एव 689 की उत्तम सीमा बनाता है, से मिलती है, इसके बाद राजस्व ग्राम काराबाड की दक्षिण सीमा फिर सुपुंग नदी, इसके बाद आरक्षित वन कोट प्रनाक 658 और 659 की उत्तम सीमा बनाने वाला नाला फिर वनग्राम खनरिया की पूर्वी एव उत्तरी सीमा फिर आरक्षित वन कोट प्रनाक 652 की परिचयी सीमा बनाने वाला नाला जब तक राजस्व ग्राम बटवार से मिलता है</p>
<p>परिमन - बजर जॉन वन इंडस्ट्रल के खांचा एव खाटिया परिकल्पना की पूर्वी सीमा</p>	<p>उत्तर - बजर जॉन वन इंडस्ट्रल के गढ़ी परिकल्पना की दक्षिण सीमा (नखला एव बालाघाट जिला) की उत्तम सीमा</p>	<p>पूर्व - नखलाघाट एव छत्तीसगढ़ राज्यों की उत्तम सीमा</p>	<p>दक्षिण - नखलाघाट राज्यों की उत्तम सीमा</p>	<p>परिमन - बजर जॉन वन इंडस्ट्रल के खांचा परिकल्पना की पूर्वी सीमा</p>

परिमन - बजर जॉन वन इंडस्ट्रल के खांचा एव खाटिया परिकल्पना की पूर्वी सीमा

उत्तर - बजर जॉन वन इंडस्ट्रल के गढ़ी परिकल्पना की दक्षिण सीमा (नखला एव बालाघाट जिला) की उत्तम सीमा

पूर्व - नखलाघाट एव छत्तीसगढ़ राज्यों की उत्तम सीमा

दक्षिण - नखलाघाट राज्यों की उत्तम सीमा

परिमन - बजर जॉन वन इंडस्ट्रल के खांचा परिकल्पना की पूर्वी सीमा

उत्तर - बजर जॉन वन इंडस्ट्रल के गढ़ी परिकल्पना की दक्षिण सीमा (नखला एव बालाघाट जिला) की उत्तम सीमा

पूर्व - नखलाघाट एव छत्तीसगढ़ राज्यों की उत्तम सीमा

दक्षिण - नखलाघाट राज्यों की उत्तम सीमा

परिमन - बजर जॉन वन इंडस्ट्रल के खांचा परिकल्पना की पूर्वी सीमा

परिमन - बजर जॉन वन इंडस्ट्रल के खांचा परिकल्पना की पूर्वी सीमा

उत्तर - बजर जॉन वन इंडस्ट्रल के गढ़ी परिकल्पना की दक्षिण सीमा (नखला एव बालाघाट जिला) की उत्तम सीमा

पूर्व - नखलाघाट एव छत्तीसगढ़ राज्यों की उत्तम सीमा

दक्षिण - नखलाघाट राज्यों की उत्तम सीमा

परिमन - बजर जॉन वन इंडस्ट्रल के खांचा परिकल्पना की पूर्वी सीमा

परिमन - बजर जॉन वन इंडस्ट्रल के खांचा परिकल्पना की पूर्वी सीमा

<p>बाँझी पहाड़ियाँ जो कि आसित्त वन काट्ट प्रमाण 530 और 544 के बीच की पनती है जब तक छपरी नाला से मिलती है, इसके बाद छपरी नाला जो कि आसित्त वन काट्ट प्रमाण 531 और 543 के बीच की सीमा बनाता है छपरी नाला के उत्तरान स्थान सिंगा दावर तक इसके बाद उत्तर से दक्षिण की ओर जाती सिंगा दावर को पर्वत श्रृंखला फिर आसित्त वन काट्ट प्रमाण 531 एवं 532 की बीच सीमा बनाते वाला दूधारा नाला जब तक आसित्त वन काट्ट प्रमाण की दक्षिण सीमा से डाटिया-नारणी राजस्व ग्राम के पास मिलता है इसके बाद राजस्व ग्राम डाटिया-नारणी की पूर्वी सीमा जब तक आसित्त वन काट्ट प्रमाण 591 की उत्तरी सीमा से मिलती है और फिर वन काट्ट प्रमाण 594 की उत्तरी सीमा बरिचमन की ओर जाती हुई जब तक कि इन्दी वनग्राम की पश्चिमी चबदार नाले से मिलती है, राजस्व ग्राम कुजुम (शालाघाट जिला) तक, इसके बाद राजस्व ग्राम झुलप और करखा की पूर्वी सीमा परसाढीला ग्राम तक,</p>				
--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
<p>जाँझी टायगर रिजर्व</p>	<p>नण्डला यालाघाट</p>	<p>बर्फर झान वन नण्डला, काँझी टायगर रिजर्व (नण्डला)</p>	<p>974 (वन एवं राजस्व क्षेत्र)</p>	<p>1. निम्नास (नण्डला)</p>	<p>1. डाटिया (काटिया) 2. सिङ्गारा (सिङ्गारा) 3. गढी (गढी)</p>	<p>उत्तर - वनग्राम किंकरा के निकट से आई बहन नाले के अगुबरा जहाँ पर नण्डला-विल्ली राष्ट्रीय राज मार्ग के पार करता है, उसके पश्चात् नण्डला की ओर जाते ही नाले को पार करता राज मार्ग जहाँ पर, कि वह राजस्व ग्राम किंकरा के निकट यालाघाट-नण्डला जिले की अंतर्जिला सीमा से मिलता है, तत्पश्चात् नण्डला-यालाघाट अंतर्जिला सीमा से मिलती है, यह राजस्व ग्राम कराजिया, जिला नण्डला में शामिल नहीं है, उसके पश्चात् नण्डला जिले में राजस्व ग्राम कराजिया से सिङ्गारा की उत्तरी सीमा, फिर ग्राम गुजरा, नेवला और दुगारिया की दक्षिणी सीमा, उसके उपरांत राजस्व ग्राम नाझीपुर, कारही, कुजुमी, उकटीआ, नोइगाव एवं बंधला की उत्तरी सीमा, फिर राजस्व ग्राम काटगी और घाट की सीमा, जहाँ पर कि यह कुजुम (सुपुम) नदी से मिलती है, फिर कुजुम (सुपुम) नदी के अगुबरा उत्तर नाला को साथ साथ तर्क, उसके पश्चात् नाला नाला से ही पर कि यह वनग्राम नया-नागपुर की उत्तरी सीमा पर मिलती है, उसके पश्चात् राजस्व ग्राम गनरी, अरबकुआ, बनिपगाव, नाझीपुर एवं उकरडौह की दक्षिणी सीमाओं तक ।</p>	<p>उत्तर - वनग्राम किंकरा के निकट से आई बहन नाले के अगुबरा जहाँ पर नण्डला-विल्ली राष्ट्रीय राज मार्ग के पार करता है, उसके पश्चात् नण्डला की ओर जाते ही नाले को पार करता राज मार्ग जहाँ पर, कि वह राजस्व ग्राम किंकरा के निकट यालाघाट-नण्डला जिले की अंतर्जिला सीमा से मिलता है, तत्पश्चात् नण्डला-यालाघाट अंतर्जिला सीमा से मिलती है, यह राजस्व ग्राम कराजिया, जिला नण्डला में शामिल नहीं है, उसके पश्चात् नण्डला जिले में राजस्व ग्राम कराजिया से सिङ्गारा की उत्तरी सीमा, फिर ग्राम गुजरा, नेवला और दुगारिया की दक्षिणी सीमा, उसके उपरांत राजस्व ग्राम नाझीपुर, कारही, कुजुमी, उकटीआ, नोइगाव एवं बंधला की उत्तरी सीमा, फिर राजस्व ग्राम काटगी और घाट की सीमा, जहाँ पर कि यह कुजुम (सुपुम) नदी से मिलती है, फिर कुजुम (सुपुम) नदी के अगुबरा उत्तर नाला को साथ साथ तर्क, उसके पश्चात् नाला नाला से ही पर कि यह वनग्राम नया-नागपुर की उत्तरी सीमा पर मिलती है, उसके पश्चात् राजस्व ग्राम गनरी, अरबकुआ, बनिपगाव, नाझीपुर एवं उकरडौह की दक्षिणी सीमाओं तक ।</p>
							<p>पूर्व - नखरदंडर-छतीनागड राज्या की अंतर्जिला सीमा, तत्पश्चात् नण्डला जिले में फोन नदी के अगुबरा उत्तर नाले के अगुबरा निकट आई बहन नाले से मिलने तक</p>
							<p>दक्षिण - राजस्व ग्राम नारना तथा चडडार के उत्तरी भाग से स्थित नाले के अगुबरा उसके नाले के</p>

<p>नाथ संगम तक, उत्तक परकात गला जहाँ पर कि यह संगम चन्द्रा-भांगपुर की उत्तरी तीरा पर मिलता है, उत्तक परकात राजस्व ग्राम गरी, अन्तर्गत, यमियागाँव, मानिकपुर एवं उन्डोह की दक्षिणी तीराओं तक ।</p>	<p>पूर्व - मध्यप्रदेश-उत्तरांचल राज्यों की अंतरराज्यीय सीमा तत्पश्चात् पण्डला जिले में फौज नदी के अनुदिश उत्तक जिनार संगम के निकट गईं यहाँ नाथ में मिलने तक ।</p>	<p>दक्षिण - राजस्व ग्राम कोहका से विली की ओर जाने वाले देहर-चिली मार्ग पर स्थित राजस्व ग्राम बहनी, मारवा, मुदमा तथा सीमा की दक्षिणी तीरा, तत्पश्चात् बंजर नदी के अनुदिश बंजर नदी एवं जमुनिया नाथ के संगम तक, तत्पश्चात् पूर्व की ओर जाने वाला जमुनिया नाथ जहाँ पर कि यह कवर्धा जिले के बरबलपुर राजस्व ग्राम के निकट मध्यप्रदेश एवं उत्तरांचल राज्यों की अंतरराज्यीय सीमा में मिलता है ।</p>	<p>पश्चिम - राजस्व ग्राम उन्डोह के राजस्व ग्राम छिछारी, बरगाव, जौली और विली की पूर्वी तीराओं तक जहाँ पर यह बंजर नदी के मिलती है, तत्पश्चात् बंजर नदी के अनुदिश बरबलपुर पर कि यह पण्डला और बालाघाट जिलों की अंतर्जिला सीमा को बालाघाट जिले के राजस्व ग्राम खरलाजी के निकट पार करता है ।</p>
<p>पण्डला-बालाघाट जिलों की अंतर्जिला सीमा, तत्पश्चात् कांडा राष्ट्रीय उद्यान की पश्चिम एवं उत्तरी तीरा ।</p>	<p>पश्चिम - राजस्व ग्राम उन्डोह के राजस्व ग्राम छिछारी, बरगाव, जौली और विली की पूर्वी तीराओं तक जहाँ पर यह बंजर नदी के मिलती है, तत्पश्चात् बंजर नदी के अनुदिश बरबलपुर पर कि यह पण्डला और बालाघाट जिलों की अंतर्जिला सीमा को बालाघाट जिले के राजस्व ग्राम खरलाजी के निकट पार करता है ।</p>	<p>उत्तर - कांडा राष्ट्रीय उद्यान की दक्षिणी सीमा, तत्पश्चात् धनवार एवं नाचना राजस्व ग्रामों की उत्तरी सीमा पर स्थित बालाघाट-पण्डला जिलों की अंतर्जिला सीमा जहाँ यह बंजर नदी में मिलती है ।</p>	<p>पूर्व - मध्यप्रदेश-उत्तरांचल राज्यों की अंतरराज्यीय सीमा ।</p>
<p>2. नालाजण्ड (बिहार)</p>	<p>4. थाम (बिहार)</p>	<p>5. चन्द्रपुर (नालाजण्ड)</p>	<p>दक्षिण - राजस्व ग्राम कोहका से विली की ओर जाने वाले देहर-चिली मार्ग पर स्थित राजस्व ग्राम बहनी तक, तत्पश्चात् राजस्व ग्राम बहनी, मारवा, मुदमा तथा सीमा की दक्षिणी तीरा, तत्पश्चात् बंजर नदी के अनुदिश बंजर नदी एवं जमुनिया नाथ के संगम तक, तत्पश्चात् पूर्व की ओर जाने वाला जमुनिया नाथ जहाँ पर कि यह कवर्धा जिले के बरबलपुर राजस्व ग्राम के निकट मध्यप्रदेश एवं उत्तरांचल राज्यों की अंतरराज्यीय सीमा में मिलता है ।</p>
<p>पश्चिम - राजस्व ग्राम उन्डोह के राजस्व ग्राम छिछारी, बरगाव, जौली और बंजर नदी के मिलती है, तत्पश्चात् बंजर नदी के अनुदिश बंजर तथा तन्पार नदियों के संगम तक, तत्पश्चात् तन्पार नदी के अनुदिश जहाँ पर देहर-चिली मार्ग राजस्व ग्राम कोहका के निकट तन्पार नदी की पार करता है, तक ।</p>	<p>पश्चिम - राजस्व ग्राम उन्डोह के राजस्व ग्राम छिछारी, बरगाव, जौली और बंजर नदी के मिलती है, तत्पश्चात् बंजर नदी के अनुदिश बंजर तथा तन्पार नदियों के संगम तक, तत्पश्चात् तन्पार नदी के अनुदिश जहाँ पर देहर-चिली मार्ग राजस्व ग्राम कोहका के निकट तन्पार नदी की पार करता है, तक ।</p>	<p>पश्चिम - राजस्व ग्राम उन्डोह के राजस्व ग्राम छिछारी, बरगाव, जौली और बंजर नदी के मिलती है, तत्पश्चात् बंजर नदी के अनुदिश बंजर तथा तन्पार नदियों के संगम तक, तत्पश्चात् तन्पार नदी के अनुदिश जहाँ पर देहर-चिली मार्ग राजस्व ग्राम कोहका के निकट तन्पार नदी की पार करता है, तक ।</p>	<p>पश्चिम - राजस्व ग्राम उन्डोह के राजस्व ग्राम छिछारी, बरगाव, जौली और बंजर नदी के मिलती है, तत्पश्चात् बंजर नदी के अनुदिश बंजर तथा तन्पार नदियों के संगम तक, तत्पश्चात् तन्पार नदी के अनुदिश जहाँ पर देहर-चिली मार्ग राजस्व ग्राम कोहका के निकट तन्पार नदी की पार करता है, तक ।</p>

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा अंतराज्यीय

श्री. कृ. किन्हाल

अपर सचिव

CC-0-80
KTR MANUSCRIPT

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	कसबा	118.70	179.85	127.70	193.50
5	बड़ियाखेड़ी	92.15	139.60	99.15	150.25

क्र. 15-48-2008-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 93, 94(2), 95, 96, 97(1), 98(2) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (तेरह), (चौदह), (पन्द्रह), (सोलह), (सत्रह) तथा (अठारह) के अधीन बनाये गये नियमों के नियम 29 के पठित उक्त संहिता की धारा 97 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में उल्लेखित तथा वर्णित जिला-सीहोर के खण्डों (ब्लाकों) के संबंध में उक्त सारणी के कालम (3), (4), (5) तथा (6) को तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लेखित कर निर्धारण की मानक दर प्रकाशित करता है, जिन्हें राज्य शासन ने उक्त नगर को ऐसी भूमि पर कर निर्धारण के लिये अनुमोदित किया गया है जो वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रयोजनों और आवास गृहों के लिये या ऐसे समान प्रयोजनों के लिये जो कृषि भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग में लाई जाती है :—

क्रमांक	समूह एवं नगर का नाम	प्रति 100 वर्गफीट के हिसाब से निर्धारण मानक दर		प्रति 10 वर्गमीटर के हिसाब से निर्धारण मानक दर	
		निवासार्थ	व्यापारार्थ	निवासार्थ	व्यापारार्थ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सेजावता	11.75	17.65	12.35	18.55

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सभाजीत यादव, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2009

क्र. एफ 25-17-08-दस-3.—इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ. 14-46-92-दस-दो, दिनांक 10 जनवरी 1995 द्वारा कान्हा टायगर रिजर्व के अन्तर्गत कान्हा राष्ट्रीय उद्यान वनमण्डल एवं अधीनस्थ उपवनमण्डलों के गठन को घोषित करते हुये अधिसूचित किया गया था. कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अधीनस्थ उप वनमण्डलों का पुनर्गठन नीचे दर्शाए अनुसार तत्काल प्रभाव से अधिसूचित किया जाता है. इस पुनर्गठन से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पूर्व में अधिसूचित क्षेत्रफल एवं सीमाओं में कोई अंतर नहीं आवेगा :-

वृत्त का नाम	जिले का नाम	वनमण्डल का नाम	उप वनमण्डल का नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.	सम्मिलित परिक्षेत्र का नाम एवं मुख्यालय	उप वनमण्डल की सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मध्यवृत्त, जबलपुर (कान्हा टायगर रिजर्व मण्डला)	मण्डला	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान (कोर जोन) मुख्यालय	फेन अभ्यारण्य, उप वनमण्डल मुख्यालय	339.828	1. सूपखार 2. फेन अभ्यारण्य	उत्तरी सीमा—सूपखार परिक्षेत्र में बफरजोन वन मण्डल के गढ़ी परिक्षेत्र की दक्षिणी सीमा रेखा एवं 1 अभ्यारण्य वन कोष्ठ क्र. 509 की उत्तरी सीमा इसके बाद साजालगान वन ग्राम की उत्तरी सीमा जो कि वन कोष्ठ क्र. 508 (अ) और 507(द्वारा बनती है. इसके बाद वन कोष्ठ क्र. 507(की उत्तरी सीमा फिर वनकोष्ठ क्र. 488 की सीमा, इसके बाद वन कोष्ठ क्र. 488, 489, 4

(26)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

की उत्तरी सीमा, 492 की उत्तर-पश्चिम सीमा एवं 493, 494 की उत्तरी सीमा फिर वन कोष्ठ क्र. 494 की पश्चिमी सीमा इसके बाद वन कोष्ठ क्र. 500 एवं 499 की उत्तरी सीमा.

पूर्वी सीमा—सूपखार परिक्षेत्र में बफर जोन वन मंडल की पश्चिमी सीमा रेखा तथा फेन अभयारण्य के वन कोष्ठ क्र. 449, 492(अ), 510(अ), 509(अ) की पूर्वी सीमा जो मंडला एवं कंबोर्धा जिले की अन्तर सीमा रेखा बनाती है.

दक्षिणी सीमा—सूपखार परिक्षेत्र में बफरजोन वनमंडल के मलाजखण्ड उप वनमंडल के समनापुर परिक्षेत्र की उत्तरी सीमा रेखा. फेन अभयारण्य की वन कोष्ठ क्र. 523, 520, 519, 517 एवं 516 जो दक्षिणी सीमा एवं वन कोष्ठ क्र. 514 की पश्चिमी सीमा फिर वनकोष्ठ क्र. 445, 446, 447, 450(अ) एवं 449 की दक्षिणी सीमा जहां तक कि वन कोष्ठ क्र. 449 की पूर्वी सीमा से मिलती है.

पश्चिमी सीमा—प्रस्तावित हालोन उपवनमण्डल के भैसानघाट परिक्षेत्र की पूर्वी सीमा सूपखार परिक्षेत्र के पश्चिमी सीमा रेखा से मिलती है, शेष बफर जोन वनमण्डल के समनापुर परिक्षेत्र की पूर्वी सीमा रेखा एवं फेन अभयारण्य के वन कोष्ठ क्र. 499, 521, 523 की पश्चिमी सीमा रेखा.

बंजर उप वन मण्डल मुख्यालय किसली 406.548 1. किसली
2. कान्हा
3. सरही

उत्तरी सीमा—बफर जोन वनमण्डल के सिझौरा उप वनमंडल के सिझौरा परिक्षेत्र की दक्षिणी सीमा रेखा.

पूर्वी सीमा—बफर जोन वन मंडल की पश्चिमी सीमा रेखा, इसके बाद हालोन उप वनमंडल की पश्चिमी सीमा रेखा.

दक्षिणी सीमा—प्रस्तावित हालोन उप वन मंडल के मुवकी परिक्षेत्र की उत्तरी सीमा रेखा.

पश्चिमी सीमा—बफर जोन वन मंडल के सिझौरा उप वन मंडल के खटिया परिक्षेत्र की पूर्वी रेखा.

हालोन उप वन मण्डल मुख्यालय मुवकी 306.120 1. मुवकी
2. भैसानघाट

उत्तरी सीमा—बफर जोन वनमण्डल के गढ़ी परिक्षेत्र की दक्षिणी सीमा रेखा एवं प्रस्तावित बंजर उप वनमंडल के किसली एवं कान्हा परिक्षेत्र की दक्षिणी सीमा रेखा.

पूर्वी सीमा—प्रस्तावित फेन-उप-वन मंडल की पश्चिमी सीमा रेखा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						दक्षिणी सीमा—बफर जोन वन मंडल के मलाजखण्ड उप वन मंडल के खापा एवं सभगापुर परिक्षेत्र की उत्तरी सीमा रेखा.
						पश्चिमी सीमा—बफर जोन वन मंडल के सिड़ौरा उप वन मंडल के खटिया परिक्षेत्र की दक्षिणी सीमा रेखा एवं मलाजखण्ड उप वन मंडल के खापा परिक्षेत्र की उत्तरी-पूर्वी सीमा रेखा.
				योग	1052.496	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, सचिव.

वर्तमान तथा प्रस्तावित स्थिति कान्हा टायगर रिजर्व, मण्डला (म.प्र.)

अनु. क्र.	वन मंडल का नाम	वर्तमान स्थिति				प्रस्तावित स्थिति				
		सम्मिलित उप वन मंडल का नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में	सम्मिलित परिक्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में	वन मंडल का नाम	सम्मिलित उप वन मंडल का नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में	सम्मिलित परिक्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान (कोर जोन वन मंडल), मण्डला.	बंजर	517.252 Sq.K.M.	1. किसली 2. कान्हा 3. फेन-अभ्यारण्य	138.955 267.502 110.704	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान (कोर जोन वन मंडल), मण्डला.	बंजर	406.548	1. किसली 2. कान्हा 3. सरही	138.955 121.668 145.925
		हालोन	535.244 Sq.K.M.	1. सूपखार 2. भैसानघाट 3. मुवकी	229.124 173.119 133.001	फेन हालोन	339.828 306.120	1. फेन अभ्यारण्य 2. सूपखार 1. भैसानघाट 2. मुवकी	110.704 229.124 173.119 133.001	
									योग	1052.496

भांपाल, दिनांक 13 जनवरी 2009

क्र. एफ-25-17-08-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-17-08-दस-3, दिनांक 13 जनवरी 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, सचिव.

Bhopal, the 13th January 2009

No. F. 75-17-08-X-3.---Vide this department notification No. F. 14-46-92-Ten-Two, dated 10th January 1995, the constitution of the Kanha National Park Division and sub-divisions therein under the Kanha Tiger Reserve was declared and notified. The reorganization of the sub-divisions under the Kanha National Park is hereby notified with immediate effect. This reorganization will have no effect on the area and boundaries of the Kanha National Park notified earlier :—

Name of Circle	Name of District (Head-quarters)	Name of Division (Head-quarters)	Name of Sub-division (Head-quarters)	Area (In Sq.k.m.)	Name and Headquarters of Forest Ranges included	Description of Sub-divisional Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Central Circle, Jabalpur (Kanha Tiger Reserve, Mandla).	Mandla (Mandla)	Kanha National Park (Core Zone) (Mandla)	Phen Wildlife Sanctuary (Garhi)	339.828	1. Supkhar 2. Phen WLS	<p>Northern Boundary—The southern boundary of the Garhi range of the Buffer Zone in the Supkhar range and the northern boundary of the compartment No. 509 of the Phen WLS, thereafter the northern boundary of the Sajalagan forest village formed by the compartment Nos. 508(A) & 507(B). Then the northern boundary of the compartment No. 507(A), and the eastern boundary of compartment No. 488 thereafter the northern boundary of the compartment Nos. 488, 489, 471 the north-western boundary of the compartment No. 492 and the northern boundary of the compartment Nos. 493, 494, then the western boundary of the compartment No. 494, thereafter the northern boundaries of the compartment Nos. 500 & 499.</p> <p>Eastern Boundary—The western boundary of the Buffer Zone division in the Supkhar range and the eastern boundaries of the compartment Nos. 449, 492(A), 510(A), 509(A) of the Phen Wildlife Sanctuary that forms interdistrict boundary of the Mandla & Kawardha districts.</p> <p>Southern Boundary—The northern boundary of the Samnapur range of the Malanjkhanda sub-division under the Buffer Zone division in the Supkhar range. The southern boundary of the compartment Nos. 523, 520, 519, 517 & 516, and the western boundary of the compartment No. 514, then the southern boundary of the compartment Nos. 445, 446, 447, 450(A) and 449 upto where it joins the eastern boundary of compartment No. 449.</p>

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Banjar	406.548	1. Kisli
Sub-division		2. Kanha
		3. Sarhi
Kisli		

Western Boundary—The eastern boundary of the Bhaisanghat range under the proposed halon sub-division, which meets the western boundary of Supkhar range, the eastern boundary of the Samnapur range in the rest of the Buffer Zone division and the western boundaries of the compartment Nos. 499, 521, 523..

Northern Boundary—The southern boundary of the Sijhora range of the Sijhora sub-division under the Buffer Zone division.

Eastern Boundary—The western boundary of the Buffer Zone division, thereafter the western boundary of the Halon sub-division.

Southern Boundary—The northern boundary of the Mukki range of the proposed Halon sub-division.

Western Boundary—The eastern boundary of the Khatia forest range of the Sijhora Sub-division of the Buffer Zone Division.

Halon	306.120	1. Mukki
Sub-division		2. Bhaisan-
Mukki		ghat.

Northern Boundary—The southern boundary of the Garhi forest range of the Buffer Zone Division and the southern boundaries of the Kisli and Kanha ranges under the proposed Banjar Sub-division.

Eastern Boundary—The western boundary of the proposed Phen sub-division.

Southern Boundary—The northern boundary of the Khapa and Samnapur forest ranges of the Malanjkhanda Sub-division in the Buffer Zone Division.

Western Boundary—The southern boundary of the Khatia range of the Sijhora sub-division and the north-eastern boundary of the Khapa range of the Malanjkhanda sub-division in the Buffer Zone division.

Total . . . 1052.496

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATAN PURWAR, Dy. Secy.

Present and proposed Situation Kanha Tiger Reserve, Mandla (M.P.)

Present Situation						Proposed Situation				
S.No.	Name of Division	Name of Included sub-division	Area (In Sq.Km.)	Name of the included Range	Area (In Sq.Km.)	Name of Division	Name of Included sub-division	Area (In Sq.Km.)	Name of the included Range	Area (In Sq.Km.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kanha National Park (Core Zone Division), Mandla.	Banjar	517.252 Sq.Km.	1. Kisli 2. Kanha 3. Phen Wildlife Sanctuary.	138.955 267.593 110.704	Kanha National Park (Core Zone Division), Mandla.	Banjar	406.548	1. Kisli 2. Kanha 3. Sarhi	138.955 121.668 145.925
		Halon	535.244 Sq.Km.	1. Supkhar 2. Bhaisanghat 3. Mukki	229.124 173.119 133.001		Phen	339.828	1. Phien WLS 2. Supkhar	110.704 229.124
							Halon	306.120	1. Bhaisanghat 2. Mukki	173.119 133.001
									Total	1052.496

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश

छतरपुर, दिनांक 3 जनवरी 2009

क्र. 01-एस.सी. 1-09.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-2-1999-4, दिनांक 30 मार्च, 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के अनुसार जिले के भीतर तीन स्थानीय अवकाशों की घोषणा करने के लिये अधिकृत किया गया है.

अतः सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 अनुक्रमांक 4 की कंडिका 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, उमाकांत उमराव, कलेक्टर, जिला छतरपुर वर्ष 2009 के लिये जिलान्तर्गत उनके नाम के समक्ष में दर्शाई गई तारीखों को पूरे दिन के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :-

क्रमांक	अवकाश का दिनांक	अवकाश का दिन	पर्व	विशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	14-1-2009	बुधवार	मकर संक्रांति	
2	18-9-2009	शुक्रवार	पितृमोक्ष अमावस्या	
3	19-10-2009	सोमवार	गाईदूज (दीपावली)	

उमाकांत उमराव, कलेक्टर

कार्यालय कलेक्टर, जिला बालाघाट मध्यप्रदेश

बालाघाट, दिनांक 9 जनवरी 2009

क्र. 312-स.व.लि.-2008.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2-1999-1-4, भोपाल दिनांक 30 मार्च, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, गुलशन बामरा, कलेक्टर, बालाघाट वर्ष 2009 में जिला बालाघाट जिला के लिए निम्नांकित तिथियों को

स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :-

क्रमांक	स्थानीय अवकाश	स्थानीय अवकाश दिनांक	स्थानीय अवकाश दिन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मकर संक्रांति	14-01-2009	बुधवार
2	नारबोद	21-08-2009	शुक्रवार
3	गाईदूज	19-10-2009	सोमवार

यह अवकाश कोषालय/बैंकों पर लागू नहीं होगा.

गुलशन बामरा, कलेक्टर

कार्यालय कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय), जिला बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 10 जनवरी 2009

क्र. फ-नि.सा.सा.वि.-2009-62-संशोधित अधिसूचना-क्र. 63-मण्डी निर्वाचन-2006.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (5) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, करलिन खोंगवार देशमुख, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), बुरहानपुर, कृषि उपज मण्डी समिति, बुरहानपुर के लिये एतद्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करती हूँ :-

क्रमांक	नाम निर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता	प्रतिनिधि	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री दिनेश पंतार, खण्डवा.	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खण्डवा.	11(1) (ग)
2	श्रीमती कुसुमबाई जयराम, बम्वाडा.	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खण्डवा.	11(1) (ड)
3	श्री मोहन पुण्डलिक पाटील, निवारसी रिट्यांव.	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खण्डवा.	11(1) (झ)

करलिन खोंगवार देशमुख, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

बान्धवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान

1993/10/2/1993
14/1/1994

(B1)

F.No.1-3/12-37
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS
NEW DELHI

Annexure No. 3, Sikander House,
Sardarjan Road, New Delhi-110011,
Dated the 3rd January, 1993.

To
The Forest Secretary,
Government of Madhya Pradesh,
Department of Forests,
Bhopal (MP)

Subject: - Establishment of Bhandhavgarh Tiger Reserve
Madhya Pradesh.

Sir,

I am directed to convey the approval of the Government of India for establishment of a Tiger Reserve under the Centrally Sponsored Scheme "Project Tiger" over 1161.471 Sq. kms area in District Umaria, Sargol (MP) as per proposal received from the State Government of Madhya Pradesh vide their letter No. F-14/21/x-2/92, dated 19.6.1992. The 624.752 Sq. kms area of the Tiger Reserve will be managed as the Core area and no forestry operations, grazing or any other developmental activities will be permitted within the core area. The remaining area will be managed as the buffer area under the Project Tiger Reserve. The entire area of designated Bhandhavgarh Tiger Reserve under "Project Tiger", may please be placed under the unified control of a Field Director of the level of Conservator of Forests and, the name and bio-data of the incumbent for the post may be sent to this office for approval. A copy of the guide lines for execution of the Project Tiger by the State is enclosed for your guidance.

P15/2/1
L/11/11/1
2/1/11/1

The Government of India will provide 50% financial assistance for approved recurring items and 100% financial assistance for non-recurring items.

Necessary A.F.O for the balance period of 1993-94 please be submitted for necessary action from this end.

A copy of the State Government's order declaring Bhandhavgarh area as Tiger Reserve under Project Tiger Scheme may kindly be sent for record.

Encl: As stated

Yours faithfully,

(Signature)

(M. K. GHOSH)
DIRECTOR, PROJECT TIGER.

- Copy with copy of guidelines, for information and necessary action:-
1. The Principal Chief Conservator of Forests, Bhopal (MP).
 2. The Chief Wildlife Warden, Bhopal (MP).

(M. K. GHOSH)
DIRECTOR, PROJECT TIGER.

(32)

Extension Area—Part—III

SCHEDULE

District—Shahdol.
 Forest Division—Umaria.
 Forest Ranges—Dhamokhar and Manpur.
 Name of National Park—Bandhavgarh National Park.
 Area—74 Sq. Km.

Boundaries

- (A) Boundary of Bandhavgarh National Park on three sides.
 West—Cut line from pillar No. 270 to 284 of Tala Reserve.
- (B) Boundary of Bandhavgarh National Park on three sides.
 West—Cut line from pillar No. 241 to 269 of Tala Reserve.
- (C) Boundary of Bandhavgarh National Park on three sides.
 West—Cut line from pillar No. 201 to 222 of Tala Reserve.
- (D) Boundary of Bandhavgarh National Park on three sides.
 East—Cut line from pillar No. 421 to 433 of Tala Reserve.
- (E) Boundary of Bandhavgarh National Park on three sides.
 East—Cut line from pillar No. 434 to 476 of Tala Reserve.
- (F) Boundary of Bandhavgarh National Park on three sides.
 East—Cut line from pillar No. 477 to 496 of Tala Reserve.

Extension Area

(1)	(2)
Part I	110.74 Sq. Km.
Part II	220.58
Part III	408.74
	+ 74
TOTAL	814.20 Sq. Km.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
 J. B. BAL, Dy. Secy.

Revised cut line from pillar No. 51 of paras Reserve to pillar No. 129 of Garhpuri reserve, boundary of compartment No. 363, boundary of compartment Nos. 361, 357, 356, 355, 351 of Dudraodl Reserve and boundary of compartment Nos. 9 and 10 of Tala Reserve of Chandia Range.

West—Boundary of compartment Nos. 5, 6 and 7 of Dudraodl Reserve Chandia Range of Umaria Division upto Umar river.

Extension area—Part—II

SCHEDULE

District—Shahdol.
 Forest Division—Umaria Forest Division.
 Forest Ranges—Manpur and Dhamokhar.
 Name of National Park—Bandhavgarh National Park.
 Area—209.74 Sq. Km. 220.58 Sq. Km.

Boundaries

- North—Boundary of Bandhavgarh National Park, boundary of compartment Nos. 281, 282, 283, 284, 285, 286 and 287 of Bandhavgarh Reserve of Umaria Division.
- East—Boundary of compartment Nos. 288, 278, 265, 266, 256, part of 255, 245 and 242 of Bandhavgarh Reserves, boundary of compartment No. 230 of Rohania Reserve, cut line from pillar No. 234 of Rohania Reserve to pillar No. 250, boundary of compartment No. 232.
- South—Boundary of compartment No. 222, cut line from pillar No. 282 of 290 of Rohania Reserve, boundary of compartment Nos. 221, 220, 219, 218 and 233.
- West—Boundary of compartment No. 199 of Bandhavgarh Reserve, cut line from pillar No. 45 to 52 of Bandhavgarh Reserve, boundary of compartment Nos. 246, 257, 267, 268, cut line from pillar No. 1 of Bandhavgarh Reserve to pillar No. 106 of Tala Reserve, boundary of compartment Nos. 291, 290, cut line from pillar No. 155 to 181 of Tala Reserve, boundary of compartment Nos. 293 and 294 upto Bandhavgarh National Park.

Bhopal, the 11th May 1982

No. 14-2-82-X-2. WHEREAS the State Government Consider that area specified in the schedules below is adequate and significant for the purpose of protecting, propagating and developing wild life and its environment;

Now, therefore in exercise of powers conferred by section 35 (1) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), Government of Madhya Pradesh, hereby declare its intention to include the area specified in the schedule below, into the Bandhavgarh National Park and constitute as National Park.

Extension Area - Part I

SCHEDULE

District—Jabalpur and Shahdol.
Forest Division—Jabalpur and Umaria.
Forest Range—Bachi, Panpalia, Dhama-khar and Chanda.
Name of National Park—Bandhavgarh National Park.
Area 110.72 Sq. Km.

Boundaries

North.—Upper river boundary of compartment Nos. 52 & 65 of Khatauli Reserve, Bachi Range of Jabalpur Division, Shahdol district boundary, boundary of compartment No. 58 of Khatauli Reserve, Bhatnagar range to P. W. D. Road junction, out line upto junction of boundaries of compartment Nos. 59, 60 & 61, out upto junction of compartment boundary of compartment Nos. 376, 379 and 385 compartment boundaries of compartment Nos. 379, 381, 385, 386, 381, 378, 376 and 277 of Deoha blocks of Umaria Division.

East.—Boundary of Bandhavgarh National Park.

South.—Boundary of compartments No. 36 of Mahaman Reserve of Umaria Division, boundary of Protected Forest Block No. 190 (Mahaman), boundary of compartment No. 363 of Paras

Left column containing Hindi text, including a table with columns (1) and (2) and rows 1, 2, 3.

Bottom left section containing Hindi text, including a date '11 मई 1982' and a signature.

35

TEL :

DATE: 08.03.12 15:57 P002

Panna M.P.

भारत प्रवेश राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2007

क्र० एफ. 15-31-2007-दस-2-रौंकि, राज्य शासन का यह मत है कि नीचे दिये गये परिशिष्ट में निर्दिष्ट क्षेत्र बाघ, अन्य मांसारि वन्यप्राणियों तथा उनके रहवास एवं पर्यावरण के संरक्षण के प्रयोजन के लिये पर्याप्त महत्व का होश के कारण इसे अक्षुण्य बनाया जाना आवश्यक है।

राज्य शासन एतद द्वारा इस क्षेत्र को वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा-संशोधित 2006) की धारा 38 V द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये निम्न परिशिष्ट में दर्शाये गये क्षेत्रों को पन्ना टाईगर रिजर्व का कोर क्षेत्र घोषित करता है :-

परिशिष्ट

जिला	-	पन्ना एवं छतरपुर
संरक्षित क्षेत्र	-	पन्ना राष्ट्रीय उद्यान एवं पन्ना (गंगल) अभयारण्य
टाईगर रिजर्व का नाम	-	पन्ना टाईगर रिजर्व
क्षेत्रफल		57613.11 हे०

संरक्षित क्षेत्र का विवरण

क्र०	संरक्षित क्षेत्र	आरक्षित क्षेत्र (हे० म०)	संरक्षित क्षेत्र (हे० म०)	अन्य क्षेत्र (हे० म०)	योग (हे० म०)
1	2	3	4	5	6
1	पन्ना राष्ट्रीय उद्यान	26368.64	24586.99	3310.63	54266.26
2	पन्ना (गंगल) अभयारण्य	9819.19	1327.56		11146.75
	योग	28187.83	26114.65	3310.63	57613.11

सीमाएँ

उत्तर :-

मुखसाला नाला केन बदी तक जो छतरपुर वन मण्डल के संरक्षित वन खण्ड सीमा से सलैया के कक्षा क्रमांक 552, 553, 550, 549, 545 की उत्तर सीमा बनाती है। इन नदी के दोनों किनारे पन्ना उदार वन मण्डल के आरक्षित वन खण्ड पीपरडोला बडीर की सनका स्तम्भ क्रमांक 1 से 67 तक, छतरपुर वन मण्डल के संरक्षित वन खण्ड बरसलपुरा की पूर्वी सीमा लाइन, छतरपुर वन मण्डल के संरक्षित वन खण्ड क्रमांक पाटल "अ" एवं पाटल "ब" की



लाइन, सतलजत वन खण्ड अर्जुनहाई की उत्तरी सीमा लाइन, कैन नदी तक वटारगंज ग्राम की आंतरिक सीमा रेखाएँ स्तम्भ क्रमांक 7 से 21 तक (दिएपरीत दिशा) कैन नदी राम मड़ला की आंतरिक सीमा रेखा कैन नदी से पन्ना छतरपुर राजमार्ग तक जिसमें उत्तर वन गण्डल के आरक्षित वन खण्ड पीपरटोला बड़ीर के स्तम्भ क्रमांक 168 से 178 तक आते हैं। पन्ना-छतरपुर राजमार्ग जो कल क्रमांक 234, 241 एवं 242 की दक्षिणी सीमा बनाता है, पन्ना-छतरपुर राजमार्ग से पन्ना वन गण्डल के आरक्षित वन खण्ड हरसा में फट लाइन जो कल क्रमांक 242, 243, 247, 248, 254, 253, 290 से सीमा बनाता है।

पूर्व :-

पन्ना वन गण्डल के आरक्षित वन खण्ड हरसा की सीमा लाइन स्तम्भ क्रमांक 30 से 51 तक पन्ना-छतरपुर राजमार्ग तक, पन्ना-छतरपुर राजमार्ग जो आरक्षित वन खण्ड पीपरटोला बड़ीर की सीमा लाइन स्तम्भ क्रमांक 185 से 179 तक बनाती है, फट लाइन जो आरक्षित वन खण्ड पीपरटोला बड़ीर से गुजरते हुए कल क्रमांक 252, 253, 254 की सीमा बनाती है, फट लाइन जो आरक्षित वन खण्ड पीपरटोला बड़ीर से गुजरते हुए कल क्रमांक 252, 253, 254 की सीमा बनाती है। पान उमरावन की पूर्वी उत्तरी सीमा स्तम्भ क्रमांक 1 से 14 (एण्टीपलका काइज) कल क्रमांक 244, 245 की पूर्वी सीमा ग्राम बड़ीर की आंतरिक सीमा स्तम्भ क्रमांक 26 से 23 दिएपरीत दिशा में कल क्रमांक 240 की दक्षिणी सीमा ग्राम हिनात की आरक्षित सीमा कल क्रमांक 539, 532, 535, 541, 540 की सीमा बनाती है मझमवा नाली के नाम पर नाला जो कल क्रमांक 544, 543 की दक्षिणी-पूर्वी सीमा कछवा नाला जो कल क्रमांक 547 एवं 548 की सीमा बनाते हुए पीपरटोला बड़ीर के आरक्षित वन खण्ड के गुनाक क्रमांक 241 तक है। आरक्षित वन खण्ड पीपरटोला बड़ीर की सीमा लाइन स्तम्भ क्रमांक 234 से 240 तक राम जयधिया का दक्षिणी सीमा जो स्तम्भ क्रमांक 25 से 22 तक जाती है। जयधिया नाला जो कल क्रमांक 592 की दक्षिणी सीमा बनाते हुए, पन्ना-छतरपुर रोड रामपुरी-मझौली वन गण्डल के अंत तक।

दक्षिण :-

रामपुरी मझौली वन गण्डल रामपुरी एवं कण्डवाहा की उत्तरी सीमा ताशन ग्राम कण्डवाहा की सीमा से ग्राम कुडन की उत्तरी पूर्वीसी सीमा रामपुरी मझौली वन गण्डल नाला जो कल क्रमांक 1223, 1224 की पश्चिमी सीमा बनाते हुए आरक्षित वन खण्ड पीपरटोला बड़ीर एवं आरक्षित वन खण्ड रामपुरी की मध्यस्थ सीमा लाइन से मिलता है, आरक्षित वन खण्ड पीपरटोला बड़ीर एवं आरक्षित वन खण्ड रामपुरी की मध्यस्थ रेखा जो स्तम्भ क्रमांक 421 से 427 तक जाती है, कल क्रमांक 1285, 1283 की पूर्वी सीमा कल क्रमांक 1293, 1287 की



दक्षिणी सीमा. 888 क्रमांक 4479 को काटती है। नदी का दायें किनारा का कोटलू
हुये कट लाइन. कन नदी के धरपुर बाग बाटन में संरक्षित वन खण्ड किशनगढ़ समावेश
करती है। नदी का दायें किनारा का कन क्रमांक 483 की दक्षिणी सीमा बनाती है।

पश्चिम

संरक्षित वन खण्ड किशनगढ़ के कन क्रमांक 486, 485 की पूर्वी सीमा लाइन 'दूरान' नदी
कन क्रमांक 493, 495 की पूर्वी सीमा. ककना नदी. ग्राम ककना की उत्तरी-पूर्वी सीमा
लाइन. संरक्षित वन खण्ड किशनगढ़ की सीमा लाइन. जो कन क्रमांक 504, 505, 508 को
दक्षिणी सीमा बनाती है। कट लाइन कन क्रमांक 508 को काटते हुये सिखा रो नदी में
मिलती है। दूनपुर से सुकवाहा जाने वाला गाँवों रास्ता का अनुसरण करती है। सिखामरी
नदी सुकवाहा गाँव धरपुर बाग बाटन के संरक्षित वन खण्ड प्रसकारा की सीमा लाइन
बनाती है। सुकवाहा गाँव कन क्रमांक 535, 533 को पूर्वी सीमा बनाती हुये कन क्रमांक 532
को काटते हुये कट लाइन जो सुकवाहा गाँव से प्रारंभ होकर पुरवाहा नदी में 888 क्रमांक
532 एवं 592 को काटते हुये मिलती है।

कथप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
श्री. के. श्रीवास्तव, उप सचिव

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 01 जनवरी 1982

भोपाल दिनांक 17 अक्टूबर 1981

शु. 50 का. 15-8-80-दस-2-पूर्विक, राज्य शासन का यह विचार है कि नीचे दर्शायी अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र वन्यजीवों तथा उनके संरक्षण, विस्तार एवं विकास करने के प्रयोजन के लिये प्राणी जाति तथा प्राणी विज्ञान की दृष्टि से पर्याप्त महत्व का है।

अतएव भाइल्ल जार्डफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 (अनु 53 सन 1972) को धारा 35(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार एवं वन विभाग की अधिसूचना क्र० 15-21-77-दस-2 दिनांक 16 अप्रैल 1979 को निरस्त करते हुये मध्यप्रदेश शासन नीचे परिशिष्ट में दर्शाये गये क्षेत्र को "पन्ना राष्ट्रीय उद्यान" गठित करने का उद्देश्य घोषित करता है :-

परिशिष्ट
प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान

जिला	पन्ना एवं छतरपुर
वन मण्डल का नाम	पन्ना, छतरपुर
रेंज	पन्ना, अमानगज सिंगोला, कूला, छतरपुर, किसानगढ
संरक्षी	पन्ना, छतरपुर, बिजावर
राष्ट्रीय उद्यान का नाम	पन्ना राष्ट्रीय उद्यान
राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल	पन्ना जिले का क्षेत्रफल = 3735473 वर्ग कि.मी. छतरपुर जिले का क्षेत्रफल = 1681153 वर्ग कि.मी. योग = 542.6628 वर्ग कि.मी.

राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं का विवरण

उत्तर :-

दुरपराहा नाला कोन नदी तक का छतरपुर वन मण्डल के संरक्षित वन खण्ड सीलोन सलैया के कक्ष क्रमांक 532, 533, 530, 549, 545 को उत्तरी सीमा बनाती है। कोन नदी के सीमा किनारे पन्ना बेसल वन मण्डल के संरक्षित वन खण्ड जीवरहीला बडीर की सीमा स्वाम क्रमांक 1 से 57 तक, छतरपुर वन मण्डल के संरक्षित वन खण्ड बरबड़पुर की पूर्वी सीमा साइन, छतरपुर वन मण्डल के संरक्षित वन खण्ड क्रमांक पाटन "अ" एवं पाटन "ब" की मध्यस्थ सीमा रेखा, छतरपुर वन मण्डल के संरक्षित वन खण्ड पाटन "अ" की उत्तरी सीमा

मध्यस्थ सीमा रेखा- छतरपुर वन मण्डल के आरक्षित वन खण्ड पाटन "अ" की उत्तरी सीमा लाइन, आरक्षित वन खण्ड अछुनडाई की उत्तरी सीमा लाइन, केन नदी तक बहारगंज ग्राम की आंतरिक सीमा रेखाए स्तम्भ क्रमांक 7 से 21 तक (द्विपरीत दिशा) केन नदी ग्राम इला की आंतरिक सीमा रेखा केन नदी से पन्ना छतरपुर राजमार्ग तक जिसमें उत्तर पन्ना वन मण्डल के आरक्षित वन खण्ड पीपरटोला बड़ीर के स्तम्भ क्रमांक 146 से 178 तक आते हैं। कक्ष क्रमांक 242, 248, 247, 246, 264, 262, 283 की सीमा आरक्षित वन खण्ड हरसा स्तम्भ क्रमांक 120 से 205 तक तथा वन खण्ड छापर के स्तम्भ क्रमांक 1 से 54, पन्ना-छतरपुर राजमार्ग तक उत्तरी सीमा निर्धारित होती है।

हस्ताक्षर :-

पन्ना राष्ट्रीय उद्यान/पन्ना (गंगज) अभयारण्य के आरक्षित वन खण्ड हरसा की सीमा लाइन स्तम्भ क्रमांक 30 से 54 तक पन्ना-छतरपुर राजमार्ग जो आरक्षित वन खण्ड जो पीपरटोला बड़ीर की सीमा लाइन स्तम्भ क्रमांक 186 से 179 तक बनाती है, कट लाइन जो आरक्षित वन खण्ड पीपरटोला बड़ीर से गुजरते हुए कक्ष क्रमांक 252, 253, 254 की दक्षिणी सीमा बनाती है, ग्राम सुमरावन की पूर्वी उत्तरी सीमा स्तम्भ क्रमांक 1 से 14 (एण्टीक्लाक वाइज) कक्ष क्रमांक 244, 245 की पूर्वी सीमा ग्राम बड़ीर की आंतरिक सीमा स्तम्भ क्रमांक 26 से 23 द्विपरीत दिशा में कक्ष क्रमांक 240 की दक्षिणी सीमा तथा क्रमांक 539, 532, 535, 537, 541 की सीमा बनाती है। कक्ष क्रमांक 540 में मझगर्वी चाला जो कौमारसत भाला संगम तथा सीमा बनाती है। कक्ष क्रमांक 544 की दक्षिणी-पूर्वी सीमा 1: रघु गाला जो कक्ष क्रमांक 547 एवं 548 की उत्तरी सीमा बनाते हुए पीपरटोला बड़ीर के आरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 241 तक है। आरक्षित वन खण्ड पीपरटोला बड़ीर की सीमा लाइन स्तम्भ क्रमांक 241 से 243 तक ग्राम जखोया की दक्षिणी सीमा जो स्तम्भ क्रमांक 35 से 22 तक ग्राम जखोया चाला जो कक्ष क्रमांक 392 की दक्षिणी सीमा बनाते हुए, पन्ना-छतरपुर रोड रघुपुरा-गर्वाली वनमार्ग के संगम तक।

द्विपरीत :-

कक्ष क्रमांक 1385, 1384 का उत्तरी सीमा ग्राम रघुपुरा कण्डवाहा का आंतरिक सीमांकित रेखा, रघुपुरा गहवरा वन मार्ग कक्ष क्रमांक 1352, 1341, 1334 का उत्तरी सीमा बनाते हुए, ग्राम कुण्डल की आंतरिक सीमा रेखा, कक्ष क्रमांक 1335, 1337, 1327 ग्राम गहवरा के आंतरिक सीमांकित रेखा कक्ष क्रमांक 1305, 1304 ग्राम बिलाटा एवं कटेरी के आंतरिक सीमांकित रेखा वन खण्ड पीपरटोला-रघुपुरा की मध्यान्तर रेखा ग्राम खौंडी तक पीपरटोला

अनारण्य वन खण्ड की अन्तर्गत सेवा होने वाली लकड़ का निर्यात परिकल्पना की जाया बनाती है।

परिवर्तन :-

संरक्षित वन खण्ड किशनगढ़ की कक्ष क्रमांक 485, 486 की पूर्वी सीमा लाइ बुरग नदी कक्ष क्रमांक 493, 494 की पूर्वी सीमा, कपरा नदी, ताप बाकरा की उत्तरी-पश्चिमी सीमा लाइन संरक्षित वन खण्ड किशनगढ़ की सीमा लाइन, की कक्ष क्रमांक 504, 507, 508 की दक्षिणी सीमा बनाती है। कट लाइन कक्ष क्रमांक 505 का काटते हुये किशनगढ़ नदी में मिलती है। बुजमुरा से सुकवाहा जाने वाली सड़क का अनुसरण करती है। दिवानदी परी सुकवाहा कसरपुर वन खण्ड के संरक्षित वन खण्ड फलजीहा सीमा लाइन बनाती है। सुकवाहा नदी कक्ष क्रमांक 535, 538 की पूर्वी सीमा बनाते हुये कक्ष क्रमांक 512 की काटते हुये कट लाइन जी सुकवाहा गाँव से प्रारम्भ होकर मुदवराह नदी में कक्ष क्रमांक 532 एवं 552 की काटते हुये मिलती है।

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम. पी.
2-डब्ल्यू-पी/505/98.

49

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम.पी. 2/पी.-122/98



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 463]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 22 अगस्त 1998—श्रावण 31, शक 1920

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 1998

क्र. एफ. 15-65-96-दस-2.—चूंकि, राज्य शासन का यह मत है कि नीचे दिये गये परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र वन्य प्राणियों तथा वन्य रहवास/पारिस्थितिकी के संरक्षण, विस्तार तथा विकास के प्रयोजन के लिये पर्याप्त महत्व का है, अतः राज्य शासन एतद्वारा इस क्षेत्र को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित 1991) को धारा 26-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए "पेंच अभयारण्य" जिला सिवनी के रूप में अंतिम रूप से अधिसूचित करता है :—

परिशिष्ट

सम्मिलित क्षेत्र :

1. जिला—सिवनी
2. अभयारण्य का नाम—पेंच अभयारण्य
3. तहसील—सिवनी
4. वन परिक्षेत्र—रूखड़, कुरई, पश्चिम खवासा
5. अभयारण्य का क्षेत्रफल—118.473 वर्ग किलोमीटर.

सीमाएं :

1. उत्तर.—दक्षिण सिवनी वन मंडल के आरक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक 48, 61, 62, 69, 70, 75, 76, 78, 79, 80 एवं 81 की बाह्य सीमा।

2. पूर्व.—दक्षिण सिवनी वन मंडल के आरक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक 81, 82, 84, 85 की बाह्य सीमा।
 3. दक्षिण.—दक्षिण सिवनी वन मंडल के आरक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक 85, 86, 87, 74, 73, 72, 68, 67, 66, 65, 55, 54 एवं 53 की बाह्य सीमा।
 4. पश्चिम.—दक्षिण सिवनी वन मंडल के आरक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक 53, 58, 59, 50, 49 एवं 48 की बाह्य सीमा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र अग्रवाल, अपर सचिव।

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 1998

क्र. एफ. 15-65-96-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में राज्यपाल के अधिकार से एतद्वारा इस विभाग को उक्त अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र अग्रवाल, अपर सचिव।

Bhopal, the 21st August 1998

No. F. 15-65-96-X-2.—Where as the State Government considers that the area specified in the Schedule below is of adequate significance for the purpose of the protection, propagation and development of wildlife and its habitat/ecology, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 20-A of the wildlife Protection Act (as amended in 1991), the State Government hereby notifies the said area as "Pench Sanctuary" district Seoni.—

SCHEDULE

Area included :

1. District—Seoni
2. Name of the Sanctuary—Panch Sanctuary
3. Tahsil—Seoni
4. Forest Range—Rukhad, Kurai, West Khawasa
5. Area of the Sanctuary—118.473 Sq.km.

Boundaries :

North.—The outer boundary of Reserved Forests comptt. Nos. 48, 61, 62, 69, 70, 75, 76, 78, 79, 80 And 81 of South Seoni Division.

East.—The outer boundary of Reserved Forests comptt. Nos. 81, 82, 84 And 85 of South Seoni Division.

South.—The outer boundary of Reserved Forests comptt. Nos. 85, 86, 87, 74, 73, 72, 68, 67, 66, 65, 55, 54 And 53 of South Seoni Division.

West.—The outer boundary of Reserved Forests comptt. Nos. 53, 58, 59, 50, 49 And 48 of South Seoni Division.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
JITENDRA AGRAWAL, Addl. Secy.

दक्षिण—महाराष्ट्र राज्य की सीमा लाईन.

पश्चिम—दक्षिण छिन्दवाड़ा वनमण्डल के आरक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक 1465, संरक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक पी-1474, आरक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक 1473 (का भाग), 1470, 1472 संरक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक पी-1456, आरक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक 1484 बी एवं सी, 1453-बी, 1454, 1452, 1449, 1445, 1444, 1443 (का भाग), 1441, 1442 ए, पूर्व छिन्दवाड़ा वनमण्डल के आरक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक 1433, 1434, 1435, 1432, 1414, 1415, 1416, 1420, एवं 1421 की पश्चिमी सीमा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एम. बेलवाल, अपर सचिव,

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2005

क्र. एफ. 15-11-05-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा मंत्रालय के अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एम. बेलवाल, अपर सचिव,

Bhopal, the 16th December 2005

No. F. 15-11-05-X-2.—Whereas the State Government considers that the area specified in the schedule below is of ecological, faunal, floral and zoological importance for the purpose of protecting, propagating and developing wildlife and its environment, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 35 (4) (b) of the Wildlife (Protection) Act 1972 (as amended in 2003), the State Government hereby finally notifies the area specified below as the "Indira Priyadarshini Pench National Park" in Seoni and Chhindwara district:-

SCHEDULE

Area included:

1. District—Seoni, Chhindwara
2. Name of National Park—Indira Priyadarshini Pench National Park
3. Tehsil—Seoni, Chaurai, Bichhua
4. Range—West Khawasa, Bichhua, Chaurai
5. Division—South Seoni, East Chhindwara, South Chhindwara.
6. Area—292.857 Square Kilometers.

Boundaries:

North—Northern boundary of East Chhindwara division reserved forest compartment number 1421, 1422, South Seoni division compartment number 592, 591, 390 A, 593, 614, 617 & 616.

East—Eastern boundary of South Seoni division reserved forest compartment number 616, 617, 613, 612, 611, 610, 596, 609, 608, 606, 604 & 605.

South—Boundary of Maharashtra State.

West—Western boundary of South Chhindwara division reserved forest compartment number 1465, protected forest compartment number P- 1474, reserved forest compartment number 1473 (part), 1470, 1472, protected forest compartment number P-1456, reserved forest compartment number 1454 B & C, 1453 B, 1451, 1452, 1449, 1445, 1444, 1443 (part), 1441, 1442 A, East Chhindwara division reserved forest compartment number 1433, 1434, 1435, 1432, 1414, 1415, 1416, 1420 and 1421.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

L. M. BELWAL, Addl. Secy.

गोपन, दिनांक 13 अक्टूबर 1981

क्र. सं. 15-12-80-स-2. - राज्याचे वनविभाग व
जंगल संरक्षण विभाग (3) व अध्यापन व शोध विभाग व
संरक्षण विभाग क्र. 15-12-80-स-2, दिनांक 13 अक्टूबर
1981 ला राज्याचे वनविभाग व अध्यापन व शोध विभाग
व्यवस्थापन विभाग वरून.

वनविभाग व अध्यापन व शोध विभाग वरून
एच. के. शर्मा, उपनिर्वाहक

Dhepat, the 13th October 1981

No. 15-12-80-X-2.—Whereas the State Government consider that the Area specified in the schedule below is adequate faunal and zoological significance for the purpose of protecting, propagating and developing wild life and its environment.

Now therefore in exercise of powers conferred by section 35(i) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972) Government of Madhya Pradesh hereby declares its intention to constitute the areas specified in schedule below as "Saipura National Park".

SCHEDULE

- District—Hoshangabad
- Forest Division—Hoshangabad
- Tehsil—Saigpur
- Forest Range—Bagra (part) Sohagpur (part) Piparia (part) Pachmarhi (part) Bori (part) and M. P. State Forest Development Corporation Kesla Project (part).
- Name of the National Saipura National Park
- Area of National Park—524.37 Sq. Km.

DETAILS OF BOUNDARY

North—From Tawa Dam Right Bank to North East-North and North-Eastern outer boundary of water spread of 1166 contour of Dewalake, Northern and North-Eastern boundary of Complt. No. 392, 393 and 467 contour of Nagdwani River, Northern boundary of Complt. No. 480 and hilly ridge and hills situated on the North of Complt. Nos. 48, 487 and 484 and 485.

East—Eastern boundary of Complt. No. 485 in East and Southern boundary of Complt. No. 237, 23 connecting Western Purgara village with Nag and artificial line. Further along Tawa road to Pachmarhi connecting the Northern boundary of Pachmarhi Area Development Authority consisting of Eastern boundary of Complt. 240, 267 and 266 and Southern boundary of Complt. No. 266 further along Western and Southern bound-

ary of Pachmarhi Area Development Authority, along Eastern boundary of complt. No. 311, 310, 309, 307 and Northern boundary of Complt. No. 303 and 302 further along Public Works Department New Tawa road leading to Mahadeo and further ahead along Broadle path going to Namalia connecting to Birja nala finally connecting Chhindwara District boundary passing through Complt. No. 303 and 252 and along Eastern boundary Complt. No. 253.

South—From the point inter-section of Birja nala with Chhindwara District boundary to the West along the said District boundary up to South-Western corner of Complt. No. 256 further towards North along the Western boundary of Complt. No. 256 and 257, along Northern boundary of Bori range in Southern boundary of Complt. No. 483, 479, 478, 477, 473 and 472 of Piparia and Sohagpur range Eastern boundary Complt. No. 86 and Complt. No. 87, 95, 96, 97 and 98 Southern and Western boundary of Complt. No. 98 of Bori range, Southern and South-Western boundary of Complt. No. 215 and 216 Madhya Pradesh State Forest Development Corporation Kesla Project, South-Western boundary of Complt. No. 217 of Bagra range, Northern boundary of Complt. No. 218, 219 and 220 North-Western boundary of Complt. No. 222 Western and Northern boundary of respective Complt. No. 197, 193 of M.P.S.F.D Corporation Kesla Project crossing Tawa Reservoir Southern boundary of Complt. No. 351 along which roughly the route of motor boat of M.P.S.F.D.C. Kesla Project is traversed to cross the Tawa Lake.

West—From South-West corner of Complt. No. 351 of Hoshangabad range to the North along North-Western outer 166 contour boundary of Tawa Lake running through the Complt. No. 352, 353, 357, 357, 360, 361, 352, 370, 373, 375, 376 and 377 of Hoshangabad range up to Tawa Dam left Bank.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. J. OKA, Dy. Secy.

गोपन, दिनांक 17 अक्टूबर 1981

क्र. सं. 15-8-80-स-2. - राज्याचे वन विभाग व शोध विभाग वरून. दिनांक 17 अक्टूबर 1981. राज्याचे वन विभाग व अध्यापन व शोध विभाग वरून. दिनांक 17 अक्टूबर 1981. राज्याचे वन विभाग व अध्यापन व शोध विभाग वरून. दिनांक 17 अक्टूबर 1981.

क्र. सं. 15-12-80-स-2 दि. 15.8.84 (जवळ दि. 14.12.84)
कासा, त्रिलोचन

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
FOREST DEPARTMENT,

NOTIFICATION

BHOPAL DATED: (3-10-81)

Sub Division in Karg
No. 1-1-82
No. 2-5-82
No. 15/12/80-10/2/ Whereas the State Government consider that the Area specified in the schedule below is adequate faunal and zoological significance for the purpose of protecting, propagating and developing wild life and its environment.

Now therefore in exercise of powers conferred by section 35(1) of the wildlife (Protection) Act 1972 (NO.53 of 1972) Government of Madhya Pradesh hereby declares its intention to constitute the areas specified in schedule below as "Satpura National Park."

SCHEDULE

District: Hoshangabad
Forest Division: Hoshangabad
Tehsil: Sohagpur
Forest Range: Bagra (part) Sohagpur (Park) Piparia (Park) Pachmarhi (part) Bori (Part) and M.P. State Forest Development Corp. Kasla project (Part)

Name of National Park: Satpura National Park

Area of National Park: 524.37 Sq. KM.

Details of Boundary:

NORTH: From town Dam Right Bank to North East North & North Eastern outer boundary of water spread of 1166 contour of Denwa lake, Northern and North Eastern Boundary of comp. No. 392, 393 & 467-coterminous with Nagdwanl River. Northern boundary of comp. No. 480 and

hilly ridge and Nala situated on the North of Comptt.No. 481, 487 & 484 & 485.

EAST: Eastern Boundary of comptt.No.485 in the East the and Southern Boundary of Comptt.237, 236, connecting western pugura village with Nala & artificial line. Further along Tar Road going to pachmarhi connecting the Northern Boundary of Pachmarhi Area Development Authority consisting of Eastern Boundary of Comptt.240, 267 & 266 & Southern Boundary of Comptt.No.266 further along the western and southern Boundary of Pachmarhi Area Development Authority, along Eastern Boundary of comptt .313,310,309,307 & Northern Boundary of Comptt. No.303 & 302 further along P.W.D. New Tar Road leading to Mahadeo & Further ahead along Bridle path going to Namalia connecting to Birja Nala finally connecting Chhindwara Distt. Boundary passing through comptt.303 and 252 and along Eastern Boundary Comptt.253.

SOUTH: From the point inter-section of Birja Nala with Chhindwada Distt. Boundary to the west along the said Distt. Boundary upto south western corner of comptt. No.256 further towards North along the western Boundary of comptt.No.256 &257 along Northern Boundary of Bori Range in Southern Boundary of Comptt.No.483,479,478,477,473 & 472 of Piparia & Sohagpur range eastern Boundary Comptt.No.86 and comptt. 86,87,95,96,97 & 98 Southern and western Boundary of comptt. 98 of Bori range. Sothern and south-western boundary of comptt.No.215 &216 of M.P.State Forest Development Corpr. Kesla project. South-Western boundary of comptt.No.237 of Bagra Range. Northern boundary of comptt.No.218,219 & 220 North-western boundary of comptt.No.222 western and

(3)

(49)

75

northern boundary of respective comptt.No.197,193 of
M.P.S.F.D.Corporation Kesla Project, crossing Tawa
Reservoir southern boundary of comptt.351 along which
roughly the route of motorboat of M.P.S.F.D.C.Kesla
project is travensed to cross the Tawa lake.

West: From South West corner of comptt.351 of
Hoshangabad Range to the north all along north-western
outer 1166 contour boundary of Tawa lake running through
the comptt.No.352,353,357,358,360,361,362,370,373,375,376,
and 377 of Hoshangabad Range up to Tawa Dam left Bank.

BY ORDER AND IN THE NAME OF
GOVERNOR OF MADHYA PRADESH,

(M. J. Oka)

Deputy Secretary to Government of
MP, Forest Department.

*Ramesh/

क्रमांक/एफ.15-5/2003/10-2

आर्क. सं. :-

भोपाल, दिनांक 08/09/2006

वन गणनीयताक एवं संचालक प्रोजेक्ट टाईगर, भारत शासन में पत्र क्रमांक 3-1/2003-पी.टी. दिनांक 16/06/2006 के द्वारा संजय-राष्ट्रीय उद्यान-सीधी तथा संजय दुबरी, वन्यप्राणी अभयारण्य सीधी को सैद्धांतिक तौर पर भारत शासन की प्रोजेक्ट टाईगर योजना में शामिल किये जाने की दी गई सूचना के आधार पर राज्य शासन संजय राष्ट्रीय उद्यान एवं संजय दुबरी वन्यप्राणी अभयारण्य सीधी के निम्नानुसार क्षेत्रों को "संजय टाईगर रिजर्व" घोषित करता है :-

1. कोर क्षेत्र :-

- (क) संजय राष्ट्रीय उद्यान
(ख) संजय दुबरी अभयारण्य

रकबा 466.657 वर्ग किलो मीटर
रकबा 364.593 वर्ग किलो मीटर

योग:- 831.250 वर्ग किलो मीटर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(एल.एम.बेलवाल)

अपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल, दिनांक 08/09/2006

पृष्ठ:- क्रमांक/एफ.15-5/2003/10-2

प्रतिलिपि:-

1. वन गणनीयताक एवं संचालक प्रोजेक्ट टाईगर, भारत शासन, कैम्पेयर हाऊस, एनेवली 3, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली-110011 को और आपके पत्र क्रमांक 3-1/2003-पी.टी. दिनांक 16 जून, 2006 के तारकाम में सूचनाएं प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी मध्यप्रदेश भोपाल
4. भारत अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश
5. भारत वन संरक्षक, मध्यप्रदेश
6. संचालक, संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी

की और सूचनाएं एवं जानकारी कार्यालय में उपलब्ध।

(एल.एम.बेलवाल)
अपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

51

Madhav N.R.

व्यवस्थापूर्व अदायगी कथि
द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-ग. पो. 2
क्र. पी/355/99.

क्रमांक भोपाल वि. गज
ए. नं. 2/पी-12/99.



मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 714]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 25 अक्टूबर 1999—कार्तिक 3, शक 1921

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 1999

क्र. एक. 14-1-82-दस-2—चूंकि राज्य शासन का यह विचार है कि नौसे दर्राई अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र इकोलॉजिकल पशुवर्ग, नृस्यति वर्ग तथा प्राणी विज्ञान एवं अन्य जीवों तथा उनके संरक्षण, विस्तार एवं विकास करने के प्रयोजन के लिए एवं जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए महत्व का है।

अतएव [वन्य प्राणी (संरक्षक), अधिनियम, 1972] (क्रमांक 53 इन् 1972, एवं संशोधित सं. 1991 को धारा 35(1) द्वारा प्रदत्त प्राधिकारों के अनुसार माधव राष्ट्रीय उद्यान को विस्तार करने के लिए मध्यप्रदेश शासन प्रतिष्ठित में दृष्टांत गये क्षेत्र को चिह्नित कर वर्तमान "माधव उद्यान" का अंग मानने का उद्देश्य घोषित करता है:—

परिशिष्ट

प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान:

जिला—शिवपुरी

वनमण्डल का नाम—शिवपुरी

राष्ट्रीय उद्यान का नाम—माधव राष्ट्रीय उद्यान

राष्ट्रीय उद्यान (विस्तार क्षेत्र) का क्षेत्रफल

(1) आरक्षित वन : 2863.40 हेक्टर या 28.634 वर्ग कि.मी.

f

गन्ना विभाग

भोगाल, दिनांक 16 सितम्बर 1981

क्र. 14-36-80-बन्ध(2) :- बी.ए. राज्य शासन का यह विचार है कि नीचे दिये अग्रगण्य में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में शक्ति की सुरक्षा, वृद्धि और विद्युत्-शक्ति के पर्याप्तता को सुनिश्चित करने हेतु कार्य करा जाये।

राष्ट्रीय बाढ़ (प्रोटोकॉल) एक्ट, 1972 (क्रमांक 53, जून 1972) को धारा 3(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार मध्यप्रदेश शासन नीचे परिशिष्ट में दिये गये क्षेत्रों को "वन्विहार राष्ट्रीय उद्यान" के रूप में स्थिति करने का उद्देश्य घोषित करता है।

गन्ना

जिला—भोपाल
प्रदेशीय—हजूर
राष्ट्रीय उद्यान—बन बिहार
उद्यान का क्षेत्रफल—445.21 हेक्टर.

ग्रामों का नाम जिनका क्षेत्र सम्मिलित किया गया है:—
धरमपुरी, आमखंडा, एवं प्रेमपुरा.

सम्मिलित खसरा नम्बर का विवरण
ग्राम—धरमपुरी

सरकारी भूमि खसरा नंबर (1)	क्षेत्रफल (2)	पट्टे की भूमि खसरा नंबर क्षेत्रफल (3)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (भाग) 9 (भाग) 98-1-3-2 (भाग), 98-1-3, 98-1-3-1 (भाग)	142.14 हेक्टर	..

कुल क्षेत्रफल—142.14 हेक्टर
ग्राम—आमखंडा

सरकारी भूमि खसरा नंबर (1)	क्षेत्रफल (2)	पट्टे की भूमि खसरा नंबर क्षेत्रफल (3)
40, 41, 42, 43, 44, 33 (भाग), 35, 31, 36, 37 (भाग), 45/1, 45, 34/2, 34/1/2, 46 48, 49.	102.95 हेक्टर	..

कुल क्षेत्रफल 102.95 हेक्टर
ग्राम—प्रेमपुरा

सरकारी भूमि खसरा नंबर (1)	क्षेत्रफल (2)	पट्टे की भूमि खसरा नंबर क्षेत्रफल (3)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11/1, 11/2, 13, 14, 15, 18/1 (भाग) 18/2, 16 16/2, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 (भाग) 29, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 58, 68/2, 62- (भाग) 143/5, 149/4, 66/2, 43, 44/2 (भाग) 52, 140/52 (भाग) 12/2, 113/112 (भाग) 141, 21, (भाग) 47, 48, 49 (भाग)	143.20 हेक्टर	14, 15, 18/1 (भाग) 12, 21, 22, 28, 30 + 14, 32, 33, 34, 35, 43, 44/1, 44/2, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 140/52, 52, 140/52 (भाग) 53, 54, 55, 56, 57, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 61, 68/1, 148/33 113; 114, 141/112;

कुल क्षेत्रफल 200.12 हेक्टर

56.92 हेक्टर

गांव का नाम (1)	सरकारी क्षेत्रफल (2)	पट्टे का भाग का क्षेत्रफल (3)
ग्राम धरमपुरी	142.14 हेक्टर	
ग्राम आमखेड़ा	102.95 हेक्टर	
ग्राम प्रेमपुरा	143.20 हेक्टर	
कुल क्षेत्रफल	388.29 हेक्टर	56.92 हेक्टर
महायोग	445.21 हेक्टर	56.92 हेक्टर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. जे. ओक, उप-सचिव

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 1981

क्र. 14-36-80-दस(2).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 14-36-80-दस (2), दिनांक 16 सितम्बर 1981 का तयारी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. जे. ओक, उप-सचिव

Bhopal, the 16th September 1981

No. 14-36-80-X(2).—Whereas the State Government consider that the area specified in the Schedule below is significant for the purpose of protecting, propagating and developing Wild Life and its environment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 35(1) of Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972) the Government of Madhya Pradesh hereby declare its intention to constitute the area specified in the Schedule below as "Van Vihar National Park", Bhopal:—

SCHEDULE

46

District—Bhopal.

Tehsil—Huzur.

Name of National Park—Van Vihar.

Area of National Park—445.21 hectares.

Villages included in the area—

Dharam Puri, Amkhnera, and Prempura.

Details of Khasra Numbers

Village Dharampuri

Khasra Number Government Area (1)	Area (2)	Private Area (3)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Part) 9 (Part) 98/1/3/2 (Part) 98/1/3 (Part) 98/1/3/1 (Part).	142.14 hectares	Nil
Total Area	142.14 hectares.	

55

7

AMKHERA VILLAGE, DISTRICT MADHWA 1981

107

Village — Amkhera		Private Area
Khasra Number	Area	Khasra Number
Government Area		
(1)	(2)	(3)
40, 41, 42, 43, 44, 33 (Part), 35, 31, 36, 37 (Part), 45/1, 45/2, 34/2, 34/1/2, 46, 47, 48, 49	102.95 hectares	
Total Area ...		

Village — Prempura		Private Area
Khasra Number	Area	Khasra Number
Government Area		
(1)	(2)	(3)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11/1, 11/2, 13, 14, 15, 18/1, (Part) 18/2, 16/1, 16/2, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 (Part), 29, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 58, 68/2, 62 (Part), 143/5, 149/4, 66/2, 43, 44/2 (Part), 52, 140/52 (Part), 13/2, 113/112 (Part), 141, 21 (Part), 47, 48, 49 (Part)	143.20 hectares	14, 15, 18/1 (Part), 12, 21, 22, 28, 30 + 147/2, 32, 33, 34, 35, 43, 44/1, 44/2, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 140/52, 52, 140/52 (Part), 53, 54, 55, 56, 57, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 61, 68/1, 142/33, 113, 114, 141/112
Total Area ...		56.92 hectares

Name of Village	Govt. Area Hectares	Private Area Hectares
(i)	(2)	(3)
Dharampuri	142.14 hectares	
Amkhera	102.95 hectares	
Prempura	143.20 hectares	56.92 hectares
Total Area ...	388.29 hectares	56.92 hectares
Grand total ...	445.21 hectares	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. J. OKA, Dy. Secy.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 1981

आज्ञा सं. एफ 3-18-78-उपह-मॉड-4. — चिकित्सक मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा युवाजी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड ने वर्ष 1971-72 की कालांतरि के दौरान युवाजी चिकित्सा पद्धति तथा अन्य चिकित्सा में वैकलर ऑफ युवाजी चिकित्सा बोर्डिंग एण्ड सर्जरी की चिकित्सीय अहंता (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त अहंता के नाम से निर्दिष्ट है) प्रदान की है

और चिकित्सक उक्त अहंता मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, युवाजी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (क्रमांक 5, जून 1971) (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है;

और चिकित्सक मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा युवाजी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड ने उक्त अहंता को मान्यता की जाने के लिये राज्य सरकार को आवेदन किया है;

अधिसूचना

दिनांक 15/10/10/2/83

भारत, दिनांक 15/10/83

श्री श्री राज्य शासन का यह विचार है कि नीचे दी गई अधिसूचना
अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र वन प्रणीत तथा पशुधर्मिता तथा जंगल
आवश्यक परिस्थिति का उद्देश्य करने उपलब्ध विचार तथा विकसित करने के प्रयोजन
के लिये प्रणीत जाति तथा प्रणीत पशुधर्मिता के दृष्टि से पर्याप्त मूल्य का है।
अतएव यादवत साईप, फ्रीटेसन एक्ट 1972 (1972 का 33) के धारा 35(1)
के द्वारा प्रदत्त अधिकारी के अनुसार मध्य प्रदेश शासन नीचे परिशिष्ट में द्योयि गए
विनिर्दिष्ट क्षेत्र को जीवाश्रय के शीकन के लिये जीवाश्रय राष्ट्रीय उद्यान गठित
करने का उद्देश्य घोषित करता है।

परिशिष्ट

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| जिला :- | मंडला |
| तहसील :- | निवाघ |
| वन मंडल का नाम :- | उत्तर वन मंडल मंडला |
| परिधेय :- | निवाघ |
| राष्ट्रीय उद्यान का नाम :- | जीवाश्रय राष्ट्रीय उद्यान |
| क्षेत्र का रकबा :- | |

खण्ड -1	खसरा	रकबा	
उमरिया शितकर	93	रकबा	
	94/1		
	87/2		
	91/1		
	92		
	94/2		
	94/3		
	95		
			100 रकबा

खण्ड 2 - 110/14) 23.07.83
मध्यका 22.07.83

प्रकाशित करार नं 10/1, 2, 4, 5, 1, 6 राज शासन का (1) का कायदा जमा

घन्ट- 2 पुष्पा	110/1 ब)	2.90 एकड़
	121 -	2.25 एकड़
	122 -	1.79 एकड़
		<hr/>
		6.84 एकड़
घन्ट-3 बराबसपुर	20	0.32 एकड़
	21	2.12 एकड़
	30	0.96 एकड़
	31	
	34	0.89 एकड़
	99/2	0.25
		4.44
घन्ट-4 बराबसपुर	79/1 के	16.91
		<hr/>
		16.91
घन्ट-5 देवाी मुर्दा	109	2.22
		<hr/>
		2.22
घन्ट-6 देवाी मुर्दा	90/1	7.21
		<hr/>
		7.21
घन्ट-7 देवाी मुर्दा	63	4.58
		<hr/>
		4.58
घन्ट-8 देवाी मुर्दा	47	2.52
		<hr/>
		2.52
कुल योग		67.75 एकड़
		या
		27.416 हेक्टेयर्स

...

:- गोसा का विवरण :-

उत्तर :- अक्षा क्रमिक 79/1, 80/2 क्षेत्र पट्टों का क्षेत्र राजस्थान
अक्षा नं० 79, अक्षा नं० 35/3, 36/2, 87/1, 87/3
88 क्षेत्र तिनकास का अक्षात घास जमीन दून: अक्षा क्र
20, 91/2, 96/6 क्षेत्र तिनका का क्षेत्र घास जमीन अक्षा नं०
96/1 एवं 96/2 को गोसा माना ।

पूर्व :- अक्षा क्रमिक 96/26 पापट अक्षात अक्षा क्र 122 बाटो
मदानदो खोला बनायो है ।

दक्षिण :- अक्षा क्रमिक 122 बाटो मदानदी गोसा बनाती है ।

पश्चिम :- अक्षा क्रमिक- 73 एवं 74 क्षेत्र इनके बाईं का एवं अक्षा क्रमिक-
77 क्षेत्र बाईं को का सीमा निर्धारित करता है ।

उत्तर :- अक्षा क्रमिक 113 क्षेत्र अक्षा से गोसा अक्षा क्रमिक 114 क्षेत्र
गुजरात को अक्षात गोसा तक ।

पूर्व :- अक्षा क्र 112 महादु एवं घास पश्चिम अक्षात अक्षा क्र 124 क्षेत्र
गुजरात को अक्षात गोसा तक ।

दक्षिण :- अक्षा क्र 123 क्षेत्र सुभाजी एवं अक्षा क्र 118/1 महादु को सीमा
अक्षा 120 क्षेत्र सुनु का दून: अक्षा क्र 118/1 महादु का रक
तत्परवात अक्षा क्र 119 क्षेत्र खोराधान को सीमा ।

पश्चिम :- अक्षा क्र 118/1 महादु का रकवा अक्षा क्र 113 क्षेत्र अक्षा की
नामा तक ।

उत्तर :- अक्षा क्रमिक 11/1 14-16 अक्षा नं० 19 अक्षा को अक्षा
पश्चिम, अक्षात अक्षा नं० 19/1, 2, 4, 5, 7, 8 रामदयाल का
अक्षा अक्षा जमीन ।

पूर्व :- अक्षा अक्षा नं० 172, 104 तथा 102 अक्षा को अक्षा जमीन
और अक्षा नं० 82, 83 और 82/2 अक्षा पश्चिम ।

दक्षिण :- गो मरोबा को अक्षा पश्चिम अक्षा नं० 82 ।

पश्चिम :- अक्षा पश्चिम अक्षा नं० 57, 88, 45/4, 45/ 15, 92,
99/1, 39, 45/5, 45/6 और 93/3 ।

उत्तर :- अक्षा नं० 104 गो मरोबा को अक्षा पश्चिम ।

पूर्व :- अक्षा नं० 101, 103/1 गो राज अक्षात को अक्षा जमीन ।

दक्षिण :- अक्षा नं० 81 अक्षा पश्चिम ।

पश्चिम :- अक्षा नं० 82/3, 82 और अक्षा नं० 82/3 गो मरोबा को
अक्षा पश्चिम ।

उत्तर :- अक्षा नं० 99 गो मरुत सिंह को अक्षा पश्चिम ।

पूर्व :- अक्षा नं० 64 गोसा ।

दक्षिण :- अक्षा पश्चिम अक्षा नं० 102/2, 103/3 और 107 ।

पश्चिम :- अक्षा नं 116 एवं 110 को अक्षा को अक्षा पश्चिम ।
अक्षात अक्षा नं 18/1, 2, 4, 5, 7, 8 रामदयाल का अक्षात अक्षा

गोसा विवरण

नं० -2

नं० -3
राजस्थान

नं० -4
राजस्थान

नं० -5
राजस्थान



राजस्थान

59

अन्क - 6
देवरी भूख

उत्तर :- 4 अक्षर भिन्न का क्षेत्र प्रस्ताव नं० 97.
पूर्व :- 4 अक्षर :- प्रस्ताव नं० 84 जाता ।

दक्षिण :- श्री सिंघर के क्षेत्र प्रस्ताव नं० 87/2, 89/1, 88 अक्षर प्रस्ताव नं० 82, 77/2, 90/2, 81/ अक्षरत भूमि हर्त प्रस्ताव नं० 78, 79 जाता ।

पश्चिम :- नाता प्रस्ताव नं० 94/1 के अक्षरत श्री गिदाल का क्षेत्र प्रस्ताव नं० 92 एवं प्रस्ताव नं० 90/3 और 90/2 .

उत्तर :- प्रस्ताव नं० 32 श्री भोकर जोर को अक्षरत भूमि ।

पूर्व :- प्रस्ताव 62 श्री पन्नाती त्रिभे को अक्षरत भूमि अक्षरत भोगडोगरी प्राप्त हो होगा ।

दक्षिण :- नाता प्रस्ताव नं० 84 .

पश्चिम :- नाता प्रस्ताव क्रमिक - 64

उत्तर :- प्रस्ताव क्र 43 श्री निवाजी का क्षेत्र । अक्षरत प्रस्ताव क्रमिक 34/2 श्री मानसि को अक्षरत भूमि ।

पूर्व :- प्रस्ताव क्रमिक 34/3 श्री लखन को अक्षरत भूमि अक्षरत प्रस्ताव क्रमिक 34/1 श्री पन्नाती त्रिभे का क्षेत्र ।


दक्षिण :- प्रस्ताव प्रस्ताव क्रमिक 31 .

पश्चिम :- श्री बाकाल का क्षेत्र प्रस्ताव क्रमिक - 46 .

अन्क - 7
देवरी भूख

अन्क - 8
देवरी भूख

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



श्री जे. नारायण ()
उप राज्यपाल

मध्य प्रदेश शासन के तंत्र विभाग

दिनांक 5 - 5 - 83

क्रमांक 15/10/10/2/83

भारत के संविधान के अनुच्छेद 349 के अन्तर्गत (3) के अन्वय में इस

विभाग को अधिनियम क्रमिक 15/10/10/2/83

दिनांक 5 - 5 - 83 का अधिजी

आदेश राज्यपाल के आधिकार से सन्तुष्ट किया गया ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



श्री जे. नारायण ()
उप राज्यपाल

60

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 12 जनवरी 2011—पौष 22, शक 1932

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2011

क्रमांक एफ-14-6-2009-दस-2.—यतः राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र, लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पुराने (प्राचीन) दुर्लभ डायनासोर जीवाश्मों की प्राप्ति के कारण पारिस्थिकीय, प्राणी जातीय, वनस्पतीय, भूआकृति विज्ञान, प्राणी विज्ञानिकीय और जीवाश्म की दृष्टि से पर्याप्त महत्व का है और वन्यप्राणी संरक्षण तथा विकास के प्रयोजन के लिए उसको लोकहित में संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है;

अतएव, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 35 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी में यथाउल्लिखित 89.740 हेक्टेयर आरक्षित वन क्षेत्र को "डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क" नाम से बनाने का आशय घोषित करती है.

सारणी

1. जिला—धार
2. वन मण्डल—धार
3. तहसील—कुक्षी
4. वन परिक्षेत्र—बाग
5. वन बण्ड—पाडलिया
6. प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान का नाम—डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, बाग
7. राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित क्षेत्र

61

उपखण्ड क्रमांक (1)	प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टेयर में) (2)	भूमि पट्टा (हेक्टेयर में) (3)	अधिक्रमण (हेक्टेयर में) (4)	प्रभावित परिवार तथा घर (5)
17	36.795	निरंक	निरंक	निरंक
19	52.945	निरंक	निरंक	निरंक
योग	89.740	निरंक	निरंक	निरंक

8. भूमि की प्रारिथति—आरक्षित वन

सीमाओं के ब्यौरे

उत्तर— आरक्षित वन सीमा खण्ड क्रमांक 17 के स्तम्भ क्रमांक 09 से 16 तथा बाग-जोबट-कुक्षी तिराहे मार्ग से आरक्षित वन सीमा खण्ड क्रमांक 10 का स्तम्भ क्रमांक 24.

पूर्व— आरक्षित वन सीमा खण्ड क्रमांक 19, स्तम्भ क्रमांक 24 से खण्ड क्रमांक 19 में बाग गुफा मार्ग से गंगा कुई मंदिर को.

दक्षिण— खण्ड क्रमांक 19 में बाग गुफा मार्ग पर गंगा कुई मंदिर से बाग-कुक्षी राजमार्ग के साथ पाडलिया स्कूल की नाला सीमा और खण्ड क्रमांक 17 के बीच तक.

पश्चिम—पाडलिया स्कूल नाला की सीमा से करगदा ग्राम मार्ग के साथ खण्ड क्रमांक 17 के स्तम्भ क्रमांक 09 को.

No. F-14-6-2009-X-2.—WHEREAS the State Government considers it necessary that the area specified in the Table below is of adequate ecological, faunal, floral, geomorphological, zoological and palaeontological significance due to occurrence of about 65 million years old rare dinosaur fossils, and therefore needs to be protected in public interest for the purpose of wildlife conservation and development;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 35 of Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the State Government hereby, declare the intention to constitute reserved forest area of 89.740 hectares as mentioned in Table below as "Dinosaur Fossils National Park, Bagh".

TABLE

1. District—DHAR
2. Forest Division—DHAR
3. Tehsil—KUKSHI
4. Range—BAGH
5. Forest Block—PADALIA
6. Name of proposed National Park—DINOSAUR FOSSIL NATIONAL PARK, BAGH
7. Area included in the National Park

Compartment No.	Proposed Area (in hectare)	Include Patta Land (in hectare)	Include Encroachments (in hectare)	Effected Family and households
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	36.795	Nil	Nil	Nil
19	52.945	Nil	Nil	Nil
Total	89.740	Nil	Nil	Nil

8. Status of land—Reserved Forest.

Details of Boundaries

North—From Reserved Forest Boundary Compartment No. 17 Pillar No. 09 to 16 and from Bagh-Jobat-Kukshi marg. Tiraha upto Reserved Forest Boundary Pillar No. 24 of Compartment No. 10.

East— From Reserved Forest Boundary compartment No. 19, Pillar No. 24, to Gangakui Temple at Bagh Cave's read in Compartment No. 19.

South—Gangakui Temple at Bagh Cave's road in Compartment No. 19 to along with Bagh-Kukshi State highway road upto Padaliya school's Nala boundary between Compartment No. 17.

West— Padaliya school Nala's Boundary to Pillar No. 09 of Compartment No. 17 along with Karagda Village road.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शर्मा, अपर सचिव.

४५. ग्राम का नाम व प. ह. नं.—सदपुरवा-१, छतनी-५, बम्हरिया-१, कोठिया-१, बहेरी-१, सिपुवा-१, वन लण्ड—रकबा—१८२६.०० एकड़.

उत्तर.—साइन कटी सीमांकित मु. क्र. ६६/६ से ६७/२० तक बहेरी गांव का प्रौर ६७/२०-६८/१ से ७६/६ तक सिपुवा गांव का प्रौर नावा ७६/६ से १/१ तक प्रौर जारिन कटी १/१ से २०/१० तक सदपुरवा गांव का.

पूर्व.—नाला सीमांकित मु. क्र. १०/१० से ११/१ तक प्रौर कटी साइन ११/१ से १८/८ तक छतनी गांव का प्रौर नावा १८/८ से १९/१ तक प्रौर साइन कटी सीमांकित मु. क्र. १९/१ से ३४/१६ तक बम्हरिया गांव का.

दक्षिण.—साइन कटी सीमांकित मु. क्र. ३४/१६ से ३५/१७ तक बम्हरिया गांव का प्रौर ३५/१७-३६/१ से ४०/५ तक कोठिया गांव का.

पश्चिम.—साइन कटी सीमांकित मु. क्र. ४०/५ से ४१/६ तक क की सीमा बनाती है प्रौर साइन कटी ४१/६ से ५७/२२ तक कोठिया गांव का प्रौर नावा ५७/२२ से ५८/१ तक प्रौर कटी साइन सीमांकित मु. क्र. ५८/१ से ६६/६ तक बहेरी गांव का.

ग. नि. म.—दुधमनिया.

ग्राम का नाम व प. ह. नं.—चुर्की-१५, वन लण्ड—चुर्की. रकबा—१८३६.०० एकड़.

उत्तर.—साइन कटी सीमांकित मु. क्र. १/१ से १२/१२ तक चुर्की गांव का प्रौर नावा १२/१२ से १३/१३ तक प्रौर कटी साइन सीमांकित मु. क्र. १३/१३ से ४८/४८ तक चुर्की गांव का.

पूर्व.—साइन कटी सीमांकित मु. क्र. ४८/४८ से ५५/५५ तक चुर्की गांव का प्रौर उत्तर प्रदेश एवं मध्यप्रदेश की सरहदों तक प्रौर सरहदों राज्य रेखा सीमांकित मु. क्र. ५६/५६ तक ब्लॉक की सीमा बनाती है प्रौर कटी साइन सीमांकित मु. क्र. ५६/५६ से ६१/६१ तक चुर्की गांव का प्रौर राज्य की सरहदों रेखा सीमांकित मु. क्र. ६१/६१ से ६२/६२ तक.

दक्षिण.—साइन कटी सीमांकित मु. क्र. ६२/६२ से ११६/११६ तक चुर्की गांव का.

पश्चिम.—नाला सीमांकित मु. क्र. ११६/११६ से १/१ तक ब्लॉक की सीमा बनाती है.

४६. ग्राम का नाम व प. ह. नं.—गोरखी-३७, कोठिया-३७, बम्हरिया-३७, फलसारा-३७, वन लण्ड—गोरखी. रकबा—२१६६.०० एकड़.

उत्तर.—साइन कटी सीमांकित मु. क्र. ६८/८ से १०२/१२ तक बम्हरिया गांव का प्रौर सीमांकित मु. क्र. १०२/१२-१०३/१ से १०५/१३ तक फलसारा गांव का प्रौर नावा १०५/३ से १/१ तक प्रौर कटी साइन सीमांकित मु. क्र. १/१ से २८/२८ तक गोरखी गांव का प्रौर नावा २८/२८ से २६/१६ तक प्रौर कटी साइन २६/१६ से ३४/३४ तक गोरखी गांव का प्रौर नावा ब्लॉक की सीमा बनाता है.

पूर्व.—नाला ब्लॉक की सीमा बनाता है.

दक्षिण.—कटी साइन सीमांकित मु. क्र. ३५/३५ से ८३/८३ तक गोरखी गांव का प्रौर ८३/८३ से ८४/१ तक प्रौर साइन कटी सीमांकित मु. क्र. ८४/१ से ९०/७ तक कोठिया गांव का प्रौर ९०/७-९१/१ से ९७/७ तक बम्हरिया गांव का.

पश्चिम.—नाला ब्लॉक की सीमा बनाता है.

४७. ग्राम का नाम व प. ह. नं.—चकरिया-३४, चुर्की ३५, वनलण्ड—चकरिया. रकबा—२२७३.०० एकड़.

उत्तर.—साइन कटी सीमांकित मु. क्र. ४८/१५ से ६०/२७ तक चकरिया गांव का.

पूर्व.—(१) साइन कटी सीमांकित मु. क्र. ६०/२७ से ६७/३४ तक चकरिया गांव का प्रौर (२) राज्य की सरहदों रेखा उत्तर प्रदेश प्रौर मध्यप्रदेश की सीमांकित मु. क्र. ६७/३४ से ६८/३५ (३) साइन कटी सीमांकित मु. क्र. ६८/३५

से ७३/४० तक चकरिया गांव का प्रौर ७३/४०-७४/१ से ८०/७ तक चुर्की गांव का प्रौर राज्य की सरहदों तक (४) राज्य रेखा ब्लॉक की सीमा बनाती है, (५) साइन कटी सीमांकित मु. क्र. ८१/८ से १२३/५० तक चुर्की गांव का, (६) राज्य की सरहदों रेखा उत्तर प्रदेश प्रौर मध्यप्रदेश की सीमांकित मु. क्र. १२३/५० से १२४/५१ तक.

दक्षिण.—साइन कटी सीमांकित मु. क्र. १२४/५१ से १४५/७२ तक चुर्की गांव.

पश्चिम.—साइन कटी सीमांकित मु. क्र. १४५/७२ से १५८/८५ तक चुर्की गांव का प्रौर १५८/८५ से १/१ तक तथा कटी साइन सीमांकित मु. क्र. १/१ से ३३/३३ तक चुर्की गांव का प्रौर ३३/३३-३४/१ से ४८/१५ तक चकरिया गांव का.

४८. ग्राम का नाम व प. ह. नं.—सिरगुड़ी ३३, बरपड़ ३३, फलसारा-३३, फलसारा-३३, मोम ३३, वनलण्ड—सिरगुड़ी, रकबा—१५८०.०० एकड़.

उत्तर.—नाला सीमांकित मु. क्र. ७६/१६ से ८८/२० तक प्रौर कटी साइन सीमांकित मु. क्र. ८८/२०-८९/१ से ८८/८ तक सकेली गांव का (साइन कटी) ८८/२० से ८३/१ तक फलसारा प्रौर सिरगुड़ी ब्लॉक की शामिलता सीमा बनाती है, प्रौर ८८/८-८९/१ से ९०/१ से ९३/४ तक फलसारा प्रौर मोम गांवों का क्रमशः प्रौर ९३/४-९४/१ से ९५/२ फलसारा गांव का.

पूर्व.—साइन कटी सीमांकित मु. क्र. ९५/२-९६/१ से ११४/१६ तक मोम गांव का प्रौर नाला सीमांकित मु. क्र. ११४/१६ से १/१ तक.

दक्षिण.—साइन कटी सीमांकित मु. क्र. १/१ से २४/२४ तक सिरगुड़ी गांव का प्रौर २४/२४-२५/१ से २८/१४ बरपड़ गांव का.

पश्चिम.—साइन कटी सीमांकित मु. क्र. २८/१४ से ५४/३० तक बरपड़ गांव का प्रौर ५४/३०-५५/१ से ५६/२ तक मोम गांव का, प्रौर ५६/२-५७/१ से ५८/२ बरपड़ गांव का, प्रौर ५८/२ से ५९/१ से ६०/२ तक सकेली गांव का, प्रौर ६०/२-६१/१ से ७६/१६ तक बरपड़ गांव का.

४९. ग्राम का नाम व प. ह. नं.—मुत्तियाटोला-१७, जलसारा-१८, गोमला-१६, कोठिया-१८, बिलवा-१७, खसलुट १७, फलसारा १७, वनलण्ड—मुत्तियाटोला. रकबा—५८५८.०० एकड़.

उत्तर.—साइन कटी सीमांकित मु. क्र. ३२/७ से ४२/१७ तक जलवा गांव का प्रौर ४२/१७ से ४३/१ से ४४/१ तक कोठिया गांव का, प्रौर सीमांकित मु. क्र. ६६/६ तक फलसारा ब्लॉक प्रौर ६६/६ से ५५/२ तक ब्लॉक वेलन का प्रौर ५५/२-५५/३ से ५७/२५ तक फलसारा गांव का प्रौर सीमांकित मु. क्र. ५७/२५ तक वेलन ब्लॉक का, प्रौर सीमांकित मु. क्र. ५७/२५ से २३/२३ तक वेलन ब्लॉक का.

पूर्व.—साइन कटी सीमांकित मु. क्र. २३/२३, ५८/१ से ७६/१६ तक गोमला गांव का प्रौर ७६/१६-७७/१ से ९१/१५ तक मुत्तियाटोला गांव का प्रौर ९१/१५, ९२/१ से ९५/४ तक कोठिया गांव का प्रौर सीमांकित मु. क्र. ९५/४ तक ब्लॉक तमई का.

दक्षिण.—साइन कटी सीमांकित मु. क्र. १७६/१ से १७८/८ तक ब्लॉक तमई का प्रौर, १७८/८-१७९/१ से १७/२ तक फलसारा गांव का प्रौर नावा १७/२ से १८/१ तक साइन कटी सीमांकित मु. क्र. १८/१-१९/१ तक मुत्तियाटोला गांव का प्रौर १९/१-२०/१ से २२/१ तक फलसारा गांव का, प्रौर २२/१-२३/१ से २५/१ तक खसलुट गांव का.

परिचय—साइन कटी सीमांकित मू. क. ३५०/१८ तक मोर ३५०/१८ से ३५६/२४ तक
 मोर का मोर ८३/१ तक सिप्टी नलक का मोर ८३/१
 से ८०/२० तक सिप्टी नलक का मोर ८०/२० से
 ३५७/१ तक तथा कटी साइन सीमांकित मू. ३५७/१ से
 ३६४/६ तक प्रमलहवा गांव का मोर ३६४/६-३६५/१
 से ३६५/१० तक फजुवदेई गांव का मोर ३६५/१०
 से ३६६/१ तक कटी साइन ३६६/१ से ३६६/४ तक प्रमल-
 हवा गांव का मोर ३६६/४ से ४००/३ तक कटी
 सिप्टी नलक मू. क. ४००/३ से ४२०/२५ तक प्रमलहवा
 गांव का मोर ४२०/२५ से ४२१/१ तक कटी रेखा
 ४२१/१ से ४२३/१ तक फजुवदेई गांव का मोर ४२३/
 १ से ४२४/४ तक मोर ४२४/४ से ४३०/१० तक फजुवदेई
 गांव का मोर ४३०/१० से ४३०/१ तक कटी साइन
 मू. क. ४३०/१ से ४५१/१ तक बोड्डिहार गांव
 का मोर ४५१/१ से ४५२/१ तक मोर कटी साइन
 सीमांकित मू. क. ४५२/१ से ४६०/२३ तक बोड्डिहार
 गांव का मोर ४६०/२३ से ४६१/१ तक कटी साइन
 सीमांकित मू. क. ४६१/१ से ४६४/१ तक फजुवदेई गांव
 का मोर ४६४/१ से ४६५/१ से ४६५/२० तक प्रमलहवा
 गांव का मोर ४६५/२० से ४८५/१ से ४८५/१ से ४८७/१
 तक बरवा टोला गांव का मोर बरवाटोला गांव का क्रमांक
 मोर ४८७/१-४८८/१ से ४८८/१ तक प्रमलहवा गांव
 का मोर ४८८/१ से ४८९/१ से ४९३/१ तक मुलखान कला
 गांव का मोर ४९३/१-४९४/१ से ४९४/१ से ४९४/१ तक प्रमल-
 हवा गांव का मोर ४९४/१ से ४९४/१ से ४९४/१ तक
 मुलखान गांव का, मोर ४९४/१ से ४९५/१ से ४९६/६
 तक प्रमलहवा गांव का मोर ४९६/६-४९७/१ से ४९७/१
 तक मुलखान कला गांव का मोर ४९७/१-४९८/१ से
 ४९८/१ से ४९८/१ तक मुलखान कला गांव का मोर ४९८/१ से
 ४९८/१ से ४९८/१ तक गेहई गांव का मोर ४९८/१
 से ४९८/१ से ४९८/१ तक मुलखान कला गांव का मोर
 ४९८/१-४९९/१ से ४९९/१ तक मुलखान कला गांव का मोर
 ४९९/१-५००/१ से ५००/१ तक मुलखान कला गांव का
 मोर ५००/१-५००/१ से ५००/१ तक मुलखान कला गांव का
 मोर ५००/१-५००/१ से ५००/१ तक मुलखान कला गांव का
 मोर ५००/१-५००/१ से ५००/१ तक मुलखान कला गांव का
 मोर ५००/१-५००/१ से ५००/१ तक मुलखान कला गांव का
 मोर ५००/१-५००/१ से ५००/१ तक मुलखान कला गांव का
 मोर ५००/१-५००/१ से ५००/१ तक मुलखान कला गांव का

परिचय—कटी साइन सीमांकित मू. क. १५१/१ से ३०/३० तक
 बुडीचुवा गांव का मोर ३०/३० से ३१/१ से ५२/३३
 तक फजुवदेई गांव का मोर ५२/३३-५३/१ से ६७/१५
 तक गबोली गांव का मोर ६७/१५-१५/१ से ७५/६ तक
 बुडीचुवा गांव का मोर ७५/६-७६/१ से ८४/६ तक गबोली
 गांव का मोर ८४/६-८५/१ से ८३/७ तक खवदेई गांव का
 मोर सीमांकित मू. क. ८२/१ तक.
 कुल योग ५५ अक्षर १,१३८१६.०० एकड़. (१७७.६४)
 में मील.
 संक्षिप्त विवरण.—यू.पी. में प्रतिनिधित्व वन जोखी उत्पादन का
 क्षेत्र है,
 वन राज के विषे कारण—राज तथा जनता के हित में होनेवा के
 अधिकतम को संक्षिप्त करने तथा क्षेत्रव्यय प्रथम किया जाना प्रारम्भ
 करने के विषे निरवय विचारणीय है कि वही प्रतिष्ठित क्षेत्रों के प्रथम
 रक्षा प्राप्त.
 दिनांक २५ फरवरी १९६८
 क. ५००/३-३०५/३-२५—भारत वन प्रतिनिधय, ३९२० (क.
 १९ म १९२०) का मुद्रा से भाग ३२० भाग ३ का अक्षर ३
 हुए राज्य शासन ने यह निर्णय किया है कि निम्नलिखित प्रतिनिधित्व का
 क्षेत्र और दिनांक गांव दो पर यूपी में समाई गई है "भारत
 क्षेत्र" निर्मित होगा.
 राज्य शासन उक्त प्रतिनिधय को धारा ४ (१) के प्रमाण के
 सिप्टी नलक की पुराने का वन परीक्षा प्रतिष्ठित नियुक्त
 नियुक्त है.

वनपत्रों

परिचय—साइन कटी सीमांकित मू. क. ६५७/४ से १५७/१४
 तक नौगई गांव का मोर ६५७/१४ से ६५८/१ तक फजुवदेई
 गांव का मोर ६५८/१ से ६५९/१ तक गेहई गांव का मोर
 ६५९/१, ६६०/१, से ६६२/३ तक नौगई गांव का मोर
 मू. क. ६६२/३ तक.
 जिमा—सीपी, तहसील—सिंगरोली, वनमंडल—पूर्वी सीपी,
 फजुवदेई, रा. नि. मंडल—सिंगरोली. प्राय का
 नाम व. प. ह. नं.—दुडीचुवा-२६, फजुवदेई-२६, गबोली-
 २६, खवदेई-२६, पटका-२६, सिप्टी नलक-२६, बुडीचुवा-२६,
 वनपत्र—बुडीचुवा, रकबा—४३६१.०० एकड़.
 पूर्व—साइन कटी सीमांकित मू. क. ६२/१ से १००/६ तक
 बुडीचुवा गांव का मोर १००/६-१०१/१ से ११०/१ से
 ११०/१ तक सिप्टी नलक गांव का.
 पूर्व—राज्य की चट्टी रेखा उत्तरप्रदेश मोर मध्यप्रदेश की
 अक्षांश की सीमा सीमांकित मू. क. ११०/१८ से ११६/१
 तक बनती है, मोर कटी साइन सीमांकित मू. क. ११६/१
 से १२२/१ तक बुडीचुवा गांव का मोर राज्य की रेखा
 उत्तरप्रदेश मोर मध्यप्रदेश की अक्षांश की सीमा बनती है,
 दिशा—(१) राज्य रेखा उत्तरप्रदेश मोर मध्यप्रदेश की अक्षांश
 की सीमा बनती है, (२) साइन कटी सीमांकित मू. क.
 ११६/१ से १२२/१ तक बुडीचुवा गांव का.

जिमा—सीपी, तहसील—सिंगरोली, वनमंडल—पूर्वी सीपी
 परिसर—सा. नि. मंडल, रा. नि. मंडल, पान का नाम व. प. ह. नं.
 वनपत्र—२४ अक्षर ५३३-५३३, वनपत्र—काना, रकबा—८५.००
 एकड़.
 उत्तर—भारत वन जो रेखा अक्षांश का साया बनाती है,
 पूर्व—साइन कटी सा. वन के मुनारे से सीमांकित मू. क. १/१
 तक सीमांकित मू. क. १/१ से ६/६ तक धनमङ्ग गांव का,
 दिशा—साइन कटी सीमांकित मू. क. ४/६ से ६/६ तक धनमङ्ग
 गांव का मोर मू. क. ६/६ से ७/१ तक,
 परिचय—साइन कटी सीमांकित मू. क. ७/१ से ६/१ तक लत्ता-
 तहसील गांव का मोर सा. वन के मुनारे तक,
 २. जिमा—सीपी, तहसील—सिंगरोली, वन मंडल—पूर्वी
 सीपी, परिसर—सा. नि. मंडल, रा. नि. मंडल—सा. नि. मंडल, पान
 का नाम व. प. ह. नं.—गुना-२३, धनमंडल—गुना, रकबा—
 ८८.०० एकड़.
 उत्तर—सा. वन जो रेखा अक्षांश को साया बनाती है,
 पूर्व—साइन कटी सा. वन के मु. से सीमांकित मू. क. १/१ तक
 मोर १/१ से १/१ तक गुना गांव का,
 दिशा—साइन कटी सीमांकित मू. क. १/१ से ६/६ तक गुना
 गांव का,
 परिचय—साइन कटी सीमांकित मू. क. १/१ से सा. वन के मुनारे
 तक,
 ३. जिमा—सीपी, तहसील—सिंगरोली, वन मंडल—पूर्वी
 सीपी, परिसर—सा. नि. मंडल, रा. नि. मंडल—सा. नि. मंडल, पान
 का नाम व. प. ह. नं.—गुना-२३, धनमंडल—गुना, रकबा—
 ८८.०० एकड़.
 उत्तर—साइन कटी सा. वन के मु. से सीमांकित मू. क. १/१ तक
 मोर १/१ से १/१ तक गुना गांव का, मोर सीमांकित मू.
 क. १/१ से १/१ तक

Bhopal, the 30th August 1975

No. 11376 Forest-N-2. In exercise of the powers conferred under section 18(i) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972), the Madhya Pradesh State Government hereby declares the land specified in Schedule below as "Dudhwa Game Sanctuary" for the birds and animal in the said sanctuary.

Schedule

Name of District	..	Sidhi.
Name of Range	..	Majhauli. Madwa Pondi.
Name of Division	..	West Sidhi
Name of Sanctuary	..	Dubari.
Area	..	30,948.00 Hectats. 309.480 Sq. K.M.

Details of Boundary

North—From junction of Banas River and Jhirha Nala being Jhirha Nala up to Barkadal Patch line Pillar No. 9 then Patch line Pillar No. 9 up to Pillar No. 1 where meet Majhauli-Barkadiol Forest Road up to south of Reserve Forest Madwas line Pillar No. 91, then being Reserve Forest Pillar No. 91 up to Majhauli-Pondi-Bastua Forest Road.

East—Majhauli-Pondi-Bastua Forest Road up to Reserve Forest Madwas Pillar No. 300 and then Pillar No. 300 being Pondi-Kota-Kundaur Forest Road up to middle of Reserve Forest line Pillar No. 135 and 136, then being middle of Reserve Forest Pillar No. 223 (Mawai River).

South—Mawai River up to meeting of Banas River.

West—From junction of Mawai and Banas River being Banas river its flowing towards up to meeting of Jhirha Nala.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, B. C. SAXENA, Dy. Secy.

वार्णिक एवं उद्योग विभाग

भोपाल, दिनांक 29 फरवरी 1975

क्र. 11124-5958-ग्यारह-अ.—श्री विशाहदास महुत, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश खादी तथा प्रगोष्ठान मण्डल, भोपाल द्वारा प्रस्तुत व्यापक दिनांक 30 फरवरी 1975 के अपराह्न से राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

क्र. 11125-5958-ग्यारह-अ.—मध्य प्रदेश खादी एवं प्रगोष्ठान अधिनियम, 1959 (क्रमांक 2 सन् 1960) की धारा 5 की उपधारा (5) के द्वारा प्रस्तुत अधिभारों के अंतर्गत राज्य शासन मोलाना इनायत उस्ताद साँतजी मशरिफी, विधायक, गिरौजक्षेत्र, जिला बिरिसा, मध्य प्रदेश, को श्री विशाहदास महुत, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश खादी तथा प्रगोष्ठान मण्डल, भोपाल द्वारा व्यापक दिने जाने के कारण दिनांक 30 फरवरी 1975 से मध्य प्रदेश खादी तथा प्रगोष्ठान मण्डल के अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने की अनुमति दी जाती है।

66

क्र. 1975-10-5-ग्यारह-अ.—मध्य प्रदेश खादी तथा प्रगोष्ठान मण्डल द्वारा प्रस्तुत दिनांक 27 फरवरी 1975 के अपराह्न से राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विनोद दाज, सहायक सचिव

सामाजिक सशक्त विभाग

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 1975

क्र. 1975-10-5-ग्यारह-अ.—मध्य प्रदेश खादी तथा प्रगोष्ठान मण्डल द्वारा प्रस्तुत दिनांक 27 फरवरी 1975 के अपराह्न से राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विनोद दाज, सहायक सचिव

शिक्षण, आर्थिक एवं सामाजिक विभाग

भोपाल, दिनांक 29 फरवरी 1975

क्र. 1602-नेशनल-सा.—मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रस्तुत दिनांक 29 फरवरी 1975 के अपराह्न से राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विनोद दाज, सहायक सचिव

श्री शक्ति जाति एवं हरिजन कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 1975

क्र. 1975-10-285-73-1-वकील-अ.—श्री जे. ए. शर्मा, अध्यक्ष, श्री शक्ति जाति एवं हरिजन कल्याण मण्डल, जिला बिरिसा, मध्य प्रदेश, को श्री विशाहदास महुत, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश खादी तथा प्रगोष्ठान मण्डल, भोपाल द्वारा व्यापक दिने जाने के कारण दिनांक 30 फरवरी 1975 से मध्य प्रदेश खादी तथा प्रगोष्ठान मण्डल के अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने की अनुमति दी जाती है।

क्र. 1975-10-285-73-1-वकील-अ.—श्री जे. ए. शर्मा, अध्यक्ष, श्री शक्ति जाति एवं हरिजन कल्याण मण्डल, जिला बिरिसा, मध्य प्रदेश, को श्री विशाहदास महुत, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश खादी तथा प्रगोष्ठान मण्डल, भोपाल द्वारा व्यापक दिने जाने के कारण दिनांक 30 फरवरी 1975 से मध्य प्रदेश खादी तथा प्रगोष्ठान मण्डल के अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने की अनुमति दी जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विनोद दाज, सहायक सचिव

(61)

Gandhi Nagar Wm

655

नगरपालिका राजपत्र, दिनांक २ जून १९७२

(भाग १)

क. १४७४.—भास्वीय वन परिचालन, १९२७ (१९२७ वन १९वां अधिनियम), की भाग २७ की उपधारा (१) के तहत प्रदत्त भूखण्डों को प्रयोग में लाने हेतु राज्य शासन, एम्बेदाकर, निर्देश देता है कि इन विभाग को अधिनियम क. ३२२३-२०२४-११ दि. १० फरवरी, १९७२ के द्वारा प्रस्तावित मनुसूची में उचित रकबा को धारित मान्यता प्राप्त किया गया था, इन मनुसूची के "मध्य प्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन के दिनांक से धारित किया नहीं रहेगा।

अनुसूची

जिला—भारतपुरा, वन मण्डल—कोरिया, उत्तरीय—बैकुण्ठ, वन परिश्रेत—चिरमिरी

क्रमांक	धारित वन का नाम	खंड अथवा रूप क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विवरण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१.	बुन्दिया बहुरा धारित वन	सकड़ी पातन अंशो- बुन्दिया बहुरा का सकड़ी रूप क.१३	१.३८	उत्तर—बुन्दिया बहुरा धारित वन का भाग, पूर्व—बुन्दिया बहुरा धारित वन का भाग, दक्षिण—बुन्दिया बहुरा धारित वन का भाग, पश्चिम—बुन्दिया बहुरा धारित वन का भाग
		विवरण	१.३८ (एकड़ अथवा ०.५१७ हेक्टेयर)	

संक्षिप्त विवरण.—१.३८ एकड़ का रकबा जो कि न्यूनतम संयुक्त कोयला खदान (उत्तरीय-चिरमिरी कोयला खदान, इन्कव-मंडलापती-चिरमिरी) द्वारा आवश्यक है चिरमिरी वन परिश्रेत के बुन्दिया बहुरा सकड़ी, पातन अंशो, सकड़ी रूप क्रमांक १३ का भाग बुन्दिया बहुरा धारित वन के अन्तर्गत पड़ता है। यह एकड़ तीन (३) व अधिक अंशों के रूप में विहित है।

नियुक्ति के कारण.—उपरोक्त निर्देशित रकबा पर्याप्त संयुक्त कोयला खदान (उत्तरीय चिरमिरी कोयला खदान, आंक वर, मेल्हापानी-चिरमिरी) को कोयले खदान कल्याण अधिकारी संस्था द्वारा निम्न अंशों के ४० बरगम बनाने हेतु आवश्यक है।

भोगान, दिनांक १३ मार्च १९७२

क. १५०२-१९६८-२३ (बी)-२३.—भास्वीय वन परिचालन, १९२७ (क्रमांक १६ वन १९२७) की भाग २७ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त भूखण्डों को प्रयोग में लाने हेतु राज्य शासन एम्बेदाकर यह निर्देश देता है कि निम्ने अनुसूची में उल्लिखित क्रमांक वन का प्रभाग, जिसके तहत विभाग को अधिनियम क्रमांक-१६२३-२०२४-११ दि. १० फरवरी, १९७२ के द्वारा धारित वन घोषित किया गया था, "मध्य प्रदेश राजपत्र" में इन मनुसूची के प्रकाशन होने के दिनांक से धारित वन नहीं रहेगा।

अनुसूची

जिला—मन्डौर, तहसील—भागपुरा

अनुसूचित वन का नाम संविभाग का रूप का क्रमांक

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
क्रमांक	धारित वन का नाम	खंड अथवा रूप क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विवरण
	मेन पठार	धारित वन मेन पठार का प्रभाग	७१०.००	उत्तर—कट काशी पीपर नं. १ से ३ तक, धारित वन मेन पठार एवं प्रत्येक भाग राज्य-भूमि, पूर्व—कट काशी पीपर नं. २ से ३ तक, धारित वन मेन पठार, एवं भागपुरा तक सड़क, दक्षिण—कट काशी पीपर नं. ३३ से ५५ तक, धारित वन मेन पठार एवं कटोरी काशी पीपर नं. ३ का भाग, पश्चिम—कट काशी पीपर नं. ५५ से ७५ तक, धारित वन मेन पठार एवं प्रत्येक भाग राज्य-भूमि का भाग।

राज्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 1974

1728

दक्षिण—प्रकोष्ठ क्रमांक ८१७, ८१८, ८१९, ८२०, ८२१, ८२२, ८२३(ए), ८२४, ८४०, ८४३, ८६४, ८६६, ८६७, ८८६, ८८८, ८८९, ८९२, ८९४(ए), ८९५, ८९६, ७००(ए), ७०१ की बाहरी सीमा जो गांधी सागर नवसायक के किनारे तक है। प्रकोष्ठ क्रमांक ८३२; ८३३, ८३४, ८४७, ८६२, ८६७, ८६८, ८८३ व ८८७ की बाहरी सीमा।

पश्चिम—प्रकोष्ठ क्रमांक ५६६, ५६७, ६२६, ६३१ व ६३२ की बाहरी सीमा।

राज्यप्रदेश के राजपत्रात्मक नाम तब तथा आदेशानुसार, बार. सी. तक्सोना, उपसचिव, भोपाल, दिनांक ३ अक्टूबर १९७४।

क्र. ४६००-३४०५-दा-२-७४.—भारत की संविधान के अनुच्छेद ३४८ के अन्तर्गत (३) के अन्वय में, यह विभाग की स्थापना क्र. ४३६६-३४०५-दा-२-७४, दिनांक ३ अक्टूबर १९७४ का संशोधन अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है।

राज्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम तब तथा आदेशानुसार, बार. सी. तक्सोना, उपसचिव, Bhopal, the 3rd September 1974.

क्र. ४६००-३४०५-दा-२-७४.—In exercise of powers conferred by clause (3) of section 348 of the Constitution of India (No. 53 of 1974), the Madhya Pradesh State Government hereby declares the land specified in Schedule below as "Game Sanctuary" for the Birds and animals in the said sanctuary:—

SCHEDULE

District—Mandlaour.
Tahsil—Manasa & Bhopal.
Name of Forest Block—Rampur Man Patbar.
Name of Game Sanctuary—Candhisagar.
Area in Hect.—11,465.00.
Area in Sq. X.M.—224.06.

Details of Boundaries.

North—External boundaries of Compartment No. 558, 559, 558, 599, 600, 601, 602, 603, 605, 606, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 617, 719 & 720 which forms northern boundary of Madhya Pradesh between Rajasthan and Madhya Pradesh.

West—External boundaries of compartment No. 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

South—External boundaries of Compartment No. 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

West—External boundaries of Compartment No. 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. C. SAXENA, Dy. Secy.

मूह विभाग

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर, 1974.

क्र. एन-३-८०-७४-२-ए(३).—विभाग के पदाधिकारियों के लिए आसन द्वारा नियत रिक्तियों परीक्षा को दिनांक 24 मई 1974 को "निविदा प्रक्रिया" नियम से संपन्न हुई थी उसमें नियत रिक्त पदाधिकारी उत्तीर्ण हुए हैं।—

उक्त वर्ग

इंदौर संभाग

1. श्री श्रीराम नारायण, विभाग कर निरीक्षक
2. श्री जयनाथ प्रसाद दाभदेव, विभाग कर निरीक्षक

3. श्री जी. जी. दास, सहायक विभाग कर निरीक्षक
4. श्री जी. जी. शर्मा, सहायक विभाग कर निरीक्षक
5. श्री जयंत शर्मा, विभाग कर निरीक्षक

भोपाल संभाग

6. श्री आनंद शर्मा, विभाग कर निरीक्षक

सागर संभाग

7. श्री रामचंद्र गुप्ता, विभाग कर निरीक्षक

8. श्री टी. पी. राव, विभाग कर निरीक्षक

खिन्नासा संभाग

9. श्री एम. एन. शर्मा, विभाग कर निरीक्षक

10. श्री सी. के. राठोड़, विभाग कर निरीक्षक

11. श्री पी. एन. कर्पूरी, विभाग कर निरीक्षक

निम्न वर्ग

इंदौर संभाग

1. श्री नरेंद्र कुंभार गिह, सहायक विभाग कर निरीक्षक
2. श्री जी. टी. दिलीप, सहायक विभाग कर निरीक्षक
3. श्री रजनाथ भावे, सहायक विभाग कर निरीक्षक
4. श्री के. पी. दास, सहायक विभाग कर निरीक्षक
5. श्री जयनाथ प्रसाद दाभदेव, सहायक विभाग कर निरीक्षक
6. श्री के. एम. जैन, सहायक विभाग कर निरीक्षक
7. श्री पी. के. श्रीवास्तव, विभाग कर निरीक्षक
8. श्री जे. पी. नारायण, विभाग कर निरीक्षक
9. श्री पी. पी. श्रीवास्तव, विभाग कर निरीक्षक
10. श्री एन. पी. सिद्दीक, विभाग कर निरीक्षक

जयलपुर संभाग

रायपुर संभाग

क्र. एन-३-८०-७४-२-ए(३).—पदाधिकारी विभाग के पदाधिकारियों के लिए आसन द्वारा नियत रिक्तियों परीक्षा को दिनांक 26 मई 1974 को "निविदा" विधय से संपन्न हुई थी उसमें नियत रिक्त पदाधिकारी उत्तीर्ण हुए हैं।—

उक्त वर्ग

1. श्री एन. कोसे, सहायक विभाग कर निरीक्षक

2. श्री श्री. शर्मा, सहायक विभाग कर निरीक्षक

राजप्रदेश के राज्यपाल के नाम से



दक्षिण-पश्चिम भाग में बंगाल नदी आरक्षित वन संरक्षित क्षेत्रों को जो कि बालाघाट जिला के ग्राम अजगांव, भिहगांव, मनसरोई और बाबा दे हांकर गाँवों से और फिर मुक्तो के ग्राम तक बंगाल नदी से होकर जाती है और फिर अजगांव, बालाघाट वन संरक्षित क्षेत्र की दक्षिणी सीमा जय तक कि वह बालाघाट एवं राजनांदगांव जिलों के बीच की अंतर्निहित सीमा से मिलती है, और फिर बालाघाट जिले से छतरपुर वन संरक्षित क्षेत्र बालाघाट एवं राजनांदगांव जिलों के बीच की अंतर्निहित सीमा तक।

नध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वार. सी. लक्ष्मणा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 1974.

क्र. ४०२४-१६४३-वन-२-७४.—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के तहत (३) के अनुसार में, इस विभाग की अधिनियम क्र. ४०२३-१६४३-वन-२-७४, दिनांक ३ सितम्बर १९७४ का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है।

नध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वार. सी. लक्ष्मणा, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd September 1974.

No. 4023-1643-X-2-74.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 36 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972), the State Government hereby declares the area specified in the Schedule below to be a game reserve:

SCCHEDULE

The area comprised within the boundaries specified below excluding the area of Kanha National Park and Supkhar sanctuary.

District	Balaghat and Mandla
Name of sanctuary	Maikal Game Reserve
Area	273.74 Sq. Kilo Meter

Starting near Chhatrapur forest village in Balaghat district, the inter-district boundary running northwards between Balaghat and Rajnandgaon districts till it meets Jabalpur Bilsapur road, thereafter the inter-district boundary between Balaghat and Mandla districts until village Bhindongri in Balaghat district.

North—Starting from village Bhindongri the western corner of Raigarh East Reserved Forest block up to the main river, thereafter the western boundary of Raigarh Reserved Forest block until village Bhalapuri, then the northern and western boundaries of Raigarh West Reserved Forest block till it meets the inter-district boundary between Balaghat and Mandla districts formed by Gondla river, and thereafter the eastern boundary of Banjar Valley Reserved Forest block up to Bhalwani forest village and then by the common boundary between Chouranga and Tendua Reserved Forest blocks up to village Khatola and then the northern boundary of Tendua Reserved Forest block till it meets Serpan river near village Shahpur, then the northern boundary of Mandladar Reserved Forest block till it meets the boundary of Samaiya Bhagpur forest village, thereafter the fire line running from north east to south-west meeting the boundary of Mandladar Reserved Forest block, and thereafter again the continuation of the northern boundary of Mandladar Reserved Forest block, till it meets the boundary of village Anli, thereafter the eastern boundary of Mandladar Reserved Forest block running along village Kusehali, Batachhapri, Sota, Khariya Naranyi till it meets Chaughar river, thereafter the western boundary of forest village Lotri till Baghwar nala and thereafter the western boundary of Banjar Valley Reserved Forest block till village Jhalup.

South—From village Jhalup the southern boundary of Banjar Valley Reserved Forest block in Balaghat district running along villages Kabagan, Malyagan, Malkhedi and Khapa and then along Banjar river till forest village Mukti and thereafter the southern boundary of Bhalranghat Reserved Forest Block till it meets the inter-district boundary between Balaghat and Rajnandgaon districts, and thereafter the inter-district boundary between Balaghat and Rajnandgaon districts up to forest village Chhatrapur in Balaghat district.

By order and in the name of the Governor of,
Madhya Pradesh,
R. C. SAXENA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक २८ सितम्बर १९७४.

क्र. ४५१५-३६४३-वन-२-७४.—भारतीय वन अधिनियम, १९७२ (क्र. १६, वन १९७२), की धारा ४ की उपधारा (१) के उपन्यासे से अधीन जारी की गई अधिनियम क्र. ७०५१, दिनांक २३ सितम्बर १९७१ द्वारा राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी उक्त अधिनियम में उल्लिखित भूमियों को आरक्षित वन बनाने का निर्देश किया गया था और अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन पदाधिकारियों के कर्तव्यों का पालन करने के लिये श्री एन. जी. चौबेवाले, को नियुक्त की थी।

२. कि श्री एन. जी. चौबेवाले, स्थानांतरित हो गये हैं, अतएव उक्त अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१) में प्रदत्त शर्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उक्त अधिनियमों में उल्लिखित भूमियों के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन पदाधिकारियों के कर्तव्यों का पालन करने के लिये श्री एन. जी. चौबेवाले को नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वार. सी. लक्ष्मणा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक ३ सितम्बर १९७४.

क्र. ४५३२-३४०५-वन-२-७४.—राज्य सरकार (अधिनियम) अधिनियम, १९७२ (क्र. ५३ वन १९७२), की धारा २८ द्वारा प्रदत्त शर्तियों के अनुसार मध्यप्रदेश शासन गीचे परिसर को घोषित करने के लिये श्री एन. जी. चौबेवाले को नियुक्त करता है।

परिसर

जिला—मंडलौर.

सहयोग—नवासा एवं भनपुरा.

वन सृष्ट का नाम—राजपुरा गेह पटार.

वनपारण्य का नाम—गीचे रागर.

क्षेत्रफल (हेक्टर में)—२२,४६५.००.

वर्ग किलोमीटर—२२४.६५.

सीमा

उत्तर—प्रकीर्ण क्रमांक ५९६, ५९७, ५९८, ५९९.

६००, ६०१, ६०२, ६०३, ६०४, ६०५, ६०६.

६०७, ६०८, ६१०, ६११, ६१२, ६१३.

६१४, ६१५, ६१६ व ६२० की सहूलि सीमा की

कि मध्यप्रदेश की आरक्षित सीमा है तथा मध्यप्रदेश एवं

मध्यप्रदेश राज्यों की संयुक्त सीमा है।

पूर्व—प्रकीर्ण क्रमांक ७२०, ७२१, ७२२, ७२३, ७२४

एवं ७१७ की सहूलि सीमा।

Bhopal, the 27th January 1983

No. 18-1-83-X-2.—The words 'And Unclassed Forest' appearing in the column (4) against serial number 5 of this department notification No. 18-3-77-X-(2), dated the 22nd May 1982 are hereby deleted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
J. B. LAL, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 1983

क्र. 15-2-83-दस-2—मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्र. 4599-3405-दस-दा-74, दिनांक 3 अक्टूबर 1974 द्वारा "मध्य प्रदेश राजपत्र" के दिनांक 1 नवम्बर 1974 में अधिसूचित की गई, गांधी सागर अभयारण्य सीमाओं को संशोधित कर वर्ध प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 (क्रमांक 53 सन 1972) की धारा 18(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार नीचे परिशिष्ट में दर्शाये गये क्षेत्र को मध्यप्रदेश शासन गांधी सागर अभयारण्य घोषित करता है :—

परिशिष्ट

जिला.—मन्दासौर

तहसील.—मनासा एवं भानपुरा

वन-खण्ड का नाम.—रामपुरा, मेन पठार

अभयारण्य का नाम.—गांधी सागर

क्षेत्रफल.—368.62 वर्ग कि. मी.

सीमा

उत्तर.—मध्यप्रदेश एवं राजस्थान की अन्तर्राज्य सीमा.

पूर्व.—मध्यप्रदेश एवं राजस्थान की अन्तर्राज्य सीमा.

दक्षिण—क्रमांक 1052, 1051 की पूर्वी सीमा, क्रमांक क्रमांक 1051, 1050, 1058, 1084, 1082 की दक्षिणी सीमा, प्र. क्र. 1082 की पश्चिमी सीमा, प्र. क्र. 1080, 1070 की दक्षिणी सीमा, प्र. क्र. 1068 की पूर्वी सीमा, प्र. क्र. 1066, 1065, 1016, 1011, 1004, 1003, 1002, 988 की दक्षिणी सीमा, प्र. क्र. 987, 986, 985, 943, 942, 941, 935 की पूर्वी सीमा, प्र. क्र. 935, 936 की दक्षिणी सीमा, प्र. क्र. 936 की पश्चिमी सीमा, प्र. क्र. 936 की उत्तरी सीमा, प्र. क्र. 941 की उत्तर पश्चिमी सीमा, प्र. क्र. 942, 940, 944 की पश्चिमी सीमा, प्र. क्र. 984, 985 की दक्षिणी सीमा, प्र. क्र. 945 की पूर्वी सीमा एवं दक्षिणी सीमा जो भुज ग्राम की उत्तरी सीमा है. प्र. क्र. 955 की दक्षिणी सीमा, प्र. क्र. 954 की पूर्वी एवं दक्षिणी सीमा, प्र. क्र. 958, 960, 969, 877, 876 की दक्षिणी सीमा.

पश्चिम—एरुदा नदी का जो क्रमांक क्रमांक 874, 875 एवं 876 की पश्चिमी सीमा बनाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे. बी. लाल, उपसचिव.

Gandhi Sagar WLS

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 1983

क्र. 15-2-83-दस-2—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 15-2-83-दस-2, दिनांक 28 फरवरी 1983 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. बी. लाल, उपसचिव.

Bhopal, the 28th February 1983

No. 15-2-83-X-2.—Gandhi Sagar Sanctuary was notified by Notification No. 4599-3405-X-2, 74, dated the 3rd October 1974 published in "Madhya Pradesh Gazette", dated the 1st November, 1974 and the said boundaries are hereby modified and under the powers vested under section 18(1) of the Indian Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972), the area shown in the Schedule given below hereby declared as Gandhi Sagar Sanctuary :—

SCHEDULE

District—Mandsaur

Tehsil—Manasa, Bhanpura

Name of Forest Block—Rampura, Mainpathar

Name of the Sanctuary—Gandhi Sagar.

Area—368.62 Sq. K.M.

Boundaries

North—Inter State boundary of Rajasthan and Madhya Pradesh.

East—Inter State boundary of Rajasthan and Madhya Pradesh.

South—Eastern boundary of Comptt. No. 1052, 1051 Southern boundary Comptt. No. 1051, 1050, 1058, 1084, 1082, Western boundary of Comptt. No. 1082, Southern boundary of Comptt. No. 1080, 1070, Eastern boundary of Comptt. No. 1068, Southern boundary of Comptt. No. 1066, 1065, 1016, 1011, 1004, 1003, 1002, 988, Eastern boundary of Comptt. No. 987, 986, 985, 943, 942, 941, 935, Southern boundary of Comptt. No. 935, 936, Western boundary of Comptt. No. 935, Northern boundary of Comptt.

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने
के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. भोपाल-505/ डब्ल्यू. पी.



पत्र क्रमांक भोपाल डिवीजन
122 (एम. पी.)

मध्य प्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

आधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 22 जनवरी 1994-माघ 2, शके 1915

वन विभाग

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 1994

क्र. एफ-14-146-91-दस-2.—नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया अभ्यारण्य या अभ्यारण्य का भाग जिसे इस विभाग की अधिसूचना क्र. 15-16-75-दस-2, दिनांक 21 मई, 1981 (प्रकाशित "मध्य प्रदेश राजपत्र", दिनांक 12 जून 1981, पृष्ठ क्रमांक 1121) के अनुसार वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 53 सन 1972) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार "हुकम" (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) तथा अन्य पशु पक्षियों के लिये अभ्यारण्य घोषित किया गया था, इस अधिसूचना से "मध्य प्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने की तारीख से अभ्यारण्य नहीं रहेंगे :-

अनुसूची

जिला—ग्वालियर, तहसील—गिंद (घाटीगांव), वन मंडल—ग्वालियर, परिक्षेत्र—गेम रेंज घाटीगांव

अ. क्र.	अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आरक्षित वन खण्ड का नाम	प्रक्षेत्र क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सीमाएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मिलेट्री ग्रास वीड, पानिहार		3.900	उत्तर—काटी गई कृत्रिम रेखा।
2	आरक्षित वनखंड, घाटीगांव	404	111.399	
3	आरक्षित वनखंड, घाटीगांव	404	2.925	
4	आरक्षित वनखंड, घाटीगांव	405	13.575	दक्षिण—काटी गई कृत्रिम रेखा।
5	आरक्षित वनखंड, घाटीगांव	406	16.220	
6	आरक्षित वनखंड, घाटीगांव	412	9.450	
7	आरक्षित वनखंड, घाटीगांव	413	7.875	पूर्व—मिलेट्री ग्रास वीड, पानिहार का मुनावा क्रमांक 5-म में उल्लिखित
8	आरक्षित वनखंड, घाटीगांव	414	1.320	

74

42

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 1994

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	भारक्षित वनखंड, घाटीगाव	424	1.457	पश्चिम-रिजर्व फॉरेस्ट घाटी गांव के प्रकोष्ठ क्र. 414 के मुनारा क्र. 12-ए से 13 तक हेक्टर.
			कुल	135.121 हेक्टर.

F. No. 14-146-91-X-2.—Sanctuary or a portion of Sanctuary specified in the schedule below which was declared by this department notification No. 15-16-75-X-2, dated the 21st May, 1981 (Published in "Madhya Pradesh Rajpatra" 12th June 1981, Page No. 1121) as per in exercise of the powers conferred by section 18(i) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972) game sanctuary the Act for (Hukma) Great Indian Bustard and other animals and birds in the said sanction shall cease to be Great Indian Bustard Sanctuary with effect from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Rajpatra".—

SCHEDULE

District—Gwalior, Tehsil—Gird (Ghatigaon), Forest Division—Gwalior, Game Range,—Ghatigaon

S. No.	Name of the Forest Blocks which falls under sanctuary area	Compartment No.	Area in (Hact.)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Military Grass Bir, Panihar		3.900	North.—Artificially Cut line.
2	Reserved Forest, Ghatigaon	✓ 403	48.399	South.—Artificially Cut line.
3	Reserved Forest, Ghatigaon	✓ 404	2.925	East.—Pillar No. 5A to 6 of Military Grass Bid.
4	Reserved Forest Ghatigaon	✓ 405	43.575	West.—Pillar No. 12A to 13 of Compartment No. 414 Ghatigaon Reserved Forest.
5	Reserved Forest Ghatigaon	✓ 406	16.220	
6	Reserved Forest Ghatigaon	✓ 412	9.450	
7	Reserved Forest Ghatigaon	✓ 413	7.875	
8	Reserved Forest Ghatigaon	✓ 414	1.320	
9	Reserved Forest Ghatigaon	✓ 424		
		Total	135.121	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक मसीह, अतिरिक्त सचिव

(59) (75)

सीमा

Boundaries

उत्तर.—जिला मुरना की सीमा

North.—District Morena Boundary.

पूर्व.—कम्पाटमेंट नंबर 359 व 360 के अन्दर कुचिप रोला, तिघरा बांध तक, तिघरा खासिघर पी. डब्ल्यू. डी मार्ग, बगरा बान्ने मार्ग तक

East.—Cut line inside const. No 359 and 360 up to Tighra Dam; Tighra Gwalior P.W.D. Road up to Agra-Bombay Road

दक्षिण.—आगरा बान्ने मार्ग, घाटीगांव तक

South.—Agra-Bombay Road up to Ghatigaon

पश्चिम.—घाटीगांव बंसोटा वन मार्ग

West.—Ghatigaon-Basota Forest Road.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. जे. ओका, उपसचिव

By order and in the name of Governor of the
Madhya Pradesh

M. J. OKA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 21 मई 1981

क्र. 15-16-75-दर-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 15/6-75-दर-द, दिनांक 21 मई 1981 का संशुद्धी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. जे. ओका, उपसचिव

Bhopal, the 21st May 1981

No. 15-16-75-X-2.—In exercise of the powers conferred by section 18 (1) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972), the Madhya Pradesh Government hereby declare the area specified in the schedule below as game sanctuary under the Act for (Hukna) Great Indian Bustard and other animals and birds in the said sanctuary :—

Schedule

District—Gwalior
Name of division—Gwalior
Name of sanctuary—Ghatigaon Hukna (G.H.S.)
Sanctuary
Total area—512 sq. kilometres
R.F.—307.49 sq. km.
P.F.—19.84 sq. km.

भोपाल, दिनांक 19 मई 1981

क्र. 5950-1490-ग्यारह-ब.—ईण्डियन बायर्ड्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, ओरिएण्टल फोर विल्ड, अगलाइव के वायव्य में कर्ना जगदी रामन अंकिम अर्जी के तहत नियमित किए गये उक्त अधिनियम की धारा 6(ग) के उपबन्धों के प्रवर्जन से छूट देता है—

वापस करपांक	छूट की धरणी
(1) ए. पी. 3172	(2) 4-6-81 से 3-8-81 तक
ए. पी. 3173	4-6-81 से 3-8-81 तक

(1) संदर्भाधीन वापस करपांक के प्रवर्जन बाकी कियी भी हानि की मूजना आसानी के लिए अधिनियम, 1923 की धारा 34(1) की उपधारा के तहत वापस करपांक के तहत प्रवर्जन से छूट दी जावेगी एवं दर्पटता होने के दिनांक से छूट की मजत से वापस करपांक जावेगी

(2) उपरोक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की संशुद्धी-अनुसार मध्य प्रदेश, बाण संघ, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से संदर्भाधीन वापस करपांक के तहत प्रवर्जन से छूट दी जावेगी, परिशुद्ध संशुद्धी-अनुसार वापस करपांक जावेगी

गोपाल, दिनांक २१ मई १९८१

शु १५-१६-७५-इस-२ - अन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ५३ रातु १९७२) की धारा ३ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार के अनुसार मध्य प्रदेश शासन नीचे परिशिष्ट में दर्शाये गये को हुकना (गैट इंडियन वस्ट) तथा अन्य पशु पक्षियों के लिए अभ्यारण्य घोषित करता है :-

परिशिष्ट

जिला - ग्वालियर
वन मंडल का नाम - ग्वालियर
अभ्यारण्य का नाम
क्षेत्र का रकबा -
आरक्षित वन -
रक्षित वन -

--- घाटीगांव हुकना पक्षी अभ्यारण्य
--- ५१२ वर्ग किलोमीटर
--- ३०७.४६ वर्ग किमी
--- १६.८४ वर्ग किमी

सीमा

उत्तर -
पूर्व -
दक्षिण -
पश्चिम -

--- जिला मुरैना की सीमा
--- सम्पादन नंबर ३५६ व ३६० के अन्तर कुत्रिप, तिघरा बाघ तक, तिघरा ग्वालियर पीठडवूडी मार्ग, बागरा बोम्बे मार्ग तक
--- बागरा बोम्बे मार्ग, घाटीगांव तक
--- घाटीगांव बसोटा वन मार्ग

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एफ के जीक, उपसचिव

(मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक १२ जून १९८१ पृष्ठ ३० ११२५ पर प्रकाशित)

वन विभाग

भोपाल, दिनांक 21 मई 1981

क्र. 15-16-75-दस-2. — वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 (क्रमांक 53 सन् 1972) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार मध्यप्रदेश शासन नीचे परिशिष्ट में दर्शाये गये क्षेत्र को हुकना (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड), तथा वन्य प्राणियों के विषय अभयारण्य घोषित करता है:—

परिशिष्ट

जिला—शिवपुरी

वन मंडल—शिवपुरी

रेंज का नाम—करेरा

अभयारण्य का नाम—

सोग चिरैया (हुकना) (दि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) अभयारण्य, करेरा.

क्षेत्र का रकबा—

202.21 वर्ग किलोमीटर या 20221.042 हेक्टेयर.

सीमा

उत्तर—राजस्व ग्राम-रागपहाड़ी सुनारी, भंसा एवं दोनों की गा.

पूर्व—महुअर नदी.

दक्षिण—राजस्व ग्राम-तंगुरी, हाजीनगर की सीमा एवं महुअर नदी.

पश्चिम—राजस्व ग्राम-कुडांची, मधाइ, करही नानागिर, बयंआ, एवं बहगवा की सीमा एवं सिंध नदी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. जे. ओक, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 मई 1981

क्र. 15-16-75-दस-2. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 से संघ (3) के अनुसूचना में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 15-16-75-दस-2, दिनांक 21 मई 1981 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. जे. ओक, उपसचिव.

Bhopal, the 21st May 1981

No. 15-16-75-X-2.—In exercise of the powers conferred by section 18 (1) of the Wild Life Protection Act, 1972 (No. 53 of 1972), the Madhya

Pradesh Government hereby declare the area specified in schedule below as game sanctuary under the Act for the Great Indian Bustard and other Wild Life in the said sanctuary:—

SCHEDULE

District—Shivpuri

Name of Division—Shivpuri

Name of Range—Karera

Name of sanctuary—Great Indian Bustard Sanctuary Karera

Area—202.21 sq. km. or 20221.042 Hectares

Boundaries

North—Boundary of Revenue village Ram-Pahari, Sunari, Bhensa and Dongri

East—Mahwar river.

South—Boundary of Revenue village Languri Hajinagar and Mahwar river.

West—Boundary of Revenue village Khutili Gadhai, Karahi, Nainagiri, Baraua Behgawa and Sindh river.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. J. OKA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 21 मई 1981

क्र. 15-16-75-दस-2. — वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 53 सन् 1972) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार मध्यप्रदेश शासन नीचे परिशिष्ट में दर्शाये गये क्षेत्र को हुकना (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) तथा अन्य पक्षियों के विषय अभयारण्य घोषित करता है:—

परिशिष्ट

जिला—ग्वालिअर

वन मंडल का नाम—ग्वालिअर

अभयारण्य का नाम—

घाटीवाँव हुकना पक्षी अभयारण्य

क्षेत्र का रकबा—

: 512 वर्ग किलोमीटर

आरक्षित वन—

: 307.49 वर्ग कि. मी.

रक्षित वन—

: 19.84 वर्ग कि. मी.

सीमा

Boundaries

उत्तर. — जिला मूरेना की सीमा.

North.—District Morena Boundary

पूर्व. — कम्पाटमोट नंबर 359 व 360 के अन्दर कृत्रिम रेखा,
तिघरा बांध तक, तिघरा ग्वालियर पी. डब्ल्यू. डी
मार्ग, आगरा बाबू मार्ग तक.East.—Cut line inside constt. No. 359 and 360
up to Tighra Dam; Tighra Gwalior
P.W.D. Road up to Agra-Bombay Road.

दक्षिण. — आगरा बाबू मार्ग, घाटीगांव तक.

South.—Agra-Bombay Road up to Ghatigaon

पश्चिम. — घाटीगांव बंसोटा वन मार्ग.

West.—Ghatigaon-Basota Forest Road.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. जे. ओक, उपसचिव.By order and in the name of Governor of the
Madhya Pradesh,
M. J. OKA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 21 मई 1981

क्र. 15-16-75-दरा-2. — भारत के संविधान के अनुच्छेद
348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना
क्र. 15-16-75-दरा-द, दिनांक 21 मई 1981 का अंग्रेजी
अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया
जाता है.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

भोपाल, दिनांक 19 मई 1981

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. जे. ओक, उपसचिव.क्र. 5950-1490-ग्यारह-स. — इण्डियन वाइल्ड लाइफ
1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, राज्य शासन, ऑरियन्ट फोर पब्लिश, अमलाई के वायव्यी
काठे उपरके सामने अंकित अर्वाधिकारों के नियम निम्नलिखित शर्तों पर
उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबन्धों के प्रवर्तन में छूट
देता है:—

Bhopal, the 21st May 1981

No. 15-16-75-X-2.—In exercise of the powers
conferred by section 18 (1) of the Wild Life
(Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972), the
Madhya Pradesh Government hereby declare the
area specified in schedule below as game
sanctuary under the Act for (Hukna) Great
Indian Bustard and other animals and birds in
the said sanctuary:—

Schedule

District—Gwalior

Name of division—Gwalior

Name of sanctuary—Ghatigaon Hukna (G.I.B.)
Sanctuary

Total area—512 sq. kilometres

R.F.—307.49 sq. km.

P.F.—19.84 sq. km.

बायलर क्रमांक

छूट की अवधि

(1)

(2)

एम. पी. 3172

4-6-81 से 3-8-81 तक

एम. पी. 3173

4-6-81 से 3-8-81 तक

(1) संदर्भाधीन वायव्यी के पहचाने वाली किसी भी हाथि की
सूचना भारतीय वायव्यी अधिनियम, 1923 की धारा
18(1) की उपधारा 1 के तत्काल बानतर मुख्य निरीक्षक
मध्यप्रदेश इन्दौर को दी जावेगी एवं दुरुस्तता होने के
दिनांक से छूट की प्राप्ति समाप्त होगी.(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की संस्था-
नसार मुख्य निरीक्षक, वायव्यी, मध्यप्रदेश के
पुनर्निर्माण के दिना संदर्भाधीन वायव्यी में किसी प्रकार
का संरचनात्मक परिवर्तन, परिवर्धन संस्था नदीनी-
करण नहीं किया जावेगा.



मध्य प्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 1981

वन विभाग

भोपाल, दिनांक 21 मई 1981

क. 15-16-75-दश-2. - वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 (क्रमांक 53 मई 1972) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार मध्य प्रदेश शासन नीचे परिशिष्ट में दर्शाए गए क्षेत्र को हुकला (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड), तथा वन्य प्राणियों के लिए अभयारण्य घोषित करता है:-

परिशिष्ट

जिला—शिवपुरी
वन मंडल—शिवपुरी
रेंज का नाम—करेरा
अभयारण्य का नाम—

सोन चिरंगा (हुकला) (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) अभयारण्य, करेरा.

202.21 वर्ग किलोमीटर या 20221.042 हेक्टेयर.

सीमा

उत्तरी—राजसू ग्राम-राजपहाड़ी सुनाती, भैंसा एवं बोगों की सीमा.

पूर्व.—महुआर नदी.

दक्षिण.—पुवरु ग्राम-गंगुरी, हाजीनगर की सीमा एवं महुआर नदी.

पश्चिम.—राजसू ग्राम-कुलौकी, गधाई, करही नंगागिर, बरौया, एवं बहगवा की सीमा एवं सिंध नदी.

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. जे. ओका, उपसचिव:

भोपाल, दिनांक 21 मई 1981

क. 15-16-75-दश-2. - भारत के अधिनियम के अनुच्छेद 348 (3) के अन्वय में इस विभाग की अधिसूचना क. 15-16-75-दश-2, दिनांक 21 मई 1981 का अंग्रेजी अनुवाद राजपत्र के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. जे. ओका, उपसचिव

Bhopal, the 21st May 1981

No. 15-16-75-X-2.—In exercise of the powers conferred by section 18 (1) of the Wild Life Protection Act, 1972 (No. 53 of 1972), the Madhya

[भा]

Pradesh Government hereby declare the area specified in schedule below as game sanctuary under the Act for the Great Indian Bustard and other Wild Life in the said sanctuary.

SCHEDULE

District—Shivpuri

Name of Division—Shivpuri

Name of Range—Karera

Name of sanctuary—Great Indian Bustard Sanctuary Karera

Area—202.21 sq. km. or 20221.042 Hectares

Boundaries

North—Boundary of Revenue village Ram-Pahari, Sunari, Bhensa and Don.

East.—Mahwar river.

South.—Boundary of Revenue village Languri Hajinagar and Mahwar river.

West.—Boundary of Revenue village Khutuli Gadhai, Karahi, Nainagiri, Baraua Behgawa and Sindh river.

By order and in the name of the Governor of

Madhya Pradesh

M. J. OKA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 21 मई 1981

क. 15-16-75-दश-2. - वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 53 मई 1972) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार मध्य प्रदेश शासन नीचे परिशिष्ट में दर्शाए गए क्षेत्र को हुकला (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) तथा अन्य वन्य प्राणियों के लिए अभयारण्य घोषित करता है:-

परिशिष्ट

जिला—शिवपुरी

वन मंडल—शिवपुरी

रेंज का नाम—करेरा

अभयारण्य का नाम—

क्षेत्र का रकबा—

आरक्षित वन—

रक्षित वन—

202.21 वर्ग किलोमीटर

या 20221.042 हेक्टेयर

80
Ken Charayat WLS

गद्यपद्य विभाग
नया विभाग

मी. नं., दिनांक २२.१०.१९९१

क्रमांक 13/11/30/1991/ मन्त्रालय (प्रोटेक्शन) एक्ट 1972 का
अनुच्छेद 17(1) द्वारा प्रस्तावित विधायक के
शालन क्षेत्रों में परिवर्तित होने के क्षेत्रों के सम्बन्ध में
केन्द्र प्रशासन द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

परिचय:-

जिला:- पटना, दरभंगा
संसद क्षेत्र:- दक्षिण पटना-कांगड़ा
जनसंख्या का नाम:- पटना,
परिसर:- काँटेमंडू, जीटा

संविधान की धारा:- केन्द्र प्रशासन द्वारा प्रस्तावित
क्षेत्र का विवरण:- 13-2020 वर्ष दिनांक 10.

क्षेत्रों का विवरण:-

केन्द्र प्रशासन द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रों का विवरण:-

उत्तर:- पटना जिला क्षेत्रों में परिवर्तित क्षेत्रों का
विवरण के संविधान की धारा 160, 163 के अन्तर्गत
किया गया है, जो संविधान 165 के अन्तर्गत
क्षेत्रों में परिवर्तित क्षेत्रों का विवरण
केन्द्र प्रशासन द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रों का विवरण
केन्द्र प्रशासन द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रों का विवरण
केन्द्र प्रशासन द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रों का विवरण

पूर्व:- पटना जिला क्षेत्रों में परिवर्तित क्षेत्रों का
विवरण के संविधान की धारा 160, 163 के अन्तर्गत
किया गया है, जो संविधान 165 के अन्तर्गत
क्षेत्रों में परिवर्तित क्षेत्रों का विवरण
केन्द्र प्रशासन द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रों का विवरण
केन्द्र प्रशासन द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रों का विवरण

परिचय:- पटना जिला क्षेत्रों में परिवर्तित क्षेत्रों का
विवरण के संविधान की धारा 160, 163 के अन्तर्गत
किया गया है, जो संविधान 165 के अन्तर्गत
क्षेत्रों में परिवर्तित क्षेत्रों का विवरण
केन्द्र प्रशासन द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रों का विवरण

परिचय:- पटना जिला क्षेत्रों में परिवर्तित क्षेत्रों का
विवरण के संविधान की धारा 160, 163 के अन्तर्गत
किया गया है, जो संविधान 165 के अन्तर्गत
क्षेत्रों में परिवर्तित क्षेत्रों का विवरण
केन्द्र प्रशासन द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रों का विवरण

(2)

81

डोमना एवं विगरी बरार्ड के अंतर्गत एक संश्लिष्ट वन भाग
 विगरी बरार्ड के भाग नुसार वनों की कुटनी तथा वन संरक्षण
 नियोजन के अंतर्गत वन संरक्षण विभाग द्वारा वन भाग का
 एक भाग संरक्षित वन क्षेत्र विभाग द्वारा वन विभाजन का अवन
 से संरक्षित वन क्षेत्र विभाग द्वारा की सीमा अवन की योजना है।
 संरक्षित वन क्षेत्र विभाग द्वारा की सीमा अवन कार्य के अंतर्गत।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
 अधिसूचना,

(क्यां के 0 और 0/0/0)
 उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल, दिनांक 20-10-81

क्रमांक 15/11/80/10/2/ भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अन्तर्गत
 (3) के अनुसार से इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक 15/11/80/ 0/2
 दिनांक 20-10-81 का अग्रिम अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से सार्वजनिक द्वारा
 प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से सार्वजनिक

अधिसूचना

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक 15/10/81

131

वन विभाग

गणना दिनांक १ दिसम्बर १९७२

विन-क-रम(२)-४२—चुकि राज्य व वन कायदा विन-१९७२ की धारा १८ (१) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत वन विभाग के प्रयोग के लिए प्राणी-जाति तथा प्राणी विनाशक प्राणी-जाति की सूची से परीक्षा महत्व का है।

पर्याय वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ (के.सं. ३३, १९७२) की धारा १८ (१) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत वन विभाग को अधिवृचना क्रमिक ५८९५-इम-एफ-३३३ द्वारा दिनांक ५ दिसम्बर १९७५ "मध्य भारत एन-एक्ट" दिनांक १६ दिसम्बर १९७५ पेज १११३ को अतिरिक्त करने हुए मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना संख्या १९७५/१९७५ के अन्तर्गत प्राणी-जाति की सूची में संशोधन प्रदान किया गया है।

- विभाग—देवास, गीहोद,
- कर्मचारी—कर्मचारी, कर्मचारी, इकावर, आदि।
- वन संरक्षण—देवास, गीहोद,
- परिक्षेत्र—कर्मचारी, इकावर, आदि।
- आरक्षित वन—११५.६१ वर्ग कि.मी.

वन का प्रकार—संरक्षित वन—६.३० वर्ग कि.मी.
वन प्राप्त का—०.८० वर्ग कि.मी. पर्यटन
कुल क्षेत्र—१२२.७० वर्ग कि.मी.

अभ्यारण्य का नामांकन—वन्यप्राणी अभ्यारण्य, तिलवा
संरक्षित वन क्षेत्र—
परिक्षेत्र—कर्मचारी
आरक्षित वन—कर्मचारी, कर्मचारी, इकावर, आदि।

आरक्षित वन—कर्मचारी, कर्मचारी, इकावर, आदि।
आरक्षित वन—कर्मचारी, कर्मचारी, इकावर, आदि।

आरक्षित वन—कर्मचारी, कर्मचारी, इकावर, आदि।
आरक्षित वन—कर्मचारी, कर्मचारी, इकावर, आदि।
आरक्षित वन—कर्मचारी, कर्मचारी, इकावर, आदि।

पर्याय वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ (के.सं. ३३, १९७२) की धारा १८ (१) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत वन विभाग को अधिवृचना क्रमिक ५८९५-इम-एफ-३३३ द्वारा दिनांक ५ दिसम्बर १९७५ "मध्य भारत एन-एक्ट" दिनांक १६ दिसम्बर १९७५ पेज १११३ को अतिरिक्त करने हुए मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना संख्या १९७५/१९७५ के अन्तर्गत प्राणी-जाति की सूची में संशोधन प्रदान किया गया है।

पर्याय वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ (के.सं. ३३, १९७२) की धारा १८ (१) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत वन विभाग को अधिवृचना क्रमिक ५८९५-इम-एफ-३३३ द्वारा दिनांक ५ दिसम्बर १९७५ "मध्य भारत एन-एक्ट" दिनांक १६ दिसम्बर १९७५ पेज १११३ को अतिरिक्त करने हुए मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना संख्या १९७५/१९७५ के अन्तर्गत प्राणी-जाति की सूची में संशोधन प्रदान किया गया है।

पर्याय वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ (के.सं. ३३, १९७२) की धारा १८ (१) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत वन विभाग को अधिवृचना क्रमिक ५८९५-इम-एफ-३३३ द्वारा दिनांक ५ दिसम्बर १९७५ "मध्य भारत एन-एक्ट" दिनांक १६ दिसम्बर १९७५ पेज १११३ को अतिरिक्त करने हुए मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना संख्या १९७५/१९७५ के अन्तर्गत प्राणी-जाति की सूची में संशोधन प्रदान किया गया है।

Bhopal: the 4th December 1972

No. 15-A M-2)-82. Whereas the State Government consider that the areas specified in the schedule below is of adequate floral and zoological significance for the purpose of protecting propagating and developing wild life and its environment.

Now Therefore in exercise of powers conferred by section 13(1) of the Wild Life (Protection) Act 1972 (53 of 1972) and in pursuance of this department Notification No. 1098-10-255, G.O. No. Dated: 5th December 1955 (M. B. Glaze No. 15th December 1955) under the Madhya Pradesh (Wild Life) Act, Government hereby declare that specified areas in schedule below as Khasm Wild Life Sanctuaries.

District: Dewas, Sehore,	
Tahsil: Khategam, Kamod, Khategam, Nalwa,	
Forest Division: Dewas, Sehore,	
Range: Kamod, Khategam, Nalwa,	
Wildlife Sanctuary: Khategam, Kamod, Nalwa,	
Reserved Forest: Khategam, Kamod, Nalwa,	
Forest & Blag Area: Khategam, Kamod, Nalwa,	

CHARGE AREA INCLU...

- Comptt. No. 493 to 500
- Comptt. NO. 218 to 221

RANGE ASTHA (SEHORE DIST)

- Comptt. No. 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

- Northern boundary of Comptt No. 219, 221, 224, 225, 226, 493 to 501, P. 219, 500 and 501 is prating...
- Southern boundaries of village B...
- Parashipur, Kamalikal, Lalid...
- Ladibhai Daulatpur, Rupar...

- South eastern boundary of Comptt No. 501 of range Ichhawar and Comptt No. 502 of Range Kannod.

- Northern boundaries of villages...
- P. 219 and Chhoti Kh...
- Richha...
- Kandi Kalibel, Sagonia, N...
- Madat...
- Tanda, Satul Kohari...
- forming the boundaries of...
- P. 55, 67, 69, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

- Western boundary of Comptt No. 502 of Range Kannod and Comptt No. 501 of Range Ichhawar Range.

by order and in the name of the Governor
Madhya Pradesh
J. B. JAL, Dy. Secy.

गोपाल, दिनांक 9 मार्च 1983

15-4-83-व्य-2—शासन के विचार से नीचे के वर्णित क्षेत्रों को प्राकृतिक रूप से एक ही इलाके के अंतर्गत रखने के लिए श्रेष्ठ महसूस होता है, अतः शासन द्वारा वर्ष 1972 (1972 का क्रमांक 53) की अधिनियम द्वारा निर्धारित क्षेत्रों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित क्षेत्रों को एक ही इलाके के अंतर्गत रखने का प्रावधान किया जाता है—

परिशिष्ट

...

...

...

...

...

...

...

...

...

गोपाल, दिनांक 9 मार्च 1983

...

...

Bhopal, the 9th March 1983

15-4-83-X-2.—Whereas the Government considers that the notified areas specified in the schedule below are of equal fiscal, faunal and zoological significance particularly for the protection and habitat of Wild birds, and whereas the Government is empowered by section 13(1) of the Indian Wildlife Protection Act, 1972 (No. 53 of 1972) to make such provision as it may think fit for the protection and development of Wild birds, and whereas the Government is empowered by...

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन भोपाल-462004

(84)

अधिसूचना :-

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर, 2006.

क्रमांक/एफ.15-13/06/10-2 : चूंकि राज्य सरकार का यह विचार है कि नीचे दर्शाई गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट आरक्षित वन क्षेत्र वन्यप्राणियों एवं पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास के प्रयोजन हेतु परिस्थितिकी, पशु, वनस्पति, भू-भाग की संरचना, प्राकृतिक एवं जीव वैज्ञानिक दृष्टि से पर्याप्त महत्व का है। अतएव वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का सं. 53) की धारा 26-क (1) (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश सरकार, एतद् द्वारा, उक्त क्षेत्र को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से खिवनी गेम अभयारण्य घोषित करती है :-

अनुसूची

जिला	:	देवास/सीहोर
तहसील	:	खातेगांव, कन्नोद, इछावर, आष्टा
वन मण्डल	:	देवास/सीहोर
वन खण्ड	:	मेन विन्ध्या
परिक्षेत्र	:	कन्नोद, इछावर, आष्टा
अभयारण्य का नाम	:	खिवनी गेम अभयारण्य
आरक्षित वन	:	115.320 वर्ग कि.मी.
संरक्षित वन	:	16.676 वर्ग कि.मी.
वनग्राम	:	782 वर्ग कि.मी.
कुल क्षेत्र	:	132.778 वर्ग कि.मी.

सम्मिलित क्षेत्र

अनु. क्र.	वन मंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	पुराना कक्ष क्रमांक	नया कक्ष क्रमांक	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	देवास	कन्नोद	89,90 पी.	184	225.900
2.	"	"	90,91 पी.	185	274.950
3.	"	"	89,90 पी.	186	223.650
4.	"	"	87, 88, 89 पी.	187	204.520
5.	"	"	88 पी.	188	270.450
6.	"	"	87 पी.	189	204.300
7.	"	"	86 पी.	190	196.870

(85)

8.	"	"	84,86 पी.	191	248.620
9.	"	"	85,86 पी.	192	261.900
10.	"	"	83,85 पी.	193	198.450
11.	"	"	83,85 पी.	194	253.570
12.	"	"	82 पी.	195	210.820
13.	"	"	81,82,84 पी.	196	216.670
14.	"	"	81 पी.	197	258.970
15.	"	"	77, 78 पी.	198	124.180
16.	"	"	78 पी.	199	256.050
17.	"	"	79 पी.	200	273.470
18.	"	"	79, 80 पी.	201	197.550
19.	"	"	80 पी.	202	276.075
20.	"	"	69, 78, 79 पी.	203	266.395
21.	"	"	76, 77 पी.	204	215.090
22.	वन ग्राम	खिवनी	79 पी.	204 ए.	78.290
23.	देवास	कन्नोद	75, 76 पी.	205	293.620
24.	"	"	74, 75 पी.	207	249.070
25.	"	"	69, 74 पी.	208	236.240
26.	"	"	69, 70 पी.	209	293.175
27.	"	"	71, 72 पी.	210	238.720
28.	"	"	73 पी.	211	205.200
29.	"	"	72 पी.	212	192.820
30.	देवास	कन्नोद	71 पी.	213	218.700
31.	"	"	68, 70 पी.	214	247.720
32.	"	"	68 पी.	215	219.595
33.	"	"	67 पी.	216	216.000
34.	"	"	66, 67 पी.	217	225.900
35.	"	"	66 पी.	218	229.950
36.	"	"	64, 65 पी.	219	201.600
37.	"	"	65 पी.	220	225.670
38.	"	"	64 पी.	221	154.800
39.	"	"	64 पी.	222	212.850
40.	सीहोर	इछावर	493	196	227.029
41.	"	"	494	197	255.357
42.	"	"	495	198	208.413

(86)

43.	"	"	496	199	131.118
44.	"	"	497	200	162.279
45.	"	"	498	201	199.510
46.	"	"	499	202	159.042
47.	"	"	पी. 221	पी. 206	414.310
48.	"	"	पी. 220	पी. 207	421.480
49.	"	"	पी. 219	पी. 208	341.740
50.	"	"	पी. 218	पी. 209	343.190
51.	"	"	500	पी. 210	146.901
52.	"	"	501	211	173.610
53.	"	आष्टा	219	165	236.741
54.	"	"	220	166	111.289
55.	"	"	221	167	216.507
56.	"	"	224	170	217.721
57.	"	"	225	171	286.922
58.	"	"	226	172	226.220
				कुल क्षेत्र	13277.848

सीमाओं का विवरण :-

उत्तर :- आरक्षित वन मण्डल सीहोर के कक्ष क्रमांक 165 से 167 तथा 170, 171, 172, 196, 201 पी. 206 पी. 207, पी. 208, 210 तथा कक्ष क्रमांक 211 की उत्तरी सीमा जिनसे ग्राम बडकोला, हरसपुर, कुण्डीखाल, लायाखेड़ी, दुधलाई, दौलतपुर, रूपडा तथा गादिया की दक्षिण सीमा बनती है।

पूर्व :- इछावर रेंज के कक्ष क्रमांक 211 की आरक्षित वन सीमा तथा कन्नोद रेंज के कक्ष क्रमांक 219 से 222 की दक्षिण पूर्वी सीमा।

दक्षिण:- निवारदी, पटरानी, छोटी खिवनी, रीछी, कांकउदी, कालीबेल, सागोनिया, नन्दाडाई, ओंकारा, टान्डा, सातल, कोलारी तथा भिलाई की उत्तरी सीमा जिनसे कक्ष क्रमांक 184 से कक्ष क्रमांक 222 तक की सीमा बनती है।

पश्चिम :- कन्नोद रेंज के कक्ष क्रमांक 184, 185, 186 तथा आष्टा रेंज के कक्ष क्रमांक 165 की पश्चिम सीमा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(एल.एम.बेलवाल)

अपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

(82)

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
FOREST DEPARTMENT
MANTRALAYA : VALLABH BHAWAN
BHOPAL

Notification

Bhopal dated 13 /9/2006

No.F-15-13/2006/10-2 Whereas the State Government considers that the reserved forest area specified in the schedule below is of adequate ecological, faunal, floral, geomorphological, natural and zoological significance for the purpose of protecting, propagating and developing wild-life and environment. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 26-A(1), (b) of the Wildlife(Protection) Act, 1972 (No.53 of 1972), the Madhya Pradesh Govtvernment hereby declares the said area as "Kheoni Game Sanctuary" from the date of publication of this Notification in the Madhya Pradesh Gazette.

SCHEDULE

District	:	Dewas / Sehore
Tehsil	:	Khategaon, Kannod, Ichhwar, Ashta
Forest Division	:	Dewas / sehore
Forest Block	:	Main Vindhya
Range	:	Kannod, Ichhawar, Ashta
Name of Sanctuary	:	Kheoni Game Sanctuary
Reserved Forest	:	115.320 Sq.km
Protected Forest	:	16.676 Sq.km
Forest Village	:	.782 Sq.Km
Total Area	:	132.778 Sq.km

AREA INCLUDED

S.No.	Name of Forest Division	Name of Range	Old Comptt.No.	New Comptt.No.	Area (in hect.)
1.	Dewas	Kannod	89,90-P	184	225.900
2.	"	"	90,91-P	185	274.950
3.	"	"	89,90-P	186	223.650
4.	"	"	87,88,89-P	187	204.520
5.	"	"	88-P	188	270.450
6.	"	"	87-P	189	204.300
7.	"	"	86-P	190	196.870
8.	"	"	84,86-P	191	248.620
9.	"	"	85,86-P	192	261.900
10.	"	"	83-85-P	193	198.450
11.	"	"	83-85-P	194	253.570
12.	"	"	82-P	195	210.820

13	"	"	81,82,84-P	196	216.670
14	"	"	81-P	197	258.970
15	"	"	77,78-P	198	124.180
16	"	"	78-P	199	256.050
17	"	"	79-P	200	273.470
18	"	"	79,80-P	201	197.550
19	"	"	80-P	202	276.075
20	"	"	69,78,79-P	203	266.395
21	"	"	76-77-P	204	215.090
22	Forest Village	Kheoni	79-P	204-A	78.290
23	Dewas	Kannod	75.76-P	205	293.620
24	"	"	74,75-P	207	249.070
25	"	"	69,74-P	208	236.240
26	"	"	69,70-P	209	293.175
27	"	"	71,72-P	210	238.720
28	"	"	73-P	211	205.200
29	"	"	72-P	212	192.820
30	"	"	71-P	213	218.700
31	"	"	68,70-P	214	247.720
32	"	"	68-P	215	219.595
33	"	"	67-P	216	216.000
34	"	"	66,67-P	217	225.900
35	"	"	66-P	218	229.950
36	"	"	64,65-P	219	201.600
37	"	"	65-P	220	225.670
38	"	"	64-P	221	154.800
39	"	"	64-P	222	212.850
40	Sehore	Ichhawar	493	196	227.029
41	"	"	494	197	255.357
42	"	"	495	198	208.413
43	"	"	496	199	131.118
44	"	"	497	200	162.279
45	"	"	498	201	199.510
46	"	"	499	202	159.042
47	"	"	P-221	P-206	414.310
48	"	"	P-220	P-207	421.480
49	"	"	P-219	P-208	341.740
50	"	"	P-218	P-209	343.190
51	"	"	500	P-210	146.901
52	"	"	501	211	173.610
53	"	Ashta	219	165	236.741
54	"	"	220	166	111.289
55	"	"	221	167	216.507
56	"	"	224	170	217.721
57	"	"	225	171	286.922
58	"	"	226	172	226.220
TOTAL AREA					13277.848

(89)

Description of Boundaries:-


North:- northern Boundary of Sehore reserved forest division's Comptt.No.165 to 167 and 170, 171, 172, 196, 201, P-206, P-207, P-208, 210 and Comptt. No.211 which form the Southern boundary of Villages Badkola, Haraspur, Kundikhal, Layakhedi, Dudlal, Daulatpur, Rupada and Gadiya.

East:- Reserve forest boundary of Comptt. No.211 of Ichhawar range and south eastern boundary of Comptt. No.219 to 222 of Kannod Range.

South:- Northern boundary of Nivardi, Patrani, Chhotikheoni, Richi, Kakardi, Kalibai, Sagonya, Nandadai, Onkara, Tanda, Satal, Kolari, and Bhilai which form the boundary of Comptt. No.184 to 222.

West:- Western boundary of Comptt.No.184, 185, 186 of Kannod Range and Comptt. No.165 of Ashta Range.

By order and in the name of
Governor of Madhya Pradesh


(L.M. Belwal)
Additional Secretary
Govt. of Madhya Pradesh
Forest Department

वन विभाग

भोपाळ, दिनांक 16 जनवरी 1981

अ.स. सं. 15-8-79-अ-2, राज. सं. 2/1981

विषय - कुंवा पालपुर वन विभाग - राज. सं. 2/1981
अ.स. सं. 15-8-79-अ-2, राज. सं. 2/1981
अ.स. सं. 15-8-79-अ-2, राज. सं. 2/1981

अ.स. सं. 15-8-79-अ-2, राज. सं. 2/1981
अ.स. सं. 15-8-79-अ-2, राज. सं. 2/1981

अ.स. सं. 15-8-79-अ-2, राज. सं. 2/1981
अ.स. सं. 15-8-79-अ-2, राज. सं. 2/1981

परिच्छेद

- पंचनामा
- भूमि - राजपूर एवं शेवपुर
- अ.स. सं. 15-8-79-अ-2, राज. सं. 2/1981
- परिच्छेद - राजपूर
- अ.स. सं. 15-8-79-अ-2, राज. सं. 2/1981
- अ.स. सं. 15-8-79-अ-2, राज. सं. 2/1981

अ.स. सं. 15-8-79-अ-2, राज. सं. 2/1981

- (1) राजपूर - पं. 38 नं. पं. 50 तक
पं. 61 नं. पं. 62 नं. 64 नं. पं.
66 नं. पं. 71 तक, पं. 73 नं.
पं. 74 तक, पं. 80, पं. 81 नं.
पं. 91 तक, पं. 93 नं. पं. 100
तक एवं पं. 103 नं. पं. 121 तक
(राजपूर क्षेत्र) का क्षेत्र नं. 71
कमालापुर)

(2) दिशपुर - पं. 126 (दशपुरी)
प्रो.स. सं. 15-8-79-अ-2, राज. सं. 2/1981

- (1) अ.स. सं. 15-8-79-अ-2, राज. सं. 2/1981
अ.स. सं. 15-8-79-अ-2, राज. सं. 2/1981
अ.स. सं. 15-8-79-अ-2, राज. सं. 2/1981

अ.स. सं. 15-8-79-अ-2, राज. सं. 2/1981

अ.स. सं. 15-8-79-अ-2, राज. सं. 2/1981

अ.स. सं. 15-8-79-अ-2, राज. सं. 2/1981

अ.स. सं. 15-8-79-अ-2, राज. सं. 2/1981

अ.स. सं. 15-8-79-अ-2, राज. सं. 2/1981

अ.स. सं. 15-8-79-अ-2, राज. सं. 2/1981

अ.स. सं. 15-8-79-अ-2, राज. सं. 2/1981

Bhopal, the 16th January 1981

No. 15-8-79-A-2. Whereas the State Govern-
ment considers that the area specified in the
Schedule below is of adequate faunal and
zoological significance for the purpose of
protecting, propagating and developing wild life
and its environment.

Now, therefore, in exercise of the power
conferred by sub-section (1) of section 13 of the
wild life (protection) Act, 1972 (No. 33 of 1972),
the State Government hereby declares the said
area as Kuno Game Sanctuary for the birds and
animals in said Sanctuary.

SCHEDULE

15-8-79-अ-2, राज. सं. 2/1981
Tahsil Sheopur and Bijaipur
Division Sheopur
Range Palpur
Name of Sanctuary - Kuno wild life Sanctuary
Area - 34468.600 Hec
or
34468 Sq Km

Consist of - (1) Palpur P. E. Block 7th Circle
p61, p62, p63, p64, p65, p66, p67, p68, p69, p70, p71, p72, p73, p74, p75, p76, p77, p78, p79, p80, p81, p82, p83, p84, p85, p86, p87, p88, p89, p90, p91, p92, p93, p94, p95, p96, p97, p98, p99, p100
(2) Tahli - P. E. Block 7th Circle
p101, p102, p103, p104, p105, p106, p107, p108, p109, p110

93

National Chambal WLS

NOTIFICATION DATED 20.12.1978

mentioned and specified in the Schedule below, referred to the Conciliator for the local area of Ujjain.

SCHEDULE

Industrial Dispute No. 9-UJT77,

क्र. ८१६०-१११५०-गोल्ह. — मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल रिलेशन्स एक्ट, १९६० (२७ जन. १९६०) की धारा ४३ की अन्वयात् (२) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन परामर्श प्राप्त करके यह अधिसूचित करता है कि उज्जैन के स्थायी मजदूरों के समाधानकर्ता (कॉन्सिलिगेटर) को निर्दिष्ट उज्जैन मजदूर संघ, उज्जैन और विनोद मिल्स उज्जैन के बीच औद्योगिक विवाद में हस्तक्षेप और निर्णय देने का अधिकार नहीं हो सफल है.

अध्यायी

क्र. ८१६०-१११५०-गोल्ह

No. 8160 11350-NVI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 43 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960), the State Government hereby notifies that no settlement was arrived at in the Industrial Dispute between The Ujjain Mill Mazdoor Sangh and the Vinod Mills Co., Ujjain in regard to some of the industrial matters included therein and specified in the Schedule below, referred to the Conciliator for the local area of Ujjain.

SCHEDULE

Industrial Dispute No. 1-UJT-77

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्र. १५-५-७७-२०, अतिरिक्त

गोपाल, दिनांक २० दिसम्बर १९७८

क्र. १५-५-७७-२०-२. — यह प्राणी (पर्याप्त) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ५३ सन् १९७२) की धारा १८ की अन्वयात् (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य शासन परामर्श प्राप्त करके यह अधिसूचित करता है कि उज्जैन मजदूर संघ के स्थायी मजदूरों के समाधानकर्ता (कॉन्सिलिगेटर) को निर्दिष्ट उज्जैन मजदूर संघ, उज्जैन और विनोद मिल्स उज्जैन के बीच औद्योगिक विवाद में हस्तक्षेप और निर्णय देने का अधिकार नहीं हो सफल है.

अध्यायी

गोपाल, दिनांक २० दिसम्बर १९७८
क्र. १५-५-७७-२०-२. — यह प्राणी (पर्याप्त) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ५३ सन् १९७२) की धारा १८ की अन्वयात् (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य शासन परामर्श प्राप्त करके यह अधिसूचित करता है कि उज्जैन मजदूर संघ के स्थायी मजदूरों के समाधानकर्ता (कॉन्सिलिगेटर) को निर्दिष्ट उज्जैन मजदूर संघ, उज्जैन और विनोद मिल्स उज्जैन के बीच औद्योगिक विवाद में हस्तक्षेप और निर्णय देने का अधिकार नहीं हो सफल है.

गोपाल

उत्तर—मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश-राजस्थान राज्यों की अन्तर्राज्यीय सीमा तक

परिधि—मध्य प्रदेश-राजस्थान की अन्तर्राज्यीय सीमा पार्वती नदी से उभर खान तक जहाँ पार्वती नदी मुख्य नहर पार्वती नदी को पार करती है.

दक्षिण—मध्य प्रदेश की मुख्य नहर का उत्तरी भाग, उत्तरी भाग से जहाँ यह पार्वती नदी को पार करती है. उत्तर प्रदेश, अन्ना नहर, काठ, उत्तरी किनारा राष्ट्रीय मार्ग क्र. ३ को मिलाते तक उत्तर प्रदेश-राजस्थान सीमा के ३३ कि.मी. की ओर पार्वती नदी तक उत्तर प्रदेश की सीमा तक.

पूर्व—मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश राज्यों की अन्तर्राज्यीय सीमा पार्वती नदी से उत्तर की ओर चम्बल नदी तक.

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. जे. ओक, अतिरिक्त

गोपाल, दिनांक २० दिसम्बर १९७८

क्र. १५-५-७७-२०-२. — भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अन्वयात् में इस विभाग की अधिसूचना क्र. १५-५-७७-२०, दिनांक २० दिसम्बर १९७८ का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदन्तर्गत प्रकाशित किया जाता है.

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. जे. ओक, अतिरिक्त

Bhopal, the 20th December 1978

No. P. 15 5-77-2(2)—In exercise of the powers conferred by section 13(i) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972), the Madhya Pradesh Government hereby declare the area specified in Schedule below as game sanctuary under the act for Crocodiles and Charimals and animals birds in the said sanctuary.

Schedule

District—Morena and Blind.
Name of Division—Sheopur, Morena.
Name of Sanctuary—National Chambal Sanctuary.
Area—50 sq. Km.

Boundaries

North—The inter-State boundary of Madhya Pradesh-Bihar and Madhya Pradesh-Uttar Pradesh.

94

East.—The State boundary between Orissa and Madhya Pradesh along the Kolab river (Comprising boundaries of Comptt. 62, 65, 66 and 325).

South.—Starting from Kolab river, southern boundaries of Kanger Reserve Forest, Comptt. No. 325, 324, 323, 322 and the ridge passing through the Comptt. Nos. 321, 320 and 318 of Kanger Reserve Forest extending to Kanger Reserve Forest, western boundary of Comptt. 330, 331, 332, southern boundary of Comptt. 334, 339, 340, 344 and continuing up to the ridge passing through Comptt. No. 345, 347, 294, 287 & 288 and southern boundary of Comptt. 174, 175.

West.—Western boundary of Comptt. 175, boundary of Kanger Reserve Forest, Comptt. 172 and Kakalgur Revenue Village, Southern, Western and Northern boundary of Comptt. 171; Southern boundary of Comptt. Nos. 85, 86, 87, 168, 165, 164, Western boundary of Kanger Reserve Forest comprising boundaries of Comptt. Nos. 165, 163 & 91.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
J. B. LAL, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 1982

क. 15-12-दस(2)-82.—वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 (क्रमांक 53 सन् 1972) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को पूर्व अधिसूचना क. एफ. 15-5-77-दस (2), दिनांक 20 दिसम्बर 1978 का आंशिक संशोधन करते हुए नीचे परिशिष्ट में वर्णित गण्डक नदी को भंग एवं बड़ियाल तथा अन्य वन्य जीवों के लिये राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य घोषित करता है:—

परिशिष्ट

जिला—तुरैना एवं भिंड

वन मंडल का नाम—श्यामपुर, ग्वालियर (भू-संरक्षण)

अभयारण्य का नाम—राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य.

सीमा

उत्तर.—मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं मध्यप्रदेश-राजस्थान राज्यों की अन्तर्राज्यीय सीमा.

पश्चिम.—मध्यप्रदेश-राजस्थान की अन्तर्राज्यीय सीमा पार्वती नदी के उस स्थान तक जहाँ चंबल बाहिरी मुख्य नहर पार्वती नदी को पार करती है.

दक्षिण.—कृत्रिम सीमा मध्यप्रदेश-राजस्थान एवं मध्यप्रदेश उत्तर प्रदेश राज्यों की अन्तर्राज्यीय सीमा से एक किलोमीटर सामानांतर दक्षिण की ओर (स्वाधीन दूरी) पर पश्चिम से पूर्व की ओर पार्वती एवं चंबल नदी के किनारे जो गाँव बड़ौदिया, सिन्धी, राधापुरा, बड़बोडा, शबेतपुरा, बड़ौदिया (पुताई), कालूखेड़ा, बह्मामंद, पहाडली, पनवाड, राजारो, गुरताकवा (उत्तमवाड़ा) संकली, पटपडा, आमलदा, निमोदपीड, गाँवडी, पानडी, जंगलपुर, उडवाड, सुंडी, सीताखेडली, मखना खेडली, सुवाड मलारना, दलवा, देहलेड, इथना खेडली बड़गाँ, मुलादगाडी, लहनाडा, सावरली, ऊंचाखेडा, विजपुरी, आबली, जवाला, डोंगरी, सेनापुर, सिरसोद, भानपुर, फतेहपुर, मन्किखेड, बगदिया, वरादरी, विलोनी, विरखिरी, दोसदो, बलावनी, खैरोवां खुर्द, मिलावली, सुजारा, अरोवरी, गौनच, विपरागी, खिरोरा, बरौली, चेतपुरा, जमुखी, बुझावली, नदीगाँव, लिलोली, जिमीरखा, पाँचों पितनवास, बरौठा, केमराकलान, केमराखुर्द, गडली, बंधर, गोखौली, खैरा, डिगवर, खेड डिगवर, रोडुकागाव, गांजीख, पालरी, बनवारा, नारावली, खैरोल, खैरान, फलखटी, मण्डपुरा कढावना, बरेड, सिंगरौली, तिसौनीचम्बल, तिनोखर, विजगाडी, मिलावली, कोटरा, कोरुडांडा, गुरजा, धिनवरा, उत्तमपुरा, ताजपुर, सरसेनी, बिन्डबदिनाग, नंदपुरा, गुडा, चम्बल, खांडौली, कैथरी, बिन्डवा, चम्बल जैतपुर, चम्बल भानपुर, नावकपुरा, नडीरा, गौरखा, रिठोरा खुर्द, जखोना, फुडडा, कुशियानी, वीलपुर, किसरौल, अरौल, मोसबसई, मन्वसई, गुंज, तिरौल, बखेई, रतनखसई, खर, रिजौरा, रडेड, लुधावली, उरैद, बिडवा, राधपुर, कदौगा, कुरैठा, सिलावली, घोरी, दणरापोरगा, भदावली, चांपक, कनपुरा, कनेरा, खेरपट, नावली, विन्दावन, अटेर, रैपुरा, बिन्डवा, सातोपुर, खिपौली डांगसरकांर, पथेरा, जमसारा, अकोन, मखलोली, कोसठ, विजौरा, लोपा, पखियापा, रमा, भगवंतपुर, घोरी, अहीर गढा, चोचल, बडेरी, बड़ौपुरा, रानीपुरा, गारीपुरा, बरहो, रामगा, रमंड, कुधावली, भवई, राधावा, ज्ञानपुरा, कुरौली, सांखरी, कांजूर, विन्डवा से गुजर कर जाती है.

पूर्व.—मध्यप्रदेश उत्तरप्रदेश राज्यों की अन्तर्राज्यीय सीमा (चम्बल नदी से एक किलोमीटर सामानांतर दूरी तक).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. बी. लाल, उप...

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 1982

क. 4327-दस(दो)-82.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क. 15-12-दस (2)-82, दिनांक 24 दिसम्बर 1982 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. बी. लाल, उपसचिव.

Bhopal, the 24th December 1982

No. 15-12-X(2)-82. In exercise of the powers conferred by section 18 (1) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (Act No. 53 of 1972) and in partial modification of this department notification No. F-15-5-77-10(2), dated the 20th December, 1978 the State Government hereby declare the area defined below as the National Chambal Sanctuary for Crocodile, Gharial and other wild animals.

SCHEDULE

District---Morena & Bhind.

Name of Division---Sheopur, Gwalior (Soil Conservation).

Name of sanctuary---National Chambal Sanctuary.

Boundary

North.—The inter state boundary of M. P. Rajasthan and U. P.

West.—The inter state boundary of M. P. Rajasthan along the Parvati river up to the point where the Chambal right main canal crosses the Parvati river.

South.—Artificial boundary running parallel at a distance of 1 Km. south of inter-state boundary of M. P., Rajasthan and U. P. but from West to East basins through the villages on the bank of the Parvati and Chambal river. viz. Badodi, Bindi, Radhapura, Badkheda, Adotpur, Badodia (Gusain) Kalukheda, Behadaband, Pahadli, Panwad, Rajora, Gurnawada, (Utanwad) Sankdali, Patpada, Amalda, Nimodapur, Gawandi, Panadi, Jalalpur, Udwad, Sundi, Sitakhedhi, Makhnakhedli, Juwad, Malama, Dulhan, Behted, Ekshna, Khedli, Adisa, Muladpada, Lahchouda, Samarsa, Hachakheda, Bichpuri, Awani, Jawasa, Dhogni, Sewapur, Sirsaud, Bhanpur, Fatehpur, Makdod, Bagdiya, Baradari, Biloi, Khirkhiri, Dateti, Balawani, Kheroda, Khurd, Milawali, Suthar, Arojari, Ncemuch, Pipragi, Rizora, Baroli, Chaimpura, Jamurdi, Buwawali, Nadigaon, Liloti, Jimiraksha, Panchaon, Nitanwas, Barooha, Khaimarakala, Kaimarakhurd, Gadula, Wanthar, Gandoli, Atar, Digwar, Khedadigwar.

Rohukagaon, Ganjikheda, Palari, Banwara, Norwali, Khairol, Khairon, Kalarghati, Zundpura, Kadhawana, Barend, Singrouli, Chinnoni, Chambal, Tidokhar, Bijgarhi, Milauwa, Kotra Kalhu, Danda, Gurja, Dhinwara, Uttampura, Tajpur, Sarseni, Bindwa, Deogarh, Nandpura, Gadhachambal, Kandoli, Kaithari, Bindwachambal, Jaitpurchambal, Bhanpur, Naikpura, Gadora Gorkha, Rithora, Khurd, Jakhona Aisana, Kuthiyana, Bilpur, Kisroli Aroli, Gosbassi, Malwasai, Gunj, Tirol, Barwai, Haramwasa, Ruar, Hit, hora, Rached, Ludhawali, Used, Vindwa, Raipur, Kudauna, Kuretham Silawali, Dhorra, Nagaraporasa, Bhadawali, Chapak, Kachpura, Kanera, Kherghat, Nawli, Bindrawan, Ater, Repura, Vindwa, Salimpur, Khipona, Dangarkar, Nayera, Jamsara, Akon, Nakholi, Kosad, Bijora, Loga, Priyapa, Rama, Bhagwantpur, Joriahir, Gadha Chochad, Bedri, Bada-pura, Ranipura, Naripura, Barhi, Samanna, Sapad, Kuawali, Jawai, Saraya, Gyanpura, Kuroli, Sankhri, Kanchai, Vindwa.

East.—Inter-state boundary of M. P. and U. P. running parallel up to the distance of 1 km. along the chambal river.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
J. B. JAL, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 1983

क्र. 18-1-83-दस-दो.—इस विभाग की अधिसूचना क्र. 18-3-77-दस(2), दिनांक 22 मई 82 के अनुक्रमिक 5 खाना 4 में उल्लेखित तथा अर्थात् कृत वन" शब्द अधिसूचना में काटे जाते हैं।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. बी. जाल, उपसचिव

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 1983

क्र. 18-1-83-दस-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसूचना में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 18-1-83-दस-दो, दिनांक 27 जनवरी 1983 का अर्थात् अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. बी. जाल, उपसचिव

तारादेही, बरसात

98

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

वधिसूचना

दिनांक 17.2.25

क्रमांक 200 1528/201 रा 194 वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) अक्ट. 1972 (सं. 1972) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त अधिकारि के अनुसार मध्यप्रदेश शासन निम्न परिशिष्ट के दशांश गये क्षेत्र को वन पट्टि तथा मशू के लिये अध्याप्य घोषित करता है।

परिशिष्ट

जिला, सागर, दमोह, नरसिंगपुर

तहसील रहेली दमोह नरसिंगपुर

परिक्षेत्र, देवरी, गोस्वामर, रहेली दमोह झाली, तारादेही, डोगगाव, नरमान, अध्याप्य का नाम - तारादेही

क्षेत्र का एकता

1,03,842-34 हेक्टर

193,842 वर्ग किलो मीटर

सीमा

उत्तर:- जिला सागर के तहसील रहेली के ग्राम कुहू बमनोदा, सुमारिया एवं दमोह जिले के ग्राम धनगौर, काजि हमलिया तथा वारक्षित वन का प्रकीर्ण क्रमांक 136, 117 ग्राम तेजाद खुर्द प्रकीर्ण क्रमांक 128, 129 एवं संरक्षित वन सण्ड क्रमांक 283 की सीमा।

पूर्व :- संरक्षित वन सण्ड 64 ग्राम जमुनिया, सोमसेही, व्यासना नदी, रामगढ़, संरक्षित वन सण्ड क्रमांक 67 ग्राम कुहली लालका, सुरादेही, व्यासना नदी की सीमा एवं जिला जबलपुर की सरहद, हिसन नदी।

दक्षिण:- हिसन नदी, ग्राम विक्रमपुर, हीरापुर, बन्दरोहा, डोगर गांव, जौतसेडा, जिला नदी, सरसला, समारिया, एवं समनापुर, कन्हरोडा, समरिया, रिहवा, जमुनिया, खुर्द, जमुनिया कला एवं नेगवा ग्राम की सीमा है।

पश्चिम:- तहसील रहेली के वारक्षित वन प्रकीर्ण क्रमांक 302 ग्राम बिदली, स्तनपुर, सोरिया, विशनपुर, जमुनिया, गोटगांव, पिपरिया, कन्हरोडा, लहरोली, समनापुर, चाली, हंशारपुर, लोना, तिडने हठरी, फटाताल, लोसिया, देवरी सेडा, रोडीपुरा, जोसमोरा, सुना, मौकल, वारक्षित प्रकीर्ण क्रमांक 181, 182, हमारिया, विमरिया

97

(क)
सख्या, आरक्षित वन जंगल 33, 200 विनापुर, शिरारी, लखनपुर, काठ
कोपरा, नदी प्रकोष्ठ 15, 39।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल श्री नाम श्री तथा बादेशानुसार

(आरक्षित वन क्षेत्र)
समय प्रति

१०-२-७५

कक्षा का नाम	विषय	निर्धारित पाठ्य पुस्तक का नाम	(१)	(२)	(३)	(४)
कक्षा ३	गणित	गणित, कक्षा ३	९	कक्षा ६	सामाजिक अध्ययन	सामाजिक अध्ययन
कक्षा ३	विज्ञान	विज्ञान—आओ करके सीखें, कक्षा ३	१०	कक्षा ३	सामाजिक अध्ययन	सामाजिक अध्ययन कक्षा ६ (प्रायोगिक संस्करण)
कक्षा ४	विज्ञान	विज्ञान—आओ करके सीखें, कक्षा ४	११	कक्षा ५	सामाजिक अध्ययन	सामाजिक अध्ययन कक्षा ३ (प्रायोगिक संस्करण)
कक्षा ७	जीव विज्ञान (विज्ञान विषय के खंड के रूप में)	जीव विज्ञान कक्षा ७				सामाजिक अध्ययन कक्षा ८ (प्रायोगिक संस्करण)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कोशला प्रसाद चौबे, उप सचिव

वन विभाग

भोपाल, दिनांक १७ फरवरी १९७५

क्र. ७००-६२४-दस-२-७५.—वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, १९७२ (५३ सन् १९७२), की धारा १८ द्वारा प्रदत्त अधिकारी के अनुसार मध्यप्रदेश शासन, नीचे परिशिष्ट के अध्यायि गये क्षेत्र को वन पक्षी तथा पशु के लिये अभयारण्य घोषित करता है :-

परिशिष्ट

- जिला—सागर, दमोह, नरसिंगपुर.
- तहसील—रेहली, दमोह, नरसिंगपुर.
- परिक्षेत्र—देवरी, गोरभामर, रेहली, दमोह, डालोन, तारादेही, डोगरगांव, बरमान.
- क्षेत्र का रकबा—१,०३,४५२.३५ हेक्टर.

अभयारण्य का नाम नोरादेही

१,०३,४५२ वर्ग किलोमीटर.

सीमा

उत्तर—जिला सागर के तहसील रेहली के ग्राम कुडई बमनोदा, सुमारिया एवं दमोह जिले के ग्राम धनगौर, काजि हमलिया तथा आरक्षित वन का प्रकोष्ठ क्रमांक ११६, ११७ ग्राम तेजगढ़ खुद प्रकोष्ठ क्रमांक १२४, १२५ एवं संरक्षित वन खण्ड

२. इस विभाग के आदेश क्र. एफ. ४६-७-७४-सी-३-बीस, दिनांक ६ जुलाई १९७४ के द्वारा अन्य विषयों की निर्धारित पाठ्य पुस्तकें प्रचलित रहेंगी.

क्र. ४६-१३-७४-सी-३-बीस.—राज्य शासन के आदेश क्र. एफ. ४६-१२(१)-७४-सी-३-बीस, दिनांक २६ दिसम्बर १९७४ द्वारा निर्धारित पाठ्य विवरण के संदर्भ में उक्त आदेश में उल्लिखित शालाओं की संबंधित कक्षाओं और विषयों के लिये राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था) अधिनियम, १९७३ (क्रमांक १३ सन् १९७३) की धारा ४ के द्वारा दिये गये अधिकार का प्रयोग करते हुए तथा मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्य पुस्तकों संबंधी व्यवस्था) नियम, १९७४ के नियम १२ के अनुसार, वर्ष १९७५-७६ के शैक्षणिक सत्र से, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल द्वारा इस वर्ष प्रकाशित की जाने वाली नई ११ (ग्यारह), पाठ्य पुस्तकें (प्रायोगिक संस्करण) निम्नानुसार अनुमोदित एवं निर्धारित करता है:-

क्रमांक	कक्षा का नाम	विषय	निर्धारित पाठ्य पुस्तक का नाम
(१)	(२)	(३)	(४)
१	कक्षा १	हिन्दी	बाल भारती कक्षा १ (प्रायोगिक संस्करण)
४	कक्षा ४	हिन्दी	बाल भारती कक्षा ४ (प्रायोगिक संस्करण)
५	कक्षा ५	हिन्दी	बाल भारती कक्षा ५ (प्रायोगिक संस्करण)
६	कक्षा ६	हिन्दी	बाल भारती कक्षा ६ (प्रायोगिक संस्करण)

दक्षिण—दिल्ली की सीमा दिल्ली राज्य, बन्दरोहा, जिला, मरया, नेपथी

BOUNDARY DESCRIPTION

North—Eastern boundaries of village Simariya, Hinoli, Chirari, and Bagaspur, to southern boundaries of Gopalpura and Salaiya village to eastern boundaries of village Salaiya, Baleh, Barkhedi, Mahuasemra and Kudai to southern boundary of villages Damnoda, Jagtarai, Balakot, to western boundary of villages Chirai, Manka, Majha, Somkheda, Dohlisimariya and Laklakha.

East—From village Laklakha to western boundary of Suradehi and Jhapan villages to western boundary of village Kosamda following river Byarna towards south to the junction of District boundary and Damoh and Narsinghpur District following the district boundaries of Damoh and Narsinghpur District to northern and western boundaries of village Vikrampur.

South—From northern and western boundaries of village Vikrampur to the southern boundaries of Comptt. Nos. 680A, 479, 680, 681, 682, 683, 684, 446, 445, 444, 443, 442, 440, 439, 698, 699, 431 & 702 which are along the National Highway No. 12; to western boundary of Comptt. Nos. 702, 430,

432, 429 to southern western boundary of Comptt. No. 427 and 428 to western boundary of Comptt. No. 314, 305 to southern boundary of Comptt. 304 (Comptt. No. 305, 304 and 303 are on common boundary of Sagar and Narsinghpur district) to southern boundary of Comptt. No. p93 and 303.

West—From southern boundary Comptt. No. 303 to western and northern boundaries of Comptt. No. p92 and p91 to eastern boundaries of village Titarpa, Kishanpur, Purena, Barha, Isarp, Bina to Singhpur to western boundaries of Comptt. No. p62; p50 to southern boundary Comptt. No. P57, P58, P65, western, northern boundary Comptt. No. p65 to western, northern, eastern boundary of Comptt. No. p58 to western and eastern boundary of Comptt. No. p56 to western and northern boundary of Comptt. No. p53 to eastern boundary village Simariya.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh

SUKOMAL CHANDESA BARDHWAJ, Dy. Secy.

भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं

सामान्य प्रशासन विभाग

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND
COMPANY AFFAIRS

1000

No. 57-6-83-Ins.—In exercise of the powers conferred by Article 223 of the Constitution, the President is pleased to appoint Shri Justice Govardhanlal Jampa-

85

101

ओरछा डेटा

Orchha WLS

पजी क्रमांक ओपाल द्वितीय-
122 (एम. पी.)

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने
के लिए अनुमत-अनुमति-पत्र
नं. ओपाल-505/ इन्व्यू. पी.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 811]

ओपाल, बुधवार, दिनांक 23 अक्टूबर 1994 - भाषित 1, अक्टूबर 1916

वन विभाग

मंत्रालय, आरक्षक भवन, ओपाल

ओपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 1994

क्र. एफ. 14-85-94-रस-2--वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 18 (1) (क्रमांक 53, वर्ष 1972), वन्यप्राणी संरक्षण संशोधन अधिनियम, 1991 (क्रमांक 44, वर्ष 1991) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश, राज्य शासन, निम्न अनुसूची में वर्णित क्षेत्र को ओरछा अभ्यारण्य के रूप में घोषित करने की मंशा जाहिर करती है:-

अनुसूची	विवरण	क्षेत्रफल
1	ओरछा अभ्यारण्य	44.9 वर्ग किमी.
2	निवाड़ी	43.6 वर्ग किमी.
3	गोरछा	4491.448 हेक्टर या
4	राजस ग्राम-चोटना	4365.537 हेक्टर या
5	वन-ग्राम-मिंगपुरा	43.535 हेक्टर
6		1619

सीमाये

बेतवा नदी
जामनी नदी
कम्प. नं. 162 आर. एफ. की आरंभ सीमा साइन
बेतवा नदी

No. F.14-85-94-X-2.—In exercise of the power conferred by Section 18(D) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972), as amended by Wild Life (Protection) Amendment Act, 1991 (No. 44 of 1991), The Madhya Pradesh Government hereby declare its intention to form the area specified in Schedule below as "ORCHHA WILD LIFE SANCTUARY" under the Act:—

SCHEDULE

District : Tikamgarh
Name of Forest Division : Tikamgarh
Name of Sanctuary : Orchha Wildlife Sanctuary
Tahsil : Niwari
Range : Orchha
Total Area : 4191.448 Hect. or 1644.9 Sq. Km.
R. F. : 4365.537 Hect. or 1743.6 Sq. Km.
P. F. : Nil
Included Villages : Revenue Village - LOTNA
Area 82.376 Hect.
Food village - SINGHPURA
Area 43.515 Hect.

BOUNDARIES

North : Betwa River
East : Jamni River
South : Outer boundary of Compt. No. 162 RF.
West : Betwa River

मध्य प्रदेश राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
डा. के. सुब्बा, अपर सचिव

24
40
46
48

बीरी

XX अधिसूचना XX

Beri WLS

103

नि 5/22/76-10(8)

मि. दिनांक 1.6.77

वॉरल्ड लार्स (प्रोटेक्शन) एक्ट 1972 को धारा 10(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारी अनुसार मध्य प्रदेश शासन नीचे परिशिष्ट प्र. 1 एवं 2 में दर्शाये गये क्षेत्रों की सख्त वन गद्दी तथा पशुओं के स्तन लिए अभयारण्य घोषित करता है।

परिशिष्ट प्र. 1

अभयारण्य एवं ब्लॉक का नाम - बीरी अभयारण्य

जिला - होशंगाबाद

तहसील - सीदागमूर

परिक्षेत्र - बीरी, सुखतवा, बागरा, सीदागमूर

क्षेत्र का रकबा 802.89 वर्ग कि० मी० या 80289 हेक्टर

सीमा

- उत्तर - दैनवा नदी
- पूर्व - पचमदी एवं पिपरिया परिक्षेत्र की सीमा
- दक्षिण - बैतुल वन मंडल की सीमा
- पश्चिम - तवा नदी

परिशिष्ट-2

अभयारण्य एवं ब्लॉक का नाम - पचमदी अभयारण्य

जिला - होशंगाबाद

तहसील - सीदागमूर

परिक्षेत्र - पचमदी एवं पिपरिया


क्षेत्र का रकबा 654.49 वर्ग कि० मी० या 63449 हेक्टर

सीमा

- उत्तर - बनडौली परिक्षेत्र की सीमा
- पूर्व - छिंदवाड़ा जिला सीमा
- दक्षिण - छिंदवाड़ा जिला सीमा
- पश्चिम - बीरी अभयारण्य की सीमा

अनु. मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक 22 मार्च 1973 एवं कदा-निस्त की धारा

संख्या ५४
 मन्वत्. घनुमद्वि-५२
 एस्. बी. सी. ४९.



104
 (एस्. बी.) १२२
 ६०३२

वैसी रुत पल्लोठी
 अन्वत्. देव
 आदेशसूचना

मध्यप्रदेश राज्यापत्र

आधिकार से प्रकाशित

संख्या ४४

भोपाल, गुरुवार, दिनांक ४ नवम्बर १९७७—कार्तिक १३, संके १८६१.

विषय-वृत्ती

१. (१) राज्य ध्वजन के आदेश, (२) विभाग प्रमुखों के आदेश, (३) उच्च न्यायालय के आदेश और अभिसूचनाएं, (४) राज्य ध्वजन के संकल्प, (५) भारत सरकार के आदेश और अभिसूचनाएं, (६) निवर्तित आयोग, भारत की अभिसूचनाएं, (७) लोक भाषा परिषद.

भाग १.—(१) विभाजन और विधिक सूचनाएं, (२) शांतिपूर्ण सूचनाएं.
 भाग ४.—(क) (१) मध्यप्रदेश विधायक, (२) प्रकाशित और प्रतिबंधित, (३) संसद में पुरःस्थापित विधायक (४) (१) मध्यप्रदेश, (२) मध्यप्रदेश की परिषद, (३) संसद के अधिनियम, (ग) (१) मासिक विषय, (२) अन्तिम विषय.

२.—स्थायी निकाय की अभिसूचनाएं.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

(सामान्य प्रशासनिक सूधार विभाग)

भोपाल, दिनांक ७ अक्टूबर १९७७.

५३-९-एक-का.प्र.मु.शा. प्रा.—श्री आर. एन. उदयेश्वर
 एवं अन्य न्यायाधीश, जिनकी सेवाएं विधि और विधायी कार्य
 विभाग के आदेश क्र. (१) ३९३९३-३ (ग)-६५-७७-व-३
 दिनांक ३० अक्टूबर १९७७ द्वारा समाप्त प्रशासन विभाग को
 सौंपी गई है, जो जॉब प्रायोग अधिनियम, १९५२ (क्रमांक ६० मं. १९५२)
 की धारा ३ के अधीन स्थापित किये गये जॉब प्रायोग तथा उक्त
 अधिनियम की धारा ११ के अधीन स्थापित किये गये आपातकालीन
 व्यवस्थाओं की जॉब संबंधी प्राधिकारों के अन्तर्गत के पर एतद्वारा
 पदस्थ किया जाता है.

६१-९-एक-का.प्र.मु.शा. प्रा.—श्री आर. एन. उदयेश्वर
 न्यायाधीश, जिनकी सेवाएं विधि और विधायी कार्य विभाग
 के आदेश क्र. ३९४००-३ (एग)-६५-७७-व-३ दिनांक ३०
 अक्टूबर १९७७ द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी गई है
 जो जॉब प्रायोग अधिनियम, १९५२ (क्रमांक ६० मं. १९५२)
 की धारा ३ के अधीन स्थापित किये गये जॉब प्रायोग तथा उक्त
 अधिनियम की धारा ११ के अधीन स्थापित किये गये आपातकालीन
 व्यवस्थाओं की जॉब संबंधी प्राधिकारों के अन्तर्गत के पर एतद्वारा
 पदस्थ किया जाता है.

क्र. ५३-९-एक-का.प्र.मु.शा. प्रा.—श्री रामशक्ति रस्तोगी, वर्तमान
 में गृहकार्य के संचालक तथा पदस्थ उपसचिव, विधि और विधायी
 कार्य विभाग, जिनकी सेवाएं विधि और विधायी कार्य विभाग
 के आदेश क्र. ३९४०७-३ (ए)-६५-७७-व-३ दिनांक ३० अक्टूबर
 १९७७ द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी गई है, जो जॉब
 प्रायोग अधिनियम, १९५२ (क्रमांक ६० मं. १९५२) की धारा
 ३ के अधीन स्थापित किये गये जॉब प्रायोग तथा उक्त
 अधिनियम की धारा ११ के अधीन स्थापित किये गये आपातकालीन
 व्यवस्थाओं की जॉब संबंधी प्राधिकारों के अन्तर्गत के पर एतद्वारा
 पदस्थ किया जाता है.

क्र. ५३-९-एक-का.प्र.मु.शा. प्रा.—श्री श्री. जी. जन, परपर जिला
 एवं उच्च न्यायाधीश, जिनकी सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य विभाग
 के आदेश क्र. ३९४१४-३ (ए)-६३-७७-व-३ दिनांक ३०
 अक्टूबर १९७७ द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी गई है,
 जो जॉब प्रायोग अधिनियम, १९५२ (क्रमांक ६० मं. १९५२)
 की धारा ३ के अधीन स्थापित किये गये जॉब प्रायोग तथा उक्त
 अधिनियम की धारा ११ के अधीन स्थापित किये गये आपातकालीन
 व्यवस्थाओं की जॉब संबंधी प्राधिकारों के अन्तर्गत के पर एतद्वारा
 पदस्थ किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 सहायक सचिव, सचिव.

नियंत्रण, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, द्वारा बाह्य केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—१९७७.

परिशिष्ट २

Schedule II

१. अभयारण्य एवं ब्लॉक का नाम.—पचमढ़ी अभयारण्य.
२. जिला.—होशंगाबाद.
३. तहसील सोहागपुर.
४. परिक्षेत्र.—पचमढ़ी एवं पिपेरिया.
५. क्षेत्र का रकबा.—६५४.४९ वर्ग कि. मी. या ६५४४९ हेक्टर.

सीमा

- उत्तर.—बनहंडी परिक्षेत्र की सीमा.
पूर्व.—छिंदवाड़ा जिला सीमा.
दक्षिण.—छिंदवाड़ा जिला सीमा.
पश्चिम.—बोरी अभयारण्य की सीमा.

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्र. १३१३-६०८-दर-२-७५, दिनांक २२ मार्च १९७५ एतद्वारा निरस्त की जाती है.

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. सेन, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक १ जून १९७७.

क्र. १५-२२-७६-दर-२.—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अन्वय में, इस विभाग के आदेश क्र. १५-२२-७६-दर-२, दिनांक १ जून १९७७ का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. सेन, उपसचिव.

Bhopal, the 1st June 1977.

No. F. 15-22-76-X (2).—In exercise of the powers conferred by section 18 (1) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972), the Madhya Pradesh Government hereby declare the Lands specified in Schedule I and II below as Game Sanctuaries under the Act, for all animals and birds in the said sanctuaries :-

Schedule I

1. Name of sanctuary—Bori Sanctuary.
2. District—Hoshangabad.
3. Tehsil—Sohagpur.
4. Range—Bori, Sukhtawa, Bagra, Sobagpur
5. Area—802.89 Sq. Km. or 80289 Hectare.

Boundaries

- North—Denwa River.
East—Boundary of Pachmarhi Range and Piparia range.
South—Betul division boundary.
West—Tawa River.

1. Name of Sanctuary—Pachmarhi Sanctuary.
2. District—Hoshangabad.
3. Tahsil—Sohagpur.
4. Range—Pachmarhi and Piparia.
5. Area—654.49 Sq. Km. or 65449 Hectare.

Boundaries

- North—Bankhedi Ranges boundary.
East—Chhindwara District boundary.
South—Chhindwara District boundary.
West—Boundary of Bori Game Sanctuary.

Madhya Pradesh, Forest Department No. 1313-608-X-2-75, dated the 22nd March 1977 hereby cancelled.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
B. SEN, Dy.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

भोपाल, दिनांक २१ मई १९७७.

क्र. ५४५९-३६११-ग्यारह-अ.—दखिन एक्ट, १९२३ की धारा ३४(२) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, ओरिएण्ट पेपर लिमिटेड अगलाई के बायलर क्रमांक एम. पी.-३१७३ निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा के उपबंधों के प्रवर्तन में दिनांक ४ जून से १ जून तक के लिये छूट देता है:—

(१) सन्दर्भित बायलर को पहुँचने वाली किसी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम १९२३ की धारा १८(१) की अपेक्षानुसार बायलर मध्य निरीक्षक, मध्य प्रदेश, इन्दौर को जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से सूचना मान्यता समाप्त समझी जावेगी;

(२) उपरोक्त अधिनियम की धारा १२ तथा १३ अपेक्षानुसार बायलर मध्य निरीक्षक, मध्य प्रदेश पूर्वनिर्गमन के बिना सन्दर्भित बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन, परिवर्तन या नवीनीकरण नहीं किया जायेगा;

(३) सन्दर्भित बायलर का सरकारी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह सतरनाक स्थिति में पाया गया तो वह छूट समाप्त हो जावेगी;

(४) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से निरीक्षण (रिग्यूलर ब्लेशचन) का कार्य किया जायेगा और उसका अभिलेख रखा जायेगा एवं;

(५) मध्य प्रदेश बायलर निरीक्षण नियम १९६९ के नियम ६ की अपेक्षानुसार सन्दर्भित बायलर को वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर जावेगी.

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्रि. वि. सिंह, उपसचिव.

वन विभाग

भोपाल, दिनांक २६ मई १९७७.

क्र. १४-१९-७६-दस-(२).—राज्य शासन का विचार करना आवश्यक है कि कृषि क्षेत्रों में जंगल प्राणी (वन) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ५३ सन् १९७२) द्वारा ६१ की उपधारा (२) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके, राज्य शासन, एतद्द्वारा प्रकाशित अधिनियमों को अनुसूची तृतीय में निम्नलिखित अनुसूची में सम्मिलित करता है—

- १. बघी (पटेलियमम टैजेक).
- २. चित्कारा (गंजना गंजना बेनेटाई).
- ३. चीतल (एक्सिस एक्सिस).
- ४. शोसंग (टिट्टाबोरस बवाइक्यार्निस).
- ५. माजस डोयर (ट्रायसस गॉमिना).
- ६. गोलगाय (बोसनाफस टोगोकमेतस).
- ७. सांभर (सरलूस यूनीकॉर).

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. सी. उपसचिव.

भोपाल, दिनांक २६ मई १९७७.

क्र. १४-१९-७६-दस-(२).—भारत के अधिनियम के अनुच्छेद ३ के अन्तर्गत में, इस विभाग के आदेश क्र. १४-७६-दस(२) दिनांक २६ मई १९७७ का अंशो अनुवाद अधिनियम के अधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है—

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. सी. उपसचिव.

Bhopal, the 26th May 1977.

P. 14-19-76-2.—Where as the State Government considers that it is expedient to do so;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section (2) of section 61 of the Wild Life (Protection) Act, 1972, (No. 53 of 1972) the State Government hereby transfers entries relating to the following animals from Schedule III to Part (II) of Schedule II:—

- 1. Barking deer or Muntjac (Muntiacus muntjak).
- 2. Chinkara or Indian Gazelle (gazella gazella Bennett).
- 3. Chital (Axis axis).
- 4. Four horned antelope (Tetra-ceros quadricornis).
- 5. House deer (Tragulus meminna).
- 6. Nilgai (Boeclaphus tragocamelus).
- 7. Sambar (Cervus unicolor).

and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. SEN, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक २६ मई १९७७.

क्र. फा. - २२-२२-७४-३-यस. इस विभाग में की गयी सूचना क्र. २४६-१०-१४ दिनांक ३१ मार्च १९६४ में, अधिनियम संख्या ५३ के अधिनियम १९७२ (क्रमांक ५३ सन् १९७२) की धारा २३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में सूची (२) में उल्लिखित शब्दों को, अनुसूची (३) तत्स्थानी अधिनियमों में उल्लिखित परिभाषिकाओं में प्रयोजित करता है—

- | | | |
|------|-----------------------|---|
| क्र. | शब्द | परिभाषिका |
| (1) | (2) | (3) |
| १ | अधिनियम की धारा ३ के | प्रमुख वन संरक्षक |
| | | अधीन इकाई गठित करने की शक्ति. |
| २ | अधिनियम की धारा ४ के | वन संरक्षक क्षेत्रों |
| | | अधीन अधिकाओं की नियुक्ति की शक्ति. |
| ३ | अधिनियमों की नियुक्ति | मुख्य वन संरक्षक |
| | | करने के लिए आदेश-पत्रों का आवाहन करने की शक्ति. |

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. सक्सेना, उपसचिव.

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. सक्सेना, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक १ जून १९७७.

क्र. १४-२२-७६-दस-(८).—वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, १९७२ की धारा १८(१) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत मध्य प्रदेश शासन नीचे परिशिष्ट क्र. १ एवं २ में दसमि गये क्षेत्रों को समस्त वन पर्यी तथा पक्षियों के लिए अधिनियम गोपित करता है—

परिशिष्ट क्र. १

१. अभयारण्य एवं वनाक का नाम.—सोरी अभयारण्य. ✓
२. जिला.—होशंगाबाद.
३. तहसील.—सोहागपुर.
४. परिशिष्ट.—सोरो, वृक्षवा, बागरा, सोहागपुर.
५. क्षेत्रफल.—सोरो, वृक्षवा, सोहागपुर. ८०२८९ हेक्टर.

सीमा

उत्तर.—देवना नदी.
पूर्व.—गणपती एवं पिपरिया, परिशिष्ट की सीमा,
दक्षिण.—देवना नदी की सीमा.

परिष्कार—यस. सी.

मध्य प्रदेश, शासन, वन विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवना, भोपाल - ४६२ ००४

भोपाल, दिनांक २१ अगस्त, ९८

अधिसूचना

क्रमांक एफ-१५/६५/९६/१०-२: चूंकि राज्य शासन का यह मत है कि नीचे दिये गये परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र वन्य प्राणियों तथा उनके रहवास/पारिस्थितिकी के संरक्षण, विस्तार तथा विकास के प्रयोजन के लिए पर्याप्त महत्व का है, अतः राज्य शासन एतद् द्वारा इस क्षेत्र को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ (यथा संशोधित १९९१) की धारा २६-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग में लाते हुए 'पेंच अभयारण्य' जिला सिवनी के रूप में अंतिम रूप से अधिसूचित करता है:-

परिशिष्ट

सम्मिलित क्षेत्र:

१. जिला - सिवनी
२. अभयारण्य का नाम - पेंच अभयारण्य
३. तहसील - सिवनी
४. वन परिक्षेत्र - रूखड़, कुरई, पश्चिम खवासा
५. अभयारण्य का क्षेत्रफल - ११८.४७३ वर्ग किलोमीटर

सीमाएं:

१. उत्तर - दक्षिण सिवनी वनमंडल के आरक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक ४८, ६१, ६२, ६९, ७०, ७५, ७६, ७८, ७९, ८० एवं ८१ की बाह्य सीमा।
२. पूर्व - दक्षिण सिवनी वनमंडल के आरक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक ८१, ८२, ८४, ८५ की बाह्य सीमा।
३. दक्षिण - दक्षिण सिवनी वनमंडल के आरक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक ८५, ८६, ८७, ७४, ७३, ७२, ६८, ६७, ६६, ६५, ५५, ५४ एवं ५३ की बाह्य सीमा।

108

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH, FORESTS DEPARTMENT
MANTRALAYA
VALLABH BHAVAN BHOPAL-462004

Bhopal, Dt.: 21/08/98

NOTIFICATION

No.: F/15/65/96/10-2: Where as the State Government considers that the area specified in the scheduled below is of adequate significance for the purpose of the protection, propogation and development of wildlife and it's habitat / ecology, therefore, in exercise of the powers conferred by Section-20-A of the Wildlife Protection Act (as amended in 1991), the State Government hereby finally notifies the said area as 'Pench Sanctuary' district Seoni.

Area Included :

1. District
2. Name of the Sanctuary
3. Tahsil
4. Forest Range
5. Area of the Sanctuary

Schedule

- : Seoni
- : Pench Sanctuary
- : Seoni
- : Rukhad, Kurai, West Khawasa
- : 118.473 Sq.km

Boundaries:

North

East

South

West

- The outer boundary of Reserved Forests compit. Nos. 48, 61, 62, 69, 70, 75, 76, 78, 79, 80 and 81 of South Seoni Division.

- The outer boundary of Reserved Forests compit. Nos. 81, 82, 84 and 85 of South Seoni Division.

- The outer boundary of Reserved Forests compit. Nos. 85, 86, 87, 74, 73, 72, 68, 67, 66, 65, 55, 54 and 53 of South Seoni Division.

- The outer boundary of Reserved Forests compit. Nos. 53, 58, 59, 50, 49 and 48 of South Seoni Division.

By order and in the name of
the Governor of Madhya Pradesh

Jitendra Agrawal 21/08/98
(Jitendra Agrawal)
Additional Secretary
GOMP, Forests Department

mentioned in the schedule below as anti wild buffalo sanctuary :

उपरोक्त नामों के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों का नाम (अंग्रेजी में) निम्नलिखित है :

SCHEDULE

District—Raipur.

Forest Division—East Raipur.

Name of the Ranges—Nainpur, Deobhog

Name of the Sanctuary—Udanti Wild buffalo Sanctuary.

Area—247.59 Sq. Km.

Name of the villages falling within the boundary—Jangda, Dumarpara, Bargaon (Kurubhala) Jungad, Amad, Karrajhar, Nagesh, Koyba, Bamrijhole, Sahbin.

जिल्ला—रायपुर

वन विभाग—पूर्व रायपुर

संरक्षित क्षेत्र का नाम—उदंती गजभाला

क्षेत्रफल—247.59 वर्ग किलोमीटर

समाविष्ट गाँवों का नाम—जंगदा, दुमरपारा, बर्गाउन (कुरुबहाला) जंगद, अमाद, कारराजहार, नागेश, कोयबा, बामरिजहोला, साहबिन

Boundary description

North—Northern boundary of P.F. Compartment Nos. 364, 363, 345, 346, 347, 321, 320, 350 and 352.

East—Inter-state boundary of the States of M. P. and Orissa.

South—Diyapani nala which makes the Southern boundary of Compartment Nos. 525, 530, 501 496, 489 Adharinala which makes the southern boundary of Compartment No. 480, Eastern boundary of Compartment Nos. 481, 482 Southern boundary of Compartment Nos. 475 446, 442, 443 and Eastern boundary of Compartment No. 444.

West—Western boundary of Compartment Nos 372, 375, 380, 395, 396, 397, 439, 437, Eastern boundary of Compartment No. 443. Western boundary of Compartment Nos 442 and 443.

सीमा विवरण

पूर्व—कॉम्पार्टमेंट क्रमांक 449, 452-अ, 510-अ और 509-अ की पूर्वी सीमा जो कि मण्डला एवं रायपुरांचल जिल्लों की सीमा बनती है।

उत्तर—वन कॉम्पार्टमेंट क्रमांक 509-अ की उत्तरी सीमा, इसके बाद राजलखन बन्धम की उत्तरी सीमा जो कि वन कॉम्पार्टमेंट क्रमांक 508-अ और 507-अ के द्वारा बनती है। इसके बाद वन कॉम्पार्टमेंट क्रमांक 507-अ की उत्तरी सीमा, फिर वन कॉम्पार्टमेंट क्रमांक 488 की पूर्वी सीमा, इसके बाद वन कॉम्पार्टमेंट क्रमांक 488, 489, 471 से उत्तर सीमा 492 की उत्तर-पश्चिमी सीमा एवं 493 एवं 494 की उत्तरी सीमा, फिर वन कॉम्पार्टमेंट क्रमांक 494 की उत्तरी सीमा। इसके बाद वन कॉम्पार्टमेंट क्रमांक 500 एवं 499 की उत्तरी सीमा।

पश्चिम—वन कॉम्पार्टमेंट क्रमांक 499, 521 एवं 523 की पश्चिमी सीमा।

दक्षिण—वन कॉम्पार्टमेंट क्रमांक 523, 520, 519, 517 से 516 की दक्षिणी सीमा। इसके बाद वन कॉम्पार्टमेंट क्रमांक 514 की पश्चिमी सीमा फिर वन कॉम्पार्टमेंट क्रमांक 445, 446, 447, 450-अ एवं 449 की दक्षिणी सीमा अर्थात् वन कॉम्पार्टमेंट क्रमांक 449 की पूर्वी सीमा से मिलती है।

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, J. B. LAL, Dy. Secy.

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. बी. लाल, सहायक

सेवा, दिनांक 10 मार्च 1983.

सेवा, दिनांक 10 मार्च 1983

क. 15-5-83-रा-2.—जुनि राज्य शासन का यह विचार है कि राज्य की गई अनुसूची में विनिश्चित क्षेत्र, वन शाखा के अंतर्गत विभिन्न प्रायद्वीप परिसरों का संरक्षण, करने उपाय विस्तार तथा विभिन्न क्षेत्रों के प्रयोजन के लिए प्रयोग जाति तथा प्रजाति विज्ञान की दृष्टि से विशेष महत्त्व का है।

क. 15-5-83-रा-2.—राज्य के संविधान के अनुसूची 3-अ के भाग (2) के अंतर्गत में 24 दिनांक 10 मार्च 1983-83-रा-2, दिनांक 10 मार्च 1983 का प्रस्ताव आदेश से राज्यपाल के आधिकार से प्रकाशित किया जाता है।

अनुसूची 3-अ के भाग (2) के अंतर्गत में 24 दिनांक 10 मार्च 1983-83-रा-2, दिनांक 10 मार्च 1983 का प्रस्ताव आदेश से राज्यपाल के आधिकार से प्रकाशित किया जाता है।

अनुसूची 3-अ के भाग (2) के अंतर्गत में 24 दिनांक 10 मार्च 1983-83-रा-2, दिनांक 10 मार्च 1983 का प्रस्ताव आदेश से राज्यपाल के आधिकार से प्रकाशित किया जाता है।



Bhopal, the 10th March 1983

No. 15-5-83-X-2.—Whereas the State Government considers that the area specified in the schedule below is of adequate faunal and zoological significance for the purpose of protecting propagating and developing wild life and its environment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 18(1) of the wildlife (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972), the State Government hereby declares as said area to be a sanctuary:—

SCHEDULE

The area comprised within the boundaries specified below:—

Forest division— South Mandla.

District—Mandla.

Range—Motinala.

Name of Sanctuary—Phen Sanctuary (Phen micro-core project Tiger Kanha).

Area—110.74 Sq. km.

Boundary description :

East—Eastern boundary of compartment Nos. 449, 452A, 510A and 509A which also forms the inter-district boundary between Mandla and Rajnandgaon districts.

North—Northern boundary of Compartment No. 509A then Northern boundary of Sajalagaon forest village which forms the Northern boundary of Compartment Nos. 508B and 507B, thereafter Northern boundary of Compartment No. 507A, then Eastern boundary of Compartment No. 488, Northern boundary of Compartment Nos. 488, 489, 471, N.W. Boundary of C. N. 492 Northern boundary of Compartment No. 493 and 494 then western boundary of compartment No. 494 then Northern boundary of Compartment Nos. 500 and 499.

West—Western boundary of Compartment Nos. 499, 521 and 523.

South— Southern boundary of Compartment Nos. 523, 520, 519, 517 and 51, then Western boundary of Compartment No. 514 thereafter Southern boundary of Compartment Nos. 445, 446, 447, 450A and 449, till it meets to the eastern boundary of Compartment No. 449.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, J. B. LAL, Dy. Secy

बोधन, दिनांक 11 मार्च 1983

क. 15-5-83-ख-2.—यूनि राज्य शासन का यह विचार है कि नीचे दूनीया गया विनिर्दिष्ट क्षेत्र वन्य जीव, वनस्पति प्राणी विज्ञान एवं प्राकृतिक दृष्टि से वन्य प्राणी एवं उनके पर्यावरण के लिए विशेषतः अणु-कोर प्रियेय, पुनर्वसन एवं विकास के लिये महत्व का है-

अतः बाइन्ड बाइण्ड (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 (क्रमांक 53, सन 1972) की धारा 18 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत राज्य शासन नीचे परिशिष्ट में दर्शाये क्षेत्रों को वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए अरण्य वन क्षेत्र अर्थात् अरण्य घोषित करता है:—

अनुसूची

जिला.—बन्धन.

वनविभाग.—मोथला बन्धन.

परिक्षेत्र.—मोथला.

अरण्यारण्य का नाम.—मोथला वन क्षेत्र अरण्यारण्य

क्षेत्र का विवरण.—प्रादेशिक वन 119.17 वर्गकिलोमीटर.

संरक्षित वन 3.3 वर्गकिलोमीटर.

असंरक्षित वन एवं रेवल्सू खंड 12.12 वर्ग किलोमीटर.

138.65 वर्ग किलोमीटर.

सीमा

पूर्व.—अरण्यारण्य-मोथलाखंडमार्ग रोड पर दिनांक 01 नवम्बर 1968 की पूर्वी सीमा अर्थात् दूरी 0.03, 98 मी., 1574 मी. की पूर्वी सीमा 1572 मी. की दक्षिण पूर्वी सीमा 1571 की पूर्व.

उत्तर.—बड़े पत्थरी घाट से जेपूर घाट तक इन्द्रा की नदी.

पश्चिम.—अरण्यारण्य नं. 83, 80, 109, 112 की पश्चिमी सीमा.

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
अनुसूचना

10/3/83

(22)

क्रमांक 15/5/83/10/2

बीकान, दिनांक 10/3/83

चूंकि राज्ज शासन का यह विचार है, कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र, जंगल भूजाती तथा उनके लिए आवश्यक परिस्थितियों का संरक्षण करने उसका विस्तार तथा विकास करने के प्रयोजन के लिए भूजाती जाति तथा भूजाती विभाग की दृष्टि से शर्णापत सरकार का है ।

अतएव नार्थख जार्डक प्रोटेक्शन एक्ट 1972 (53 अन्व. 1972) की धारा 10 (1) द्वारा प्रदत्त शर्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्ज शासन एक्ट द्वारा उक्त क्षेत्र को अभ्यारण्य (रेन्जरी) के रूप में घोषित करता है ।

अनुसूची

नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमाओं के संक्षिप्त क्षेत्र

जनमण्डल -	दक्षिण मण्डला
जिला-	मण्डला
परिधीय का नाम-	भीती नाला
अभ्यारण्य का नाम-	केन अभ्यारण्य (केन भाषकीकीर ग्रोवेयर टाउनर)
क्षेत्रफल-	110.74 वर्ग किलोमीटर

सीमा विवरण :-

पूर्व :- वनकीट क्रमांक/449, 452 अ, 510 अ और 509 अ की पूर्वी सीमा जो कि मण्डला एवं राजनाथगढ़ जिलों की उत्तर सीमा बनाती है ।

उत्तर :- वनकीट क्रमांक 509 अ की उत्तरीय सीमा/ इसके बाद साजालमान अग्राम की उत्तरी सीमा जो कि वन कीट क्रमांक 500 अ और 507 अ के द्वारा बनती है । इसके बाद वन कीट क्रमांक 507 अ की उत्तरीय सीमा, फिर वनकीट क्रमांक 428 की पूर्वी सीमा/ इसके बाद वन कीट क्रमांक 400,


409, 471 की उत्तर सीमा 492 की उत्तर पश्चिम सीमा एवं 493 एवं 494 की उत्तरी सीमा फिर जन कोष्ठ क्रमांक 494 की पश्चिमी सीमा । इसके बाद जन कोष्ठ क्रमांक 500 एवं 499 की उत्तरी सीमा ।

पश्चिम:- जन कोष्ठ क्रमांक/499, 521 एवं 523 की पश्चिम सीमा ।

दक्षिण:- जन कोष्ठ क्रमांक 523, 520, 519, 517 एवं 516 की दक्षिणी सीमा ।

इसके बाद जन कोष्ठ क्रमांक 514 की पश्चिमी सीमा फिर जनकोष्ठ क्रमांक 445, 446, 447, 450 अ एवं 449 की दक्षिणी सीमा जहाँ तक की जन कोष्ठ क्रमांक 449 की पूर्वी सीमा से मिलती है ।

महजुरीया के राज्जपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार


॥ जे. एम. लाल ॥
उप सचिव,


महजुरीया शासन, जन विभाग

क्रमांक 15/3/83/10/2

कीपाल, दिनांक 10/3/83

भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 के खण्ड 3 के अनुसरण में जन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 15/3/83/10/2 दिनांक 10/3/83 की अंग्रेजी अनुवाद राज्जपाल के प्राधिकार से पत्रद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

महजुरीया के राज्जपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार


॥ जे. एम. लाल ॥
उप सचिव,

महजुरीया शासन, जन विभाग

193

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH, FOREST DEPARTMENT
NOTIFICATION

Bhopal, dated / 0 3 83 1983.

No. 15/5/83/10/2

Whereas the State Govt. considers that the area specified in the schedule below is of adequate faunal and zoological significance for the purpose of protecting propagating and developing Wildlife and its environment.

Now, therefore in exercise of the power conferred by Section 18(1) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) the State Govt. hereby declares at said area to be a Sanctuary.

SCHEDULE

The area comprised within the boundaries specified below :-

Forest division	• South Mandla
District	• Mandla
Range	• Matinala
Name of Sanctuary	• Phen Sanctuary (Phen micro-core project Tiger Kanha)
Area	• 110.74 sq. km.

Boundary description:

East: Eastern boundary of compartment Nos. 449, 452A, 4510A and 509, which also forms the inter-District boundary between Mandla and Rajnandgaon Districts.

North: Northern boundary of Comptt No. 509A then Northern boundary of Sajalagan forest village which forms the Northern boundary of compartment Nos. 508B and 507B, thereafter northern boundary of Comptt. No. 507A, then Eastern boundary of Comptt No. 488, Northern boundary of Comptt. No. 488, 489, 471, N.W Boundary/C.N. 492 Northern boundary of Comptt. No. 493 and 494 then western boundary of comptt. No. 494 then Northern boundary of Comptt. Nos. 500 and 499.

West: Western boundary of Comptt. Nos. 499, 521 and 523.

South: Southern boundary of Comptt. Nos. 523, 520, 519, 517 and 516 then western boundary of comptt. Nos. 514 thereafter Southern boundary of Comptt. Nos. 445, 446, 447, 450A and 449, till it meets to the eastern boundary of Comptt. No. 449.

By order and in the name of
the Governor of M.P.

(J. B. Lal)
By, Secretary to Government of MP
Forest Department

कार-व्यय की पूर्व-अदायगी के
लिए डाक द्वारा भेजे जाने के लिए
अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-
एम पी. 2/एफ.पी./505/98.

(176)

Ralamandal WLS

पंजी क्रमांक भोपाल विभाजन
एम. पी. 2/पी-122/98



संघीय प्रजासत्ताक राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 472]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 अगस्त 1998—भाद्र 5, शक 1920

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 1998

क्र. एफ. 14-बीस-88-10-2.—चूंकि राज्य शासन का यह मत है कि नीचे दी गयी अनुसूची में विनिर्दिष्ट आरक्षित वन क्षेत्र वन्य प्राणियों तथा उनके रहवास/परिस्थितिकी के संरक्षण, विस्तार तथा विकास के प्रयोजन के लिये पर्याप्त महत्व का है. अतः राज्य शासन, एतद्वारा, इस क्षेत्र को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित 1991) की धारा 26-अ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 'रालामंडल अभयारण्य' जिला इन्दौर के रूप से अधिसूचित करता है :-

अनुसूची

सम्प्लित क्षेत्र :

1. जिला	—	इन्दौर
2. वन भंडल	—	इन्दौर
3. अभयारण्य का नाम	—	रालामंडल अभयारण्य
4. तहसील	—	इन्दौर
5. वन परिक्षेत्र	—	इन्दौर
6. वन छण्ड	—	रालामंडल आरक्षित वनछण्ड
7. कक्ष क्रमांक	—	260
8. अभयारण्य का क्षेत्रफल	—	234.550 हेक्टेयर

सीमाएं :

1. उत्तर.—इन्दौर वन मंडल के आरक्षित वन खंड रालामंडल की सीमा का मुनारा क्र. 4 से 10 जो वन खंड सीमा को ग्राम मुन्दल जायता तथा सनावदिया से अलग करता है.
2. पूर्व.—इन्दौर वन मंडल के आरक्षित वन खंड रालामंडल की सीमा का मुनारा क्र. 10 से 25 जो वन खंड सीमा को ग्राम सनावदिया एवं विहाड़िया से अलग करता है.
3. दक्षिण.—इन्दौर वन मंडल के आरक्षित वन खंड रालामंडल की सीमा का मुनारा क्रमांक 25 से 39 एवं 1 जो वन खंड सीमा को ग्राम गिरजापुर एवं रालामंडल से अलग करता है.
4. पश्चिम.—इन्दौर वन मंडल के आरक्षित वन खंड रालामंडल की सीमा का मुनारा क्रमांक 1 से 4.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र अग्रवाल, अवर सचिव,

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 1998

क्र. एफ. 14-बीस-88-10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा इस विभाग की उक्त अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र अग्रवाल, अवर सचिव,

Bhopal, the 25th August 1998

No. F. 14-XX-88-10-2.—Whereas the State Government considers that the area specified in the scheduled below is of adequate significance for the purpose of the protection, propagation and development of wildlife and its habitat/ecology, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 20-A of the Wildlife Protection Act (as amended in 1991), the State Government hereby finally notifies the said area from the date of Notification as 'Ralamandal Sanctuary' District Indore.

SCHEDULE

Area included :

1. District	—	Indore
2. Forest Division	—	Indore
3. Name of the Sanctuary	—	Ralamandal Sanctuary
4. Tahsil	—	Indore
5. Forest Range	—	Indore
6. Name of the Block	—	Ralamandal Reserved Forest Block
7. Compartment No.	—	260
8. Area of the Sanctuary	—	234.550 ha

Boundaries

- North.—The boundary pillar Nos. 4 to 10 of Reserved Forest Block Ralamandal of Indore Division, which separate the block from the villages Mundla-Nayata, and Sanavadia.
- East.—The boundary pillar Nos. 10 to 25 of Reserved Forest Block Ralamandal of Indore Division, which separate the block from the villages Sanavadia and Bahadia.
- South.—The boundary pillar Nos. 25 to 39 and 1 of Reserved Forest Block Ralamandal of Indore Division, which separate the block from the villages Mirzapur and Ralamandal.
- West.—The boundary pillar Nos. 1 to 4 of Reserved Forest Block Ralamandal of Indore Division.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
 JITENDRA AGRAWAL, Addl. Secy.

188

राज्यपाल विभाग, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 1976

नियंत्रण, वाइल्ड (प्रतिबंधन) अधिनियम, 1972 (53 वर्ष 1972) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदेश अधिनियमों के प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त क्षेत्र को वन पक्षी तथा पशु के शिवाये रातपानी आवासीय क्षेत्र में घोषित करना है।

अतएव, वाइल्ड (प्रतिबंधन) अधिनियम, 1972 (53 वर्ष 1972) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदेश अधिनियमों के प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त क्षेत्र को वन पक्षी तथा पशु के शिवाये रातपानी आवासीय क्षेत्र में घोषित करना है।

जिला—रायसेन तहसील गौहरगंज, परिक्षेत्र—गौहरगंज, दक्षिण, सुल्तानपुर, कनकपुर, नाम—भोपाल, क्षेत्रफल—530.67 वर्ग कि. मी. (53066.56 हेक्टर)

उत्तर—परिक्षेत्र आंबेरुलगांज के पी. एफ. कम्पार्टमेंट नम्बर 958, 957, 953, 952, 951, 959 तथा 960 की उत्तरी सीमा रेखा तथा आंबेरुलगांज के कम्पार्टमेंट नम्बर 310, 309 की दक्षिण सीमा रेखा तथा नम्बर 967 की उत्तरी सीमा रेखा तथा परिक्षेत्र गौहरगंज के नम्बर 842, 829, 844, 845, 853, 854, 852 की पश्चिमी सीमा रेखा एवं क. 847 की उत्तरी सीमा रेखा तथा परिक्षेत्र दक्षिण सुल्तानपुर व गौहरगंज की सीमा रेखा तथा परिक्षेत्र सुल्तानपुर व गौहरगंज की सीमा रेखा तथा परिक्षेत्र सुल्तानपुर से आरंभ होकर क. 445 तक पी. डब्ल्यू. डी. रोड.

पूर्व—परिक्षेत्र दक्षिण सुल्तानपुर के क. 445, 446, 447, 449, 464 की पूर्वी सीमा रेखा तथा क. 466, 487, 488 तथा 489 की उत्तरी सीमा रेखा एवं परिक्षेत्र बोडी के कम्पार्टमेंट नम्बर 296, 722 की पूर्वी सीमा रेखा

दक्षिण—कम्पार्टमेंट नम्बर 722, 294, 293, 296, 297 की दक्षिण सीमा रेखा एवं कनकपुर सीढ़ी की सीमा रेखा.

पश्चिम—परिक्षेत्र आंबेरुलगांज व परिक्षेत्र रेड्डी की सीमा से आरंभ होकर क. 958 तक रेड्डी आंबेरुलगांज पी. डब्ल्यू. डी. रोड.

नाम, जिला—रायसेन, तहसील—गौहरगंज, परिक्षेत्र—दक्षिण, क्षेत्रफल—287.5 वर्ग कि. मी.

उत्तर—कनकपुर दक्षिण की सीमा रेखा

पूर्व—परिक्षेत्र सिलवाही की सीमा रेखा तथा क. 246, 271, 711, 247, 258, 264, 265 तथा 266 की सीमा रेखा

दक्षिण—कम्पार्टमेंट नम्बर 266, 714, 269, 270, 271, 715, 716, 272, 273, 275, 276, 278, 279, 290, 291, 718, 282, 719, 285, 296, 287, 288 की सीमा रेखा

पश्चिम—कम्पार्टमेंट नम्बर 288, 287 एवं 527, 528, 529, 524, 523, 522, 521, 518, 520, 519, 518, 517 तथा 240 की सीमा रेखा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्री गी. वसुदेव ना, उप सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 1976

क. 15-4-76-2—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क. 15-4-76-2, दिनांक 2 जुलाई 1976 का पेशी, यमुना राज्यपाल के अधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्री गी. वसुदेव ना, उप सचिव. Bhopal; the 2nd July 1976

No. 15-4-76-X-(2).—Whereas the State Government considers that the area specified in the Schedule below is of adequate faunal and zoological significance for the purpose of protecting, propagating and developing wild life and its environments;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the State Government hereby declare the said areas as Ratapani Game Sanctuary for the birds and animals in the said sanctuary.

Schedule

District—Raisen, Tehsil—Goharganj, Range—Goharganj, South Sultampur, Name of Division—Bhopal, Division Name of Sanctuary—Ratapani, Area—53066.56 Hectares (530-67 Sq. K. ME.)

Boundaries

North—Northern boundary line of compartment Nos. 958, 957, 953, 952, 951, 959 and 960 and Southern boundary line of compartment No. 310, 309 and Northern boundary line of compartment No. 967 and Western boundary line of compartment Nos. 842, 829, 844, 845, 853, 854, 858 and Northern boundary line of compartment No. 297 and boundary line of Range South Sultampur and Goharganj and P.W.D. Road from boundary line of Range Goharganj, and South Sultampur to compartment No. 445. East—Eastern boundary line of compartment 445, 446, 447, 449, 464 and Northern boundary line of compartment No. 466, 487, 488, 489 and Eastern boundary line of compartment Nos. 29, 722 of Range Bari.

the north western corner of 9331 and north-eastern corner of 924, back of Lathi Nala up to north-eastern boundary of 927, northern boundary of 929, eastern boundary of 930, 931 and western boundary of 931, northern boundary of 930, eastern-northern and western boundary of both the part of Comptt. No. 932P, eastern boundary of 886 P, southern boundary of 887, western, southern, eastern and northern boundary of 888, northern and western boundary of 887, northern boundary of 885P, north-eastern corner of 885P, eastern and northern boundary of 884P, northern boundary of 884P, western boundary of 885P, northern boundary of 898.

West.—Western boundary of 898, 899, 900 and Comptt. 910

South.—Boundary line of Raipur district.

East.—Eastern boundary of Comptt. 1003P, 984, 1009P, 980P, 975, 976P, 974, 977P, 973, 972, 971, 970, southern boundary of 968, western and southern boundary of 978P, southern-eastern and northern boundary of 979P, eastern boundary of 967 up to Katangi Nala dam.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
J. B. LAL, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 4 जून 1983

क. 15-7-83-दस-2.—चूंकि राज्य शासन का विचार है कि नीचे दर्शाए अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र कृषि प्राणियों की सुरक्षा, वृद्धि एवं विकास एवं पर्यावरण की दृष्टि से महत्व का है;

अतः वाईल्ड लाइफ (अट्रिब्यूशन) एक्ट, 1972 (क्रमांक 53 अक्टू 1972) की धारा 18 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत, मध्य प्रदेश शासन नीचे परिशिष्ट में दर्शाए क्षेत्र को खरभौर पक्षी संरक्षण के लिए "सैलाना" अभयारण्य घोषित करता है.

अनुसूची

भाग 1

जिला—सैलाना—तहसील—सैलाना—ग्राम, सैलाना

खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
1676	7.120
1685	0.800

(1)	(2)
1686	0.800
1697	0.800
1689	0.010
1690	0.010
1691	0.010
1692 "1 से 17 भाग"	9.690
1693	0.860
1694 "1 से 17 भाग"	8.080
1697 "1 से 17 भाग"	316.420
1702	7.480
1703	0.820
1695	1.080
1696	1.590

योग ... 355.570 हेक्टर

भाग 2

तहसील—जावर, ग्राम—शेरपुर

खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
573 भाग	9.500
575 तालाब	6.119
576	0.809
577	2.023
57811	71.710 सिंचाई विभाग तालाब का भाग रहित.

योग ... 90.161 हेक्टर

भाग 3

वन मण्डल—इंदौर, रेंज सैलाना, जिला—रतनाम, तालखण्ड—पुन्याखेड़ी.

क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
459	255.860
460	383.900
461	22.950

योग ... 861.810

सीमा

उत्तर.—वनखण्ड पुन्याखेड़ी की कटी सीमा मुनारा क्रमांक 42 से मुनारा क्रमांक 53 तक.
पूर्व.—वनखण्ड पुन्याखेड़ी कटी सीमा मुनारा क्रमांक 53 से 65 तक.
दक्षिण.—वनखण्ड पुन्याखेड़ी कटी लाइन मुनारा क्रमांक 65 से 80 तक, एवं मुनारा क्रमांक 459 की दक्षिण सीमा क्रमांक 80 से 449 तक.
पश्चिम.—वनखण्ड पुन्याखेड़ी की कटी लाइन मुनारा क्रमांक 459 से 510 तक एवं नाला की मुनारा क्रमांक 310 से 42 मुनारा क्रमांक 42 तक की क्रमांक 461 एवं 462 के बीच सीमा बनाता है.

सैलाना	354.570 हेक्टर भाग 1
शेरपुर	90.161 हेक्टर भाग 2
सैलानी कलान्दे	851.810 हेक्टर भाग 3
कुल	1296.541 हेक्टर भाग 12.96

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. बी. लाल, उपसचिव,

Bhopal, दिनांक 4 जून 1983

संख्या-15-7-83-X-2.—अधिकांश के संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अनुसरण में इस विभाग की प्राथमिकता के अन्तर्गत, दिनांक 4 जून 1983 को यह प्रेसी अधिसूचना राज्यपाल के द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. बी. लाल, उपसचिव,

Bhopal, the 4th June 1983

No. 15-7-83-X-2.—Whereas the State Government considers that the area specified in the schedule below is of adequate significance for the purpose of protecting, propagating and developing wild life and its environment.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 18(1) of Wild Life protection Act, 1972 (No. 53 of 1972) Government of Madhya Pradesh declares the specified area in the schedule below as "Sailana" Sanctuary, specially for the protection of floricans.

SCHEDULE

PART I

District.—Ratlam, Tahsil.—Sailana, Village—Sailana

Khasra No.	Area in hectares
(1)	(2)
1676	7.120
1685	0.800
1686	0.800
1637	0.800
1689	0.010
1690	0.010

354.570
90.161
851.810
1296.541

(80) (129)

1691	0.010
1692 (part 1 to 4)	9.690
1693	0.860
1694 (Part 1 to 4)	8.080
1697	...
(Part 1 to 171)	316.420
1702	7.480
1703	0.820
1695	1.080
1696	1.310

Total ... 354.570 hectares

PART II

Tahsil—Jawra, Village—Sherpur

Khasra No.	Area in hectares
573 (Part)	9.500
575 Tank	6.119
576	0.809
577	2.023
578/1	71.710 including the tank area.

Total 90.161 hectares

PART III

Forest Division.—Indore, Range Sailana. (District—Ratlam), Forest Block—Puniya Khedi

Comptt. No.	Area in hectares
(1)	(2)
459	255.860
460	383.000
461	212.950
	851.810 hectares

BOUNDARY

North.—Cut line of Puniya Khedi Forest Block from Pillar No. 42 to Pillar No. 53.

वन विभाग

भोपाल, दिनांक 4 जून 1983

Bhopal, the 4th June 1983

क्र. 2410-वस-2-83.—यूनि राज्य शासन का यह विचार है कि नीचे द्योवि अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र कव्य प्राणियों को सुरक्षा प्रवि व दिवालय एवं प्रजाविकरण को रूढि से महुरण क्य है।

No. 2410-X-2-83.—Whereas the State Government considers that the area specified in the Schedule below is of adequate significance for the purpose of protecting, propagating, and developing wild life and its environment.

अतः माइल लार्कि (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 (क्रमांक 53 सन् 1972) को धारा 18(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन नीचे परिशिष्ट में दर्शाये गये राजस्व प्रभों का सम्पूर्ण क्षेत्र सरदारपुर ग्रामशासन घोषित करता है:—

Now therefore in exercise of powers conferred by section 18(1) of Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972) Government of Madhya Pradesh declares the area of entire revenue village specified in the Schedule below as "Sardarpur" Sanctuary.

अनुसूची

अक्षांश-उत्तर 24° 12' 12" अक्षांश. गो.

SCHEDULE

जिला- र.	तहसील-सर्दारपुर	गांव का नाम (1)	क्षेत्रफल हेक्टेयर में (संपूर्ण गांव) (2)
1.		गुमानपुरा	801.669
2.		बिमरोड	2025.190
3.		छडावाड	2930.675
4.		पिपरनी	2329.339
5.		सेम्बिया	1704.907
6.		केरिया	787.509
7.		करनावाड	1020.198
8.		सियावाड	491.686
9.		धूलैट	3458.802
10.		सोणारह	2612.615
11.		महापुरा	3174.311
12.		तिमाचि	2079.653
13.		भंगारह	7217.509
14.		भंगारह	4178.314
योग			34,812.177

District—Dhar.
Tahsil—Sardarpur
Area of Sanctuary 34,812.177 ha.
Details of area included
Dhar District
Sardarpur Tahsil

Name of village (1)	Area in hectares (Entire village) (2)
1. Gumanpura	801.669
2. Bimrod	2025.190
3. Chadawad	2930.675
4. Piparni	2329.339
5. Sembia	1704.907
6. Keria	787.509
7. Karnawad	1020.198
8. Siyawad	491.686
9. Dhulet	3458.802
10. Songarh	2612.615
11. Mahapura	3174.311
12. Timaychi	2079.653
13. Bhangarh	7217.509
14. Bhangarh	4178.314
TOTAL 34,812.177	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. बी. लाल, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 4 जून 1983

क्र. 2410-वस-2-83.—शासन के संविधान के अनुच्छेद 348 के अन्तर्गत (3) के अन्तर्गत में इस विभाग को अधिसूचना क्र. 2410-वस-2-83, दिनांक 4 जून 1983 का अंतर्गत अनुसूची राजस्व क्षेत्र को प्राविहार से एकद्वारा प्रजाविकरण किता जाता है

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
J. B. LAL, Dy. Secy.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. बी. लाल, उपसचिव.

:: अधिसूचना ::

क्रमांक/एफ/15-4-76/दस/2 :- चूंकि राज्य शासन का यह विचार है कि नीचे दर्शाई गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट आरक्षित एवं संरक्षित वन क्षेत्र वन्य प्राणियों एवं पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन एवं विकास हेतु, परिस्थिति की पशु वनस्थिति, भू-भाग की संरचना प्राकृतिक एवं जीव वैज्ञानिक दृष्टि से पर्याप्त महत्व का है। अतः वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 (वर्ष 1972 का क्रमांक 53) की धारा 26-अ(1)(ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए म०प्र० शासन एतद् द्वारा अनुसूची में उल्लेखित क्षेत्र को इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से अभ्यारण सिंगोरी घोषित करता है :-

जिला	रायरोन
तहसील	वरेली /सिलवानी
वनगंडल	ओवेदुल्लागंज
परिक्षेत्र	बाडी / बम्होरी
अभ्यारण्य का नाम	वन्य प्राणी अभ्यारण्य <u>सिंगोरी</u>
आरक्षित वन	277.302 वर्ग कि.मी.
संरक्षित वन	10.612 वर्ग कि.मी.
कुल क्षेत्रफल	287.914 वर्ग कि.मी.



कक्ष :

कलमंडल रायसेन की सीमा क्षेत्र ।

पृष्ठ :

परिक्षेत्र सिलखानी की सीमा क्षेत्र तथा कक्ष क्रमांक 246, पी. 710, पी 711, 247, 258, 264, 265 तथा 266 की सीमा रेखा ।


दक्षिण :

कक्ष क्रमांक 266, पी-714, 267, 270, 271, पी-715, पी 716, 272, 273, 275, 276, 278, 279, 280, 281, पी 718, 282, पी-719, 285, 286, 287, तथा 288 की सीमा रेखा ।


पश्चिम :

कक्ष क्रमांक 288, 287, 527, 528, 529, 524, 523, 522, 521, पी748, 520, 519, 518, 517, एवं 240 की सीमा रेखा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
तथा आदेशानुसार


वनमंडलाधिकारी
ओनेदुल्ला मंज


कलेक्टर
रायसेन


अधीक्षक
सिंधोरी अभ्यारण बाड़ी

आवश्यकता की पूर्ण अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-505/ डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवाजन 122 (एम.पी.)



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 7 जनवरी 1997—पौष 17, शक 1918

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 1997

क्र. एफ. 14-33-94-दस-2.—चूंकि राज्य शासन का यह विचार है कि नीचे दलाई गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट आरक्षित वनक्षेत्र वन्य प्राणियों एवं पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास हेतु परिस्थितिकी, प्रशु, वनस्पति, आदि-आदि की संरचना, प्राकृतिक एवं जैव वैज्ञानिक दृष्टि से पर्याप्त महत्त्व का है, अतः वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (वर्ष 1972 का क्र. 53) को धारा 26-अ. (1) (ब) द्वारा प्रदत्त शक्ति से का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश शासन, एतद्वारा अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्र को इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से "वीरंगना दुर्गावती अभ्यारण्य" घोषित करता है—

अनुसूची

जिला	—	दमोह
वन मंडल	—	दमोह
तहसील	—	जबेरा
परिक्षेत्र	—	सिंग्रामपुर
वनखण्ड	—	सिंग्रामपुर आरक्षित खण्ड
अभ्यारण्य का नाम	—	वीरंगना दुर्गावती अभ्यारण्य

अभ्यारण्य में सम्मिलित क्षेत्र—

कस क्रमांक (1)

क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

308

600.50

309

429.00

312

580.70

313

266.30

कुल क्षेत्रफल

2397.30



सीमाओं का विवरण :

वसंत.—आरक्षित वन कक्ष क्रमांक-300 की सीमा, संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी-21 एवं पी-19 की सीमा,

पूर्व.—आरक्षित वन कक्ष क्रमांक-311 की सीमा, संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी-4 ग्राम तिलगांव की सीमा, संरक्षित वन कक्ष क्रमांक-पी-3 की सीमा, ग्राम तिलगांव की सीमा, संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी-2 की सीमा, आरक्षित वन कक्ष क्रमांक-315 की सीमा,

दक्षिण.—आरक्षित वन कक्ष क्रमांक-314 की सीमा, संरक्षित वन कक्ष क्रमांक-पी-73 व पी-74 की सीमा तथा आरक्षित वन कक्ष क्रमांक-317 की सीमा,

पश्चिम.—आरक्षित वन कक्ष क्रमांक-307 की सीमा, संरक्षित वन कक्ष क्रमांक-पी-64 की सीमा, ग्राम बंदरकाला की सीमा,

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र अग्रवाल, अपर सचिव,

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 1997

क्र. एफ. 14-33-94-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 6 जनवरी 1997 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र अग्रवाल, अपर सचिव,

Bhopal, the 6th January 1997

No. F. 14-33-94-X-2.—Whereas the State Government considers that the Reserved Forest area specified in the Schedule below is of adequate ecological, faunal, floral, geomorphological, natural and zoological significance for the purpose of protecting, propagating and developing Wild Life and Environment, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 26-A (1) (b) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. LIII of 1972), Madhya Pradesh Government hereby declares the said area as "Veerangana Durgavati Sanctuary" from the date of publication of this notification.—

SCHEDULE

District	—	Damoh
Forest Division	—	Damoh
Tehsil	—	Jabera
Range	—	Singrapur
Block	—	Singrapur Reserved Forest
Name of Sanctuary	—	Veerangna Durgavati Sanctuary

Area included—	Comptt. No. (1)	Area in ha. (2)
	308	800.50
	309	429.00
	310	580.00
	312	266.30
	313	520.30
Total Area		2392.30

Description of Boundaries :

North.—Boundary of Reserved Forest Compartment No. 300 Protected Forest Comptt. No. P-21 and P-19.

East.—Boundary of Reserved Forest Comptt. No. 311, Protected Forest Comptt. No. P-4, Boundary of Village Tilgawan, Boundary of Protected Forest Comptt. No. P-3, Boundary of village Tilgawan, Protected Forest Comptt. No. P-2, Reserved Forest Comptt. No. 315.

South.—Boundary of Reserved Forest Comptt. No. 314, Protected Forest Comptt. No. P-73, P-74 and Reserved Forest Comptt. No. 317.

West.—Reserved Forest Comptt. No. 307, Protected Forest Comptt. No. P-64, village boundary of Bandarkola Village.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
JITENDRA AGRAWAL, Addl. Secy.